राष्ट्र की सेवा में परमाणु

यू सी आई एल
UCIL

ATOMS IN THE SERVICE OF THE NATION

58वॉ वार्षिक प्रतिवेदन

58th ANNUAL REPORT

2024–25

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0
(भारत सरकार का संस्थान)
परमाणु उर्जा विभाग

URANIUM CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Government of India Enterprise)
Department of Atomic Energy

VOLVO
10

विषय सूची

1.	निदेशक मंडल	03
2.	कार्यकारी	04
3.	अध्यक्ष के डेस्क से...	05
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	07
5.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I	20
6.	शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II	23
7.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख आंकड़े	30
	(ii) कंपनी की वित्तीय स्थिति	31
	(iii) कंपनी की आय और व्यय का विवरण	32
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	33
	(ii) व्यय/परिव्यय का वितरण	33
	(iii) आय में वृद्धि	34
	(iv) निवल सपंत्ति में वृद्धि	34
	(v) सकल एवं शुद्ध परिसंपति	35
	(vi) नियोजित पूँजी	35
9.	स्वंतंत्र लेखा परीक्षक की रिर्पोट	37
10.	निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	50
11.	31 मार्च, 2025 तक तुलन–पत्र	52
12.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी	53
13.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	54
14.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर नोट्स	55
15.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स	64
16.	लेखा पर अतिरिक्त टिप्पनियां	89
17.	नकदी प्रवाह विवरणी	99
18.	पच्चीस वर्ष का सार–संग्रह	100

निदेशक मंडल

डॉ॰ काचम आंनद राव (01–09–2025 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ॰ एसके सतपति (01–03–2024 से 31–08–2025 तक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजेश कुमार (30–06–2024 तक)
निदेशक (तकनीकी)

श्री मनोज कुमार (22–08–2024 से)
निदेशक (तकनीकी)

श्रीमती अंजलि सिन्हा (11–03–2024 से)
संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई, भारत सरकार

श्री संदीप राज (02–07–2025 से)
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहाकार, डीएई, भारत सरकार

श्री यू एम सिंदे (03–05–2025 से 02–07–2025 तक)
आईएफए, डीएई, भारत सरकार

डॉ0 कोमल कपूर (09–01–2023 से)
मुख्य कार्यकारी, परमाणु ईंधन परिसर

श्री धीरज पांडे (27–05–2024 से)
निदेशक एएमडी

श्री बी के दास (29–01–2025 से)
निदेशक (वित्त)

श्री एस बी मोहंती (28–01–2025 तक)
निदेशक (वित्त)

श्री पी ए सुरेश बाबु (07–10–2025 से)
निदेशक (एच आर), एनपीसीआईएल

श्री वी राजेश (07–10–2025 से)
निदेशक (तकनीकी), एनपीसीआईएल

श्री बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

अंजलि जैन एंड एसोसिएट (ईआर0435)
जैन विला, नियर गुरु नानक स्कूल, पी पी कंपाउन्ड
रांची–834001

कार्यकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	डा. काचम आंनद राव
निदेशक (तकनीकि)	:	श्री मनोज कुमार
निदेशक (वित्त)	:	श्री बी के दास
कार्यकारी निदेशक (प्रोजेक्ट)	:	श्री एम के सिंघई
महाप्रबंधक (माइंस)	:	श्री चंचल मन्ना
महाप्रबंधक (ईलेक्ट्रिकल)	:	श्री गौतम धर
महाप्रबंधक (मिल)	:	श्री सुमन सरकार
महाप्रबंधक (पर्यावरण / सिविल)	:	श्री आर के मिश्रा
कंपनी सचिव	:	श्री बी सी गुप्ता

अध्यक्ष के डेस्क से.....

प्रिय ज्ञेयधारकों,

आपकी कंपनी, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी कंपनी की 58वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लेखा–परीक्षित विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ आपको प्रस्तुत किया गया है, और आपकी सहमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

आपकी कंपनी देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए समर्पित है और अपने प्रदर्शन में निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है।

मुझे वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए बहुत खुशी हो रही है। आपकी कंपनी ने सभी हितधारकों के समर्पित और ईमानदार प्रयासों से वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान U_3O_8 उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। डीएई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024–25 के लिए "उचित" के रूप में आंका जाने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समझौता ज्ञापन की रेटिंग "अच्छी" थी।

मुझे आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सभी आठ खदानों और तीन मिलों का प्रदर्शन वार्षिक U_3O_8 उत्पादन के मामले में सराहनीय रहा, जिससे उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली।

राजस्थान में रोहिल यूरेनियम भंडार में अन्वेषणात्मक खनन के लिए विकसित 8° डिक्लाइन 575 मीटर की लंबाई तक आगे बढ़ गई है, जो जमीनी स्तर से 82 मीटर की गहराई तक पहुंच गई है। अन्वेषणात्मक खनन के माध्यम से गिरावट विकास के चरण–VI के निविदा प्रस्ताव में पहले स्तर (यानी 381.50 एमआरएल) तक खुदाई, अयस्क निकाय को रोकने के लिए एक क्रॉस कट, और अयस्क निकाय (50 मीटर) में एक ड्राइव और अयस्क नमूने की ड्राइंग की सुविधा के लिए 1.5 एम व्यास का वेंटिलेशन बोर होल शामिल है। पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के लिए नियुक्त सलाहकार ने ईसी के लिए आवश्यक आधारभूत पर्यावरणीय क्षेत्र अध्ययन पूरा कर लिया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट (ईआईए और ईएमपी) को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा की जा रही है। अतिरिक्त नमूनों के लिए रेडियोलॉजिकल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। व्यापक जलविज्ञान रिपोर्ट (सीएचआर) के लिए क्षेत्र अध्ययन, जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से मंजूरी के लिए आवश्यक है, पूरा हो चुका है और रिपोर्ट अंतिम चरण में है। आरआरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के तहत जिला कलेक्टर को फॉर्म–1 में भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिला कलेक्टर ने सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन कराने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डीएई ने जून 2025 में जजावल परियोजना में खनन गतिविधियों को करने के लिए यूसीआईएल को नामित किया है और यूसीआईएल ने खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग (डीएमजी), छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रस्तुत किया है।

इसके अतिरिक्त, अन्य स्थलों पर भी परियोजना–पूर्व गतिविधियां जैसे कि नरवापहाड़ डीपर विस्तार परियोजना, तुरामडीह खदान (टीएमडी–दक्षिण) का विस्तार, जादूगोड़ा खदान विस्तार, बंदुहुरंग (पश्चिम) ओपनकास्ट खदान का विस्तार, बागजाता और मोहुलडीह खदानों के लिए खान विकास और संचालन (एमडीओ) अनुबंध, तुरामडीह क्षेत्र में नई 6000 टीपीडी मिल का निर्माण सक्रिय रूप से चल रही हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि कंपनी विदेशी यूरेनियम खदानों के अधिग्रहण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के अग्रिम चरण में है।

आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों में मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 14001:2015, और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 45001:2018 का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करती है।

यूसीआईएल परमाणु ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने, परिचालन सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और हमारी खनन और मिलिंग प्रक्रियाओं की दीर्घायु और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए समर्पित है। स्थायित्व हमारे परिचालन का मूल है। कंपनी खनन और मिलिंग प्रथाओं में सुधार के अवसरों की खोज करके यूरेनियम खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में काम करना जारी रखे हुए है। इसमें जल की खपत को कम करना, उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना, खनन भूमि का पुनर्वास करना तथा जैव विविधता प्रतिसंतुलन को हमारी परियोजना डिजाइन के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करना है।

आपकी कंपनी खनन सामग्री के पूर्ण उपयोग, जल के पुनर्चक्रण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के दर्शन को लागू करने पर केंद्रित है। यह पर्यावरण अनुकूल यूरेनियम उत्पादन विधियों को विकसित करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), सीएसआईआर और शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग को बढ़ावा देता है।

यूसीआईएल ने खनन क्षेत्रों में जन–अनुकूल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम लागू किया है, जिससे यूरेनियम उत्पादन एक अधिक समावेशी और समुदाय समर्थित औद्योगिक गतिविधि बन गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना आपकी कंपनी के मिशन का केंद्रबिंदु बनी रहेगी। कंपनी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और आजीविका कार्यक्रमों में निवेश करके साझा मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग और इसकी विभिन्न घटक इकाइयों अर्थात् BARC, AMD, NFC, NPCIL और अन्य को उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों के योगदान के लिए भी ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सभी अवसरों पर ईमानदारी से प्रयास किए और समर्पित प्रतिबद्धता दिखाई, साथ ही प्रत्येक स्तर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब, मैं निदेशकों की रिपोर्ट, 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता आपके विचार, अनुमोदन और अपनाने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

डॉ. काचम आनंद राव

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोट

सेवा में

सदस्यों के लिए

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे आपकी कंपनी की 58वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों के साथ, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

1.0 प्रदर्शन मुख्य विशेषाताएं

1.1 वित्तीय प्रदर्शन :

(₹. लाख में)

	वर्तमान वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
आय	235626.21	247264.44
मूल्यह्रास से पहले लाभ	42658.32	58765.59
घटाए : (क) मूल्यह्रास	23806.98	26552.41
कर पूर्व लाभ	18851.34	32213.18
घटाएं :		
(क) कर प्रावधान	6812.24	10811.53
(ख) पहले वर्ष के लिए		
(ग) स्थगित कर के लिए प्रावधान	(1863.51)	(2461.72)
कर अदायगी के बाद लाभ	13902.61	23863.37
अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)	(1285.66)	(4130.48)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	12616.95	19732.89

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट आयकर, लाभांश, जीएसटी के कारण राजकोष में 32,870.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 25,110.59 लाख रुपये) का योगदान दिया।

1.2 परिचालन इकाइयों का प्रदर्शन :

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आपकी कंपनी की सभी परिचालन इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। आपकी कंपनी ने वार्षिक U_3O_8 उत्पादन लक्ष्य से अधिक हासिल किया।

1.3 चालू और नई परियोजनाएँ :

चालू परियोजनाएँ

झारखंड क्षेत्र

नरवापहाड़ खदान, तुरामडीह खदान के लिए दिए गए और शुरू किए गए दीर्घकालिक विकास और उत्पादन अनुबंध समय सीमा में अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं।

इसके अलावा, दीर्घकालिक एमडीओ अनुबंध के माध्यम से भाटिन खदान से उत्पादन गतिविधियां पुनः शुरू कर दी गई हैं और प्रगति पर हैं।

बदलती भू–खनन स्थिति, विकसित होते भूमिगत खनन लेआउट और पुराने खनन उपकरणों की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, नए ट्रैकलेस खनन उपकरण साइटों पर प्राप्त किए गए हैं और वर्तमान में आवश्यकतानुसार विभिन्न भूमिगत खदानों में तैनात किए गए हैं।

जादूगोड़ा, भाटिन और नरवापहाड़ गहरी श्रृंखला के मौजूदा खनन पट्टा क्षेत्र में खोजे गए अतिरिक्त अयस्क संसाधनों को निकालने के लिए, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी शुरू कर दी गई है और यह उन्नत चरण में है।

आंध्र प्रदेश क्षेत्र

यूसीआईएल की तुम्मलापल्ली इकाई ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लक्ष्य के अनुसार प्रगति प्रदर्शित की

है और अपने मासिक और वार्षिक U_3O_8 उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। मार्च 2020 में शुरू हुए दीर्घकालिक खदान विकास और संचालन अनुबंध के एक भाग के रूप में तुम्मलापल्ली खदान के पश्चिमी भाग का विकास कार्य प्रगति पर है। हालाँकि, चट्टानों की खराब स्थिति और शाफ्ट में जलभृत क्षेत्र के कारण कुछ तकनीकी समस्याएं हैं।

नई परियोजनाएं

1.0 रोहिल अन्वेषणात्मक खनन परियोजना, राजस्थान के सीकर जिले में

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम भंडार का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने एएमसी नियम–2016 के तहत संभावित पट्टेदार के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) को नामित किया है। यूसीआईएल को खनन पट्टा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से प्राप्त आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, परियोजना "रोहिल (सीकर), राजस्थान में 0.75 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) आरओएम क्षमता की भूमिगत खदान और 0.75 एमटीपीए के यूरेनियम प्रसंस्करण परिसर के साथ संबद्ध सेवाओं का विकास" के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त की गई हैं। परामर्शदाता द्वारा पर्यावरणीय आधारभूत डेटा सृजन का कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, बीएआरसी, मुंबई द्वारा साइट के चारों ओर रेडियोलॉजिकल निगरानी और टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य स्थिति सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यूसीआईएल ने एसआईए अध्ययन के लिए डीसी, सीकर को भूमि अधिग्रहण आवेदन प्रस्तुत किया है। इन कार्यों के पूरा होने पर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि जन सुनवाई के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सके।

ए.एम.डी. द्वारा अन्वेषणात्मक खनन के लिए विकसित 8^{0} डिक्लाइन को 576 मीटर लंबाई तक तथा ऊर्ध्वाधर रूप से 82 मीटर तक पूरा कर लिया गया हैं.

1.1 जजावल परियोजना, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़

एएमडी ने एएमसी नियम–2016 के अनुसार भूविज्ञान और खनन निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार (डीजीएम) को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अलावा, डीएई ने एएमसी नियम–2016 के प्रावधान के तहत संभावित पट्टेदार के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) को नामित किया है। यूसीआईएल ने खनन पट्टा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को आवेदन दिया है। खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त करने के बाद, यूसीआईएल अन्य रिपोर्टों के साथ–साथ ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने और इस प्रकार पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के लिए आवेदन करेगा।

1.2 गाराडीह परियोजना, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में

यूसीआईएल को संभावित पट्टेदार के रूप में नामित करने के बाद परियोजना को वैधानिक मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा।

1.3 बानाडुंगरी परियोजना, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड

यूसीआईएल को संभावित पट्टेदार के रूप में नामित करने के बाद परियोजना को वैधानिक मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा।

1.4 समझौता ज्ञापन प्रदर्शन :

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, आपकी कंपनी का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024–25 के लिए "उचित" (पिछले वर्ष "अच्छा") के रूप में आंका जाने की उम्मीद है।

2.0 लाभांश और लाभांश पर कर

आपके निदेशकगण 15350 लाख रुपये के लाभांश की अनुशंसा करते हुए प्रसन्न हैं और यह 2,09,461.78 लाख रुपये की चुकता पूंजी पर वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश होगा (पिछले वर्ष लाभांश राशि 19501 लाख रुपये थी)।

3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3,500

करोड़ रुपये थी और 31.03.2025 तक अभिदत्त शेयर पूंजी 2094.62 करोड़ रुपये थी।

4.0 ऊर्जा/प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और प्रयुक्त एवं अर्जित विदेशी मुद्रा का संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में नियम–8 इस रिपोर्ट के अनुबंध–1 में दिए गए हैं।

5.0 औद्योगिक संबंध :

यूसीआईएल इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों में से एक है जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। स्थानीय आबादी नियमित और संविदात्मक दोनों तरह की नौकरियों के लिए यूसीआईएल पर अत्यधिक रोजगार प्रदान करता है।

हालाँकि नौकरियों की मांग यूसीआईएल की रोजगार आवश्यकता से अधिक है। यूसीआईएल में औद्योगिक संबंध मुख्यतः अधिग्रहित भूमि के आधार पर स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करने से संबंधित हैं। सभी हितधारकों के कल्याण के लिए प्रयास किए जा रहें हैं।

6.0 श्रमशक्ति :

आपकी कंपनी का मानना है कि कंपनी के विकास के लिए जनशक्ति महत्वपूर्ण है और इसलिए कंपनी ने भर्ती करने का बीड़ा उठाया है और यह कार्य जारी है।

31 मार्च 2025 तक आपकी कंपनी की कुल जनशक्ति संख्या 4175 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का समग्र प्रतिनिधित्व कुल कार्यबल का लगभग 50.04% है। 31.03.2025 तक कंपनी में कुल 12 शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) कर्मचारी हैं। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए कोटा भरने के प्रयास जारी रखे है।

7.0 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

कंपनी में सभी स्तरों पर स्वस्थ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी इकाइयों में शॉप काउंसिल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, शॉप काउंसिल की 23 बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना, कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी आदि के न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कर्मचारियों को सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंध समिति, खेल परिषद आदि जैसे विभिन्न मंचों के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' के अंतर्गत भी घोषित किया जा रहा है।

8.0 मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण :

कंपनी का मानना है कि मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण पर व्यय एक निवेश है और इसी उद्देश्य से कंपनी का नरवापहाड़ में अपना प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र है। आपकी कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों के माध्यम से अपने मानव संसाधन को विकसित करने के प्रयास जारी रखे हुए है। कंपनी द्वारा सभी श्रेणी के कर्मचारियों नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों आदि को नियमित और दिनचर्या आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, 221 अधिकारियों (समूह ए–171 और समूह बी–50) ने यूसीआईएल के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

हमारे मानव संसाधन को अद्यतन रखने के लिए कर्मचारियों को नियमित आधार पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों/ऑफलाइन वेबिनार/सम्मेलन सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

9.0 सुरक्षा :

आपकी कंपनी द्वारा खानों और मिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए खनन उद्योग में नए उपकरणों और प्रक्रियाओं को लागू करके एक संरचित आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है। शून्य दुर्घटना संभावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रचलित सुरक्षा मानकों की समय–समय पर समीक्षा की गई।

सुरक्षा संबंधी निर्णय, कॉर्पोरेट स्तर पर मिलों और खानों के संचालन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा लिए जाते हैं। यूसीआईएल की सभी

इकाइयों में स्वतंत्र रूप से संचालित स्वास्थ्य भौतिकी इकाइयां परिसर के भीतर और बाहर रेडियोलॉजिकल सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी नियामक आवश्यकताओं की समीक्षा कॉर्पोरेट–स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा की जाती है। कंपनी की विभिन्न सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने में मदद करती है। शीर्ष सुरक्षा समिति नियमित रूप से बैठक करती है और कंपनी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करती है। खान और मिल के सुरक्षा प्रमुख सीधे सी एंड एमडी को रिपोर्ट करते हैं।

10. दक्षिण में परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया :

परमाणु ऊर्जा विभाग का 70वां भव्य प्लेटिनम जयंती समारोह हर महीने आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नई सुविधाओं का उद्घाटन, स्कूल और कॉलेजों का दौरा, तकनीकी अतिथि व्याख्यान, सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक कार्यक्रम आदि शामिल होंगे। विवरण नीचे दिया गया है।

- यूसीआईएल तुम्मलापल्ली में समारोह का उद्घाटन यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. संतोष कुमार सतपति तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से किया। राष्ट्रीय पहल "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
- प्रतिष्ठित संस्थानों और संगठनों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा, सुरक्षा (डीजीएमएस), पर्यावरण, इंजीनियरिंग, विज्ञान, बीआईएस, आईएसओ, भूविज्ञान, रक्षा (डीआरडीओ) आदि क्षेत्रों को कवर करते हुए अतिथि व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की गई।
- कई स्कूलों और कॉलेजों को जागरूकता और ज्ञान–साझाकरण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- कई डीएई इकाइयों अर्थात यूसीआईएल, एएमडी, बीएआरसी और एपीएसपीएफ के बीच क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट सहित सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।
- यूसीआईएल स्थापना समारोह अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ भव्य तरीके से मनाया गया।
- कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीपीई प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

10.1 यूसीआईएल तुम्मलापल्ली में हिंदी का प्रचार–प्रसार :

वर्ष 2024–25 के दौरान, यूसीआईएल तुम्मलापल्ली ने आधिकारिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिंदी के प्रयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। कार्यालय संचार और प्रलेखन में हिंदी के प्रचार–प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए छह कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह समारोह के तहत, सुरक्षा और अग्नि निवारण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी निबंध, नारा, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, कविता और नाटक प्रस्तुत किए गए, जबकि प्रथम हिन्दी कवि सम्मेलन में देश भर के प्रतिष्ठित कवि एकत्रित हुए, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अतिरिक्त, हिंदी पखवाड़ा 2024 में निबंध लेखन, अनुवाद, कविता और भाषण जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी रही। इसके अलावा, 140 कर्मचारियों की भागीदारी के साथ एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे आधिकारिक हिंदी प्रयोग में व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि हुई। त्रैमासिक निरीक्षणों के साथ–साथ हिंदी पुस्तकों, पत्रिकाओं और स्टेशनरी के वितरण से हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मजबूत करने के प्रयासों को बल मिला। इन पहलों के माध्यम से, यूसीआईएल तुम्मलापल्ली ने हिंदी के प्रचार–प्रसार को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है, तथा सांस्कृतिक समृद्धि और आधिकारिक भाषा नीतियों के अनुपालन में योगदान दिया है।

10.2 तुम्मलापल्ली खदान ने डीजीएमएस के तत्वावधान में अखिल भारतीय खान सुरक्षा संघ द्वारा आयोजित मेटल बिलोग्राउंड मीडियम श्रेणी में सुरक्षा पुरस्कार 2024 जीता।

10.3 कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया जैसे खदान और मिल गेट पर बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, नया डिक्लाइन सबस्टेशन, खदान परिसर में आरओ वाटर प्लांट और बचाव प्रशिक्षण गैलरी आदि।

10.4 यूसीआईएल तुम्मलापल्ली टाउनशिप के निकट 65 केएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) एपीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार चालू होने के लिए तैयार है।

10.5 मिल एवं खदान क्षेत्र में दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) इकाइयां चालू की गईं। शेष दो सीएएक्यूएमएस को वायु गुणवत्ता और प्रदूषण मापदंडों की वास्तविक समय निगरानी के लिए यूसीआईएल टाउनशिप और टेलिंग्स पॉन्ड क्षेत्र में चालू किया जाना है।

10.6 यूसीआईएल तुम्मलापल्ली के आसपास के गांवों में कई सीएसआर गतिविधियां जैसे कि पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, विकास परियोजनाएं, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास आदि किये गए ।

10.7 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निर्देशों के अनुरूप, यूसीआईएल तुम्मलापल्ली इकाई ने श्री विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कर्मवीर दिवस मनाया। इस पहल का उद्देश्य कार्यभार और अंतर–विभागीय स्पष्टीकरण के कारण होने वाली देरी को कम करके लंबित फाइलों, फोल्डरों, प्रस्तावों और निविदा–संबंधी दस्तावेजों के निपटान में तेजी लाना था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और फाइलों के निपटारे तक जुटे रहे।

11.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

आपके निदेशकगण 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में, यूसीआईएल अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध है, तथा अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास के समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देने का प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, यूसीआईएल ने स्वास्थ्य एवं कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, खेल एवं सांस्कृतिक संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सीएसआर परियोजनाएं कार्यान्वित किये गए ।

1. स्वास्थ्य सेवा और कल्याण

स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में, कंपनी ने सामुदायिक कल्याण और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से कई प्रभावशाली पहल की हैं। वर्ष के दौरान, यूसीआईएल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से झारखंड में अपनी सभी इकाइयों में कई रक्तदान शिविरों का आयोजन किया, साथ ही आंध्र प्रदेश में यूसीआईएल तुम्मलापल्ली इकाई में केआईएमएस सवेरा (अनंतपुर) के साथ एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।

आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, तीन (03) नई एम्बुलेंस खरीदी गईं और उन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी – जमशेदपुर और भारत सेवाश्रम संघ, डबंकी को सौंप दिया गया, जबकि आसपास के गांवों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित वाहन लगाए गए।

कंपनी ने समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय भी लागू किए। इनमें नरवापहाड़ में 2,200 कंबल, रोहिल गाँवों और छात्रावासों में 2,200 कंबल, और टीएमपीएल में 2,000 कंबलों का वितरण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 1,310 छाते और स्थानीय पंचायतों को दवाइयों और आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति शामिल थी। सीएसआर के तहत सामान्य चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से चिकित्सा पहुँच को और मजबूत किया गया, जिससे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित हुई।

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उल्लेखनीय पहलों में कडप्पा स्थित सरकारी सामान्य अस्पताल (जीजीएच) का उन्नयन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के लिए जनरेटर की व्यवस्था और बहरागोड़ा स्थित रेड क्रॉस भवन में एक समर्पित फिजियोथेरेपी ब्लॉक का निर्माण शामिल है।

यूसीआईएल ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित 753वें मेगा नेत्र ऑपरेशन शिविर को भी प्रायोजित किया तथा मतदान केंद्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को 104 व्हीलचेयर दान किए। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति (एसटी) आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को 20 स्टेनलेस

स्टील डाइनिंग टेबल, 110 डबल–डेकर लोहे के बिस्तर, 220 गद्दे और 220 तकिए की आपूर्ति के माध्यम से सहायता प्रदान की गई, जिससे छात्रों के रहने की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

कंपनी ने लुगु मुर्मू आवासीय जनजातीय स्कूल, भाटिन में 230 अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को छह महीने तक मध्याह्न भोजन सहायता भी प्रदान की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, जादुगोड़ा खनन क्षेत्र के 25 स्कूलों में योग सत्र आयोजित किए गए, साथ ही योग मैट भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, "प्लास्टिक को ना कहें" अभियान के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें पुनः प्रयोज्य जूट बैग, स्टील की बोतलें और लंच बॉक्स वितरित करना शामिल था, जिससे स्थिरता और सामुदायिक कल्याण के प्रति यूसीआईएल की प्रतिबद्धता को बल मिला।

2. पेयजल एवं स्वच्छता

पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में, कंपनी ने ग्रामीण समुदायों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्राथमिकता देना जारी रखा। वर्ष के दौरान, पीने योग्य पानी का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराने के लिए जादूगोड़ा के आसपास के गांवों में सात (07) जल मीनारों का निर्माण किया गया। निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बागजाता, मोहुलडीह और नरवापहाड़ खदानों में पानी के टैंकर तैनात किए गए, साथ ही गर्मी के चरम महीनों के दौरान मौसमी व्यवस्था की गई और तीन साल की संविदा व्यवस्था के तहत ड्राइवरों की नियुक्ति की गई।

स्वच्छता और सफाई में सुधार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप, तालसा प्राथमिक विद्यालय और सुंदरनगर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में शौचालयों का निर्माण किया गया।

आईटीसी तुरामडीह में आरओ वाटर प्यूरीफायर खरीदे गए और स्थापित किए गए, जिससे शैक्षिक परिवेश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के कंपनी के व्यापक प्रयासों को बल मिला। वेमुला में सरकारी समाज कल्याण बालक छात्रावास में एक आरओ संयंत्र भी स्थापित किया गया, साथ ही नवीनीकरण कार्य भी किया गया, तथा वेमुला मंडल के आईटीआई और जूनियर कॉलेज में अतिरिक्त पेयजल सुविधाएं भी प्रदान की गईं।

कंपनी ने अपने सीएसआर परिचालन क्षेत्रों में सभी मौजूदा आरओ संयंत्रों की व्यापक मरम्मत और उन्नयन का कार्य भी किया, जिसमें स्पेयर पार्ट्स की खरीद, बिजली बिलों का भुगतान और तुम्मलापल्ली क्षेत्र में निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र संचालकों के लिए मानदेय का प्रावधान शामिल है। इन उपायों के पूरक के रूप में, महत्वपूर्ण जल–संबंधी बुनियादी ढांचे के कार्य, जैसे कि सिंचाई नाले पर पुलिया का निर्माण, के.के. कोटाला में पाइपलाइन विस्तार कार्य, तथा यूसीआईएल के सीएसआर कवर वाले गांवों में तीव्र आवश्यकता के दौरान विभिन्न गांवों में पेयजल टैंकरों का प्रावधान निष्पादित किए गए।

राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप, यूसीआईएल तुम्मलापल्ली में सफाई अभियान चलाया गया, तथा यूसीआईएल जादुगोड़ा में कॉलोनी गेट से लेकर रियर गेट तक सड़क सफाई गतिविधियों के लिए समर्पित जनशक्ति तैनात की गई। ये पहल सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार करने और जिन समुदायों की वह सेवा करती है, वहां स्वच्छता को बढ़ावा देने पर कंपनी के निरंतर ध्यान को दर्शाती हैं।

3. शिक्षा सहायता

शिक्षा के क्षेत्र में, कंपनी ने अपने समुदायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रित प्रयास जारी रखे। सामाजिक संवर्धन शिक्षा कार्यक्रम (एसईईपी) के अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार (आरटीई) ढांचे के अंतर्गत छात्रों को सहायता प्रदान की गई, जिससे आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हुई। यूसीआईएल तुम्मलापल्ली से जुड़े सीएसआर–आच्छादित गांवों के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिससे वे वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च अध्ययन कर सकेंगे।

कंपनी ने शैक्षणिक और तकनीकी मंचों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान साझा करने और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित किया। इसने जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेएनटीयू), पुलिवेंदुला में एक प्रमुख तकनीकी उत्सव "यंत्र 2K24" को प्रायोजित किया,

और जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अनंतपुर (जेएनटीयूए), पुलिवेंदुला के समर्थन में अनुदान को मंजूरी दी, जिससे छात्रों के बीच नवाचार और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा मिला। जरूरतमंद संस्थानों के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों जैसे कंप्यूटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनों की खरीद और प्रावधान के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया गया, जिससे प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल शिक्षण क्षमता में वृद्धि हुई।

इसके अलावा, यूसीआईएल ने "सीएसीएम–2024" को अपना संरक्षण प्रदान किया, जो कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद द्वारा आयोजित सामग्री लक्षण वर्णन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जो उन्नत सामग्री अध्ययन में वैज्ञानिक आदान–प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर–आच्छादित स्कूलों में बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए, जिनमें रोहिल यूरेनियम परियोजना और नरवापहाड़ खदानों के आसपास के स्कूलों के लिए 1,500 इकाइयां शामिल हैं, जिससे छात्रों को आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ सहायता मिली। इन पहलों के माध्यम से, यूसीआईएल ने अपने परिचालन क्षेत्रों में शैक्षिक विकास, कौशल संवर्धन और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।

4. बुनियादी ढांचा विकास पहल

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने सामुदायिक सुविधाओं, शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वच्छता, खेल और आवश्यक उपयोगिताओं से जुड़ी परियोजनाओं के साथ सीएसआर–आच्छादित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना जारी रखा। सामुदायिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, तथा राचाकुंटापल्ली में भाभा सामुदायिक हॉल, सभी का उद्देश्य सामाजिक समारोहों, कल्याणकारी गतिविधियों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए समावेशी स्थान बनाना है। सीताडांगा स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने और एम.सी. पल्ले गांव में एम.पी.पी. स्कूल को आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, जिससे छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण की सुविधा मिल सके।

ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए, कुतुडीह तक पीसीसी सड़कें निर्माण सहित कई सड़क और मार्ग परियोजनाएँ शुरू की गईं। भुदरुडीह खेल मैदान में एक मंच और शेड के निर्माण और वेलपुला गाँव के खेल के मैदान में एक आश्रय स्थल के निर्माण के माध्यम से खेल और मनोरंजन सुविधाओं को भी उन्नत किया गया, जिससे स्थानीय खेल गतिविधियों और सामुदायिक आयोजनों को बढ़ावा मिला।

स्वच्छता के क्षेत्र में, तलसा और नंदुप गांवों के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कुल चार (04) घरेलू शौचालय और स्नानघरों का निर्माण किया गया, जिससे बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में योगदान मिला। छह गांवों में 63 सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ आवश्यक प्रकाश और जल सुविधाओं को भी बढ़ाया गया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और शाम की गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, स्थानीय त्योहारों के दौरान विसर्जन गतिविधियों को समर्थन देने के लिए गुर्रा नदी पर बुनियादी सुविधाएं बनाई गईं, जिससे सुविधा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखा गया। ये पहल सामूहिक रूप से आसपास के समुदायों के लाभ के लिए समग्र और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के निरंतर प्रयास को दर्शाती हैं।

5. खेल, संस्कृति और जन जागरूकता पहल

खेल, सांस्कृतिक विकास और जन जागरूकता के क्षेत्र में, कंपनी ने सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने, स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई पहल कीं। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को समर्थन देने और पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने के लिए, यूसीआईएल ने जादूगोड़ा, भाटिन, बागजाता और नरवापहाड़ के आसपास के गांवों में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के संगीत वाद्ययंत्र खरीदे और वितरित किए, जिससे स्थानीय समूहों को सांस्कृतिक उत्सवों और सामुदायिक समारोहों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद मिली। खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में, कंपनी ने स्कूलों और ग्रामीण समुदायों को खेल सामग्री और पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही सिद्धू कान्हू मेमोरियल हाई स्कूल और नमया स्माइल फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को लक्षित समर्थन दिया, जिससे प्रतिभाओं का पोषण हुआ और खेल गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहन मिला।

मिशन पंखुड़ी (एमडब्ल्यूसीडी योजना) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैडमिंटन रैकेट के वितरण के माध्यम से लड़कियों के लिए खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें खेल विकास में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए सीएसआर के माध्यम से सांस्कृतिक संवर्धन को और अधिक समर्थन दिया गया, जिसमें चटिकोचा में माघे का उत्सव और यूसीआईएल नरवापहाड़–भाभा ऑडिटोरियम में कारगिल विजय दिवस का आयोजन शामिल है। कंपनी ने जन जागरूकता पहलों को भी अपना समर्थन दिया, विशेष रूप से शरदोत्सव 2024 को प्रायोजित किया और सीएसआर के माध्यम से जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कार्यक्रम सुविधा के संदर्भ में, यूसीआईएल ने जनुमदी प्राकृतिक फाइबर केंद्र को नवीकरण कार्यों और इसकी जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की, जिससे स्थानीय शिल्प और आजीविका के संरक्षण में योगदान मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने रखरखाव कार्य, पहुंच मार्गों की मरम्मत और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके जादूगोड़ा, इंचरा, इट्टाभट्टा और नरवापहाड़ में छठ पूजा समारोह के सुचारू आयोजन में सहायता की। इन लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, यूसीआईएल ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देने और अपने परिचालन क्षेत्रों में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

6. महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पहल

कंपनी लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही। वर्ष के दौरान, स्वरोजगार को सुगम बनाने तथा जमीनी स्तर पर आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए 19 सिलाई मशीनें खरीदी गईं तथा उन्हें आस–पास के गांवों की महिलाओं में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे नए कौशल प्राप्त कर सकें और छोटे पैमाने पर घर–आधारित उद्यम शुरू कर सकें। सूक्ष्म उद्यमिता को और अधिक समर्थन देने के लिए, सीएसआर पहल के तहत डोना पत्ता (पत्ता प्लेट) सामग्री की आपूर्ति की गई, जिससे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद निर्माण और स्थानीय व्यापार के अवसरों के लिए रास्ते खुल गए।

महिलाओं में रोजगार क्षमता बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए केंद्रित कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। होए–संघर्ष महिला समिति के सहयोग से तुरामडीह क्षेत्र में 20 बेरोजगार महिलाओं के लिए छह महीने का सिलाई पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को व्यावहारिक परिधान–निर्माण कौशल से लैस किया गया। इसके अलावा, बी.जी.पल्ले की 100 महिलाओं को कटाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें व्यावसायिक क्षमताओं से सशक्त बनाया जा सके, जिसका लाभ वे स्वतंत्र आय या स्थानीय परिधान इकाइयों में रोजगार के लिए उठा सकती हैं। इन उपायों के माध्यम से, यूसीआईएल ने न केवल महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, बल्कि समावेशी और सतत सामुदायिक विकास के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान दिया।

7. सशस्त्र सेना झंडा दिवस

पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) हेतु 8.60 लाख रुपये का अंशदान प्रदान किया गया है।

इन पहलों के माध्यम से, यूसीआईएल ने स्थानीय समुदायों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना, जीवन स्तर में सुधार करना और अपने परिचालन क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना जारी रखा है। बोर्ड कंपनी के मूल्यों, वैधानिक दायित्वों और राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य के अनुरूप इन पहलों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल सीएसआर व्यय 797.85 लाख रुपये होगा (वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों का नोट 27–सी)।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशक कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा की अध्यक्षता में सीएसआर समिति का गठन किया है। वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकें 25.07.2024, 25.11.2024 और 18.03.2025 को आयोजित की गईं। 31.03.

2025 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1	कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक	: अध्यक्ष
2	श्रीमती अंजलि सिन्हा (संयुक्त सचिव), आई एंड एम, डीएई	: सदस्य
3	श्री धीरज पांडे, निदेशक, एएमडी	: सदस्य
4	श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल	: सदस्य
5	निदेशक (वित्त) यूसीआईएल	: सदस्य

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए यूसीआईएल के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के नोट 27 (सी) के अनुसार, जिसे 31.07.2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक संख्या 295 में रखा गया और अनुमोदित किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर व्यय निम्नानुसार है :

लाखों रुपये में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वर्षों का कुल शुद्ध लाभ	119678.14
शुद्ध लाभ का औसत (पीबीटी)	39892.71
कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर के लिए निर्धारित प्रतिशत	2%
वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि	797.85
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तव में खर्च की गई राशि	764.16
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अतिरिक्त सीएसआर व्यय से समायोजित की जाने वाली राशि	33.70
सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध शेष अतिरिक्त / अतिरिक्त सीएसआर व्यय	44.19

(31.03.2025 तक सेट–ऑफ किया जाएगा)

लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार यह स्पष्ट है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर मदों पर 218.93 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है और इसे कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अगले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2022–23 और उसके बाद के लिए) के दौरान समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 33.70 लाख रुपये की कमी को यूसीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021–22 में यूसीआईएल द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से समायोजित किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 33.70 लाख रुपये की कमी को भी वित्त वर्ष 2021–22 में खर्च की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से समायोजित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 में 88.64 लाख रुपये के समायोजन के बाद 31.03.2025 तक समायोजन के लिए 44.19 लाख रुपये की शेष अधिशेष राशि उपलब्ध है और इसका उपयोग किया गया (33.70 लाख रुपये की सीमा तक) और अगले वित्त वर्ष यानी 2025–26 में समायोजन के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है।

संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 7 (3) के अनुसार, जहां कोई कंपनी उप–धारा 135(5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध तुरंत बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक सेट–ऑफ किया जा सकता है।

12.0 निगम से संबंधित शासन प्रणाली :

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–II में दी गई है।

13.0 सार्वजनिक जमा :

आपकी कंपनी जनता से "जमा" स्वीकार नहीं करती है।

14.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण :

आपकी कंपनी निरंतर सुधार के साथ सतत विकास के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं की भावना को बनाए रखती है। आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों के आसपास पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है। जादूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ली स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की स्वास्थ्य भौतिकी इकाई सभी प्रचालनों और उसके आसपास के क्षेत्रों की आवधिक रेडियोलॉजिकल और पर्यावरणीय निगरानी करती है। वायु पर्यावरण में बाह्य गामा विकिरण, रेडॉन सांद्रता, निलंबित कण पदार्थ, वायुजनित दीर्घकालीन अल्फा गतिविधि की निगरानी की जाती है। क्षेत्र के सतही और भूजल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों और कृषि उपज में रेडियो न्यूक्लाइड की सांद्रता की समय–समय पर निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी ने अपनी सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण निगरानी और वैधानिक अनुपालन हेतु एक वरिष्ठ स्तर

के अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यावरण इंजीनियरिंग सेल (ईईसी) की स्थापना की है। सभी संचालित खदानों और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और अन्य नियामक निकायों से वैधानिक अनुमति प्रदान की गई है। सतत विकास और संसाधन संरक्षण की दिशा में, औद्योगिक उद्देश्य के लिए सभी खदान उत्सर्जनों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के प्रयास किए गए हैं। संबंधित खदान से निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों तक खदान से निकलने वाले पानी को एकत्रित करने के लिए कई किलोमीटर लम्बी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। खदान से निकले पानी को सतह पर एकत्र किया जाता है और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। टाउनशिप से निकलने वाले सीवेज का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट को अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (ईटीपी) में उपचारित किया जाता है। उपचारित सीवेज को आंशिक रूप से हरित पट्टी सिंचाई और बागवानी के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से उपचारित अपशिष्ट जल को औद्योगिक प्रयोजन के लिए आंशिक रूप से पुनर्चक्रित किया जाता है। ईटीपी और एसटीपी से अतिरिक्त उपचारित निर्वहन को निर्धारित निर्वहन मानकों के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पहले विनियामक अनुपालन के लिए निगरानी की जाती है। भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए, आपकी कंपनी ने बागजाता माइंस, जादुगोड़ा माइंस, भाटिन माइंस, तुरामडीह माइंस, बंदुहुरांग माइंस और मोहुलडीह माइंस में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया है। ईईसी नियमित रूप से भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। झारखंड में कंपनी के सभी अस्पतालों से जैव–चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार सामान्य निपटान सुविधा में किया जाता है। आपकी कंपनी के सभी अस्पतालों के लिए जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त कर लिया गया है। आपकी कंपनी ने अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से उत्पन्न अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए अपशिष्ट निपटान प्रणाली, टेलिंग तालाबों की व्यवस्था की है। आपकी कंपनी ने अपनी खदानों और टेलिंग तालाब के आसपास के क्षेत्र में अपशिष्ट डंपों का प्रगतिशील पुनरुद्धार कार्य शुरू किया है। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, कंपनी प्रगतिशील वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है। आपकी कंपनी एक आईएसओ–14001:2015 प्रमाणित संगठन है। उपरोक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी आईएसओ–14001:2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव करती है। आपकी कंपनी ने जागरूकता पैदा करने के लिए 25.04.2022 को जादूगोड़ा ऑफिसर्स क्लब में यूसीआईएल डॉक्टरों द्वारा भटिन माइंस के पास रहने वाले आस–पास के समुदाय को स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की थी। विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व ओजोन दिवस क्रमशः 5 जून और 16 सितम्बर को मनाया जाता है। तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सतत खनन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को चिह्नित करने के लिए, 5 जून 2024 को "विश्व पर्यावरण दिवस" के अवसर पर, आपकी कंपनी ने यूसीआईएल की सभी इकाइयों में साल, नीम, करंज, करम, आम, अमरूद, कटहल, जामुन आदि स्थानीय प्रजातियों के 1000 वृक्षारोपण किए। वृक्षारोपण कार्य का उद्घाटन यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एस. के. सतपति ने तुरामडीह में श्री मनोज कुमार, निदेशक, निदेशक (तकनीकी) यूसीआईएल और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन एवं अधिकारियों की उपस्थिति में किया और तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सतत खनन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को चिह्नित करने के लिए और 16 सितंबर 2024 को "विश्व ओजोन दिवस" के अवसर पर, आपकी कंपनी ने एमटीसी नरवापहाड़ में "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल : एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एस. के. सतपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, यूसीआईएल के निदेशक (तकनीकी) श्री मनोज कुमार विशिष्ट अतिथि थे, तथा महाप्रबंधकगण जैसे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं श्री आर.के.मिश्रा, उप महाप्रबंधक (सिविल, पर्यावरण एवं सीआरडी) और डॉ. पी.के. अधिकारी, मुख्य अधीक्षक (भौतिकी) द्वारा ओजोन क्षरण एवं पर्यावरण प्रबंधन पर केंद्रित विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। प्लास्टिक को ना कहने के प्रतीक के रूप में प्रतिभागियों को जूट के बैग वितरित किए गए।

15.0 आईएसओ [ISO] प्रमाणन :

आपकी कंपनी आईएसओ प्रमाणन और आईएसओ–14001:2015 प्रमाणित संगठन को उचित महत्व देती है। उपरोक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी आईएसओ–14001:2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव जारी रखे हुए है। कंपनी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी कार्यान्वित की गई जो आईएसओ 45001:2018 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है।

16.0 लघु एवं मध्यम उद्योग (एसएमई)

सरकारी निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी समाज के समावेशी विकास की दिशा में अपने कार्यों में लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका का स्वागत करती है तथा उसे मान्यता देती है। 2024–25 के दौरान एसएमई को दिए गए ऑर्डर लगभग 383.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 228.06 करोड़ रुपये) थे।

17.0 विदेश यात्रा

वर्ष 2024–25 के दौरान विदेश यात्रा पर व्यय 5.53 लाख रुपये था (पिछले वर्ष शून्य)।

18.0 विज्ञापन और प्रचार

वर्ष के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय 15.07 लाख रुपये हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह 11.77 लाख रुपये था। यह व्यय मुख्यतः नई नियुक्तियों, निविदा सूचनाओं आदि से संबंधित विज्ञापनों पर किया गया। आपकी कंपनी अपने विज्ञापन एवं प्रचार व्यय के प्रबंधन हेतु विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अपनी वेबसाइट के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है।

19.0 हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

आपकी कंपनी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अधिदेशों और निर्देशों का पालन करती है। हिंदी प्रकोष्ठ हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य देखता है तथा इस संबंध में जारी विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हिंदी अनुभाग प्रशासनिक प्रमुख के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। हिंदी अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी पखवाड़ा समारोह जैसी हिंदी प्रचार गतिविधियां आयोजित करता है। इसके अंतर्गत हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण एवं प्रारूपण, स्वरचित कविता, भाषण, पत्र लेखन, अनुवाद और प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और हिंदी पखवाड़ा समारोह के समापन समारोह के अवसर पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी 'वार्षिक कार्यक्रम' में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति [आईओसीएल], तिमाही आधार पर हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। यह राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित सुझाव देता है और उपाय सुझाता है तथा सक्रिय योगदान भी देता है। वर्ष 2024–25 में 16.09.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। यूसीआईएल को वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नराकास, जमशेदपुर द्वारा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरवापहाड़ एवं तुम्मलापल्ली में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. राजभाषा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत तुम्मलापल्ली में हिंदी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा नरवापहाड़ में 'राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु नियम' तथा 'आधुनिक कंप्यूटिंग उपकरण एवं राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन' विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए।

20.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

मेसर्स अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स [ER0435] जैन विला, गुरु नानक स्कूल के पास, पीपी कंपाउंड, रांची–834001 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त हुआ है। मेसर्स अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स [ER0435] चार्टर्ड अकांउटेंड को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के सांबिधिक लेखा परीक्षक के रुप में पुनः नियुक्त किया गया है।

21.0 लागत लेखापरीक्षा

मेसर्स टाइप्सगो एंड कंपनी, गोरखपुर, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नियुक्त किया गया। कंपनी लागत लेखांकन रिकॉर्ड (खनन और धातुकर्म) नियम 2001 के

अनुसार, कंपनी द्वारा लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखा जा रहा है।

22.0 सतर्कता

आपकी कंपनी संगठन के निर्धारित नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करके निवारक सतर्कता के उच्च मानक को बनाए रखती है। सीवीसी के दिशानिर्देश प्राप्त होने पर उनका सख्ती से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी प्रकार की निविदा आमंत्रण सूचना [एनआईटी], कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल [सीपीपीपी], पर अपलोड की जा रही है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार 2.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत वाली सभी खरीद और सेवाओं के लिए ई–प्रोक्योरमेंट अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं। पारदर्शिता में सुधार के लिए, "ईमानदारी संधि" के साथ–साथ धोखाधड़ी निवारण नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और लागू किया गया है। सतर्कता इकाई का नेतृत्व पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) द्वारा किया जाता है, जो यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है।

यूसीआईएल में 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2024 मनाया गया, जिसका विषय "राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति" था ।

श्री रोहित राजीव पास्कल कुजूर का कार्यकाल 10 जुलाई 2025 को पूरा हो गया है। श्री पी कृष्ण कुमार (आईटीएस) सीवीओ, ईसीआईएल को 11 जुलाई 2025 से सीवीओ यूसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

23.0 निदेशकों की नियुक्ति :

निदेशकों का नाम	से प्रभावी नियुक्ति
डॉ. काचम आनंद राव	01.09.2025
श्री संदीप राज, आईआरएस, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, डीएई	02.07.2025
श्री बिक्रम केशरी दास, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल	29.01.2025
श्री यू एम शिंदे, आईएफए, डीएई	05.03.2025

झारखंड के मुख्य सचिव यूसीआईएल के पदेन बोर्ड सदस्य हैं।

डॉ. काचम आनंद राव, उत्कृष्ट वैज्ञानिक और प्रमुख (मिन.डी), बीएआरसी, डीएई को डीएई पत्र संख्या 10/5(2)/2023–पीएसयू/11518 दिनांक 29.08.2025 के तहत यूसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को संभालने का प्रभार सौंपा गया था। तदनुसार, डॉ. काचम आनंद राव ने 1 सितंबर 2025 (ए/एन) से यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

इसके बाद, डीएई ने पत्र संख्या 11794 दिनांक 04.09.2025 के माध्यम से डॉ. काचम आनंद राव को यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराया, जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल के पद का कार्यभार संभालने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31–3–2029 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक होगा।

निदेशकों की समाप्ति :

डॉ. एस.के. सतपति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल	31.08.2025
श्री एस. बी. मोहंती, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल	28.01.2025
श्री यू एम शिंदे, आईएफए, डीएई	02.07.2025

निदेशकगण यूसीआईएल बोर्ड के उपर्युक्त सदस्यों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना करना चाहते हैं ।

24.0 आउटलुक

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है। आपकी कंपनी विभिन्न ग्रीन और ब्राउन फील्ड विस्तार परियोजनाओं से संबंधित पूर्व–परियोजना गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम परियोजना को खोलने के लिए खनन पट्टा देने के लिए आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रोहिल यूरेनियम परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) जारी की हैं। रोहिल स्थल

पर आधारभूत अध्ययन जैसे पर्यावरणीय डेटा सृजन, एचपीयू, बीएआरसी द्वारा रेडियोलॉजिकल निगरानी, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण आदि पूरे किए गए। राज्य सरकार के साथ ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट आदि के संबंध में अधिसूचना का कार्य प्रगति पर है।

25.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक बताते हैं :

(i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) आपके निदेशकों ने वार्षिक खाते "गोइंग कंसर्न" के आधार पर तैयार किए हैं।

(v) आपके निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

26.0 पावती

कंपनी अध्यक्ष, एईसी और सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीएई और उनके अधिकारियों की टीम, निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और उनकी टीम, निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय और उनकी टीम, मुख्य कार्यकारी, परमाणु ईंधन परिसर और उनकी टीम, परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल), झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य मंत्रालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड– IV, नई दिल्ली, बैंकरों और अन्य सभी एजेंसियों से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन को स्वीकार करती है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी से जुड़े हैं। आपकी कंपनी सभी बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थन, मार्गदर्शन और योगदान के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करती है। कंपनी के कर्मचारियों के भी उनके ईमानदार प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। कर्मचारी संघों और अधिकारी संगठन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार। आपकी कंपनी यूसीआईएल की सुविधाओं के आसपास रहने वाले समुदाय, स्थानीय मीडिया और देश के प्रमुख एवं जिम्मेदार नागरिकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

निदेशक मंडल की ओर से

(डॉ. काचम आनंद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
जादूगोड़ा
दिनांक : 25 सितंबर 2025

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ, नियम–8 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में।

◆ **ऊर्जा का संरक्षण :**

a) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित / शुरू किए गए

- ➢ पारंपरिक लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें लगाना।
- ➢ 5 स्टार रेटेड एयर कंडीशनरों की स्थापना।
- ➢ संधारित्र बैंकों की स्थापना।
- ➢ स्वचालित स्ट्रीट लाइट नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना।

b) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं :

i) ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली

ii) ऊर्जा कुशल मोटरों की स्थापना।

c) (a) और (b) में उपायों का प्रभाव

उपरोक्त उपाय के कारण कुल ऊर्जा की बचत : 940530 KWH

अर्जित और प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :

आपकी कंपनी किसी निर्यात व्यवसाय में संलग्न नहीं है। तथापि, वर्ष के दौरान सीआईएफ आधार पर पुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए प्रयुक्त विदेशी मुद्रा शून्य रुपये थी (पिछले वर्ष शून्य)।

फार्म–बी

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र :

झारखंड क्षेत्र

विशेष क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां की जाती हैं और उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ :

आंध्र प्रदेश क्षेत्र

यूसीआईएल तुम्मलापल्ली ने देश भर में प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से कुल 7 बीआरएनएस के लिए मुख्य रूप से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पहल की, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

क्र.सं	परियोजना का शीर्षक	क्षेत्र	उपयुक्त संस्थान / पीआई
1	यूसीआईएल तुम्मलापल्ली, कडप्पा, आंध्र प्रदेश और झारखंड की अन्य इकाइयों के लिए निम्न श्रेणी के यूरेनियम अयस्क की निक्षालन दक्षता में सुधार के लिए अध्ययन	रसायन एवं धातुकर्म	सीएसआईआर – खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान
2	तुम्मलापल्ली मिल के गर्म लीच स्लरी के साथ संगत ऑटोक्लेव एजिटेटर के लिए उपयुक्त एमओसी का चयन	यांत्रिकी एवं धातुकर्म	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
3	क्षारीय द्रव के लिए उपयुक्त नैनोफिल्ट्रेशन झिल्ली हेतु चयनात्मकता अध्ययन	रासायनिक और नैनोफिल्ट्रेशन	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
4	ऑटोक्लेव में उच्च तापमान और दबाव अनुप्रयोगों के लिए यूसीआईएल तुम्मलापल्ली, कडप्पा, ए.पी. के घोल के साथ संगत वाल्व का विकास	यांत्रिकी	आईआईटी तिरुपति
5	यूसीआईएल तुम्मलापल्ली, कडप्पा, ए.पी. में बलपूर्वक पुनःपरिसंचरण वाष्पक के माध्यम से उत्पादित सोडियम सल्फेट के कण आकार में वृद्धि।	रसायन	आईआईटी तिरुपति
6	क्षैतिज बेल्ट फिल्टर के लिए एसबीआर ट्रांसपोर्टर बेल्ट को जोड़ने के लिए उपयुक्त बेल्ट और चिपकने वाले पदार्थ का विकासरसायन	रसायन	भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम
7	यूसीआईएल तुम्मलापल्ली, कडप्पा, ए.पी. के लिए सोडियम सल्फेट का मूल्य वर्धित उत्पाद में रूपांतरण।	रसायन	आईआईटी बीएचयू

इसके अतिरिक्त, नीचे उल्लिखित शोध भी उल्लेखनीय था :

क्र.सं.	अनुसंधान एवं विकास	कार्यप्राप्त लाभ	भविष्य की कार्य योजना
	भूमिगत खदानों की बैकफिलिंग के लिए उच्च–पीएच यूरेनियम टेलिंग स्लरी का निष्प्रभावीकरण	– CO_2 उदासीनीकरण को पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ विधि के रूप में प्रदर्शित किया गया। – हानिकारक आयनों को शामिल किए बिना घोल के पीएच को सुरक्षित सीमा (7–8) तक कम किया गया। – बेहतर निपटान विशेषताएं (24 घंटे में तल की ऊंचाई 13.0 सेमी से 14.4 सेमी तक बढ़ गई)। – अपशिष्ट उपचार से CO_2 का पुनः उपयोग करके रासायनिक खपत को न्यूनतम किया गया। – श्रमिकों की सुरक्षा में वृद्धि तथा पर्यावरण मानकों का अनुपालन।	– निरंतर खदान परिचालन के लिए CO_2 आधारित न्यूट्रलाइजेशन का स्केल–अप और पायलट परीक्षण। – लागत को और कम करने के लिए अपशिष्ट–जनित CO_2 पुन : उपयोग प्रणाली का एकीकरण। – स्थिरता,यूरेनियम निक्षालन और भूजल संरक्षण के लिए बैकफिल्ड क्षेत्रों की दीर्घकालिक निगरानी। – यूसीआईएल इकाइयों में अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास।
	पारंपरिक एमएसआरएल (माइल्ड स्टील रबर लाइन्ड) पाइपलाइनों के स्थान पर टेलिंग पॉन्ड क्षेत्र में एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन) पाइपों का कार्यान्वयन	– लागत में पर्याप्त कमी। – वजन में उल्लेखनीय कमी (एचडीपीई एमएसआरएल वजन का 9%), जिससे हैंडलिंग आसान हो जाती है। – अम्लीय/क्षारीय घोल के प्रति बेहतर प्रतिरोध। – समय लेने वाली बोल्टेड फिटिंग की तुलना में फ्यूजन जोड़ों (प्रति जोड़ 8–10 मिनट) के माध्यम से तेज और सरल निर्माण। – कम जनशक्ति और उपकरण की आवश्यकता (हाइड्रा की आवश्यकता नहीं, केवल 2–3 श्रमिक पर्याप्त)। – अतिरिक्त सहायक संरचनाओं के बिना सीधे जमीन पर पाइप बिछाने की लचीलापन। – एमएसआरएल पाइपलाइनों के तुलनीय जीवन प्रत्याशा।	– टेलिंग पॉन्ड क्षेत्रों में एमएसआरएल पाइपलाइनों को एचडीपीई पाइपलाइनों से धीरे–धीरे प्रतिस्थापित करना। – निरंतर स्लरी निर्वहन स्थितियों के तहत एचडीपीई पाइपलाइनों की पायलट–पैमाने पर प्रदर्शन निगरानी का संचालन करना। – कंपनी–व्यापी अपनाने के लिए लागत–लाभ विश्लेषण विकसित करें। – एचडीपीई पाइपलाइन स्थापना, रखरखाव और संलयन संयोजन के लिए प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना। – यूसीआईएल इकाइयों में अन्य स्लरी हैंडलिंग अनुप्रयोगों में एचडीपीई पाइपलाइनों के उपयोग की संभावना तलाशना।

1. उर्जा सरंक्षण :

उपकरण	कार्रवाई	लाभ
संधारित्र बैंक (यूजी मोटर्स)	मोटरों के लिए भूमिगत संधारित्र बैंक स्थापित किए गए	खान का पावर फैक्टर 0.90 से 0.95 तक बेहतर हुआ
एचटी कैपेसिटर बैंक (यूजी सबस्टेशन)	पावर फैक्टर सुधार के लिए भूमिगत सबस्टेशन पर एक एचटी कैपेसिटर बैंक स्थापित किया गया	उन्नत प्रणाली दक्षता और प्रतिक्रियाशील पावर हानि में कमी
कंपनी–व्यापी (खान और मिल)	उद्योगों (सभी यूसीआईएल इकाइयों) के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत प्रस्ताव हेतु डीएई के साथ समन्वय	समग्र पावर फैक्टर 0.98 पर बनाए रखा गया, सौर ऊर्जा को अपनाने की संभावना

2. **भविष्य की कार्य योजना :**

- अंतिम उपयोगकर्ता के सामने आने वाली परिचालन कठिनाइयों को दूर करने तथा डीएई द्वारा रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को न्यूनतम करने के लिए सोडियम डाययूरेनेट से ताप उपचारित यूरेनियम पेरोक्साइड में उत्पाद परिवर्तन को अपनाया जा रहा है। वर्तमान में उपकरणों की खरीद अंतिम चरण में है तथा विभिन्न कार्यों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्ताव शुरू कर दिए गए हैं।
- मौजूदा टेलिंग तालाब अपनी सीमा तक पहुंच गया है और मौजूदा टेलिंग तालाब की ऊंचाई बढ़ाने का काम शुरू किया गया है और इसके लिए परामर्शदाता मेसर्स डीसीपीएल को नियुक्त किया गया है।
- यूरेनियम और रेडियम को हटाने के लिए खदान के पानी के साथ–साथ निस्तारित जल के प्रबंधन हेतु ईटीपी स्थापित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए बजटीय प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

नई परियोजनाएं :

1. **नए टेलिंग निपटान का विकास :** मौजूदा खदान पट्टा उत्पादन और भविष्य की विस्तार परियोजनाओं को समायोजित करने के लिए मौजूदा टेलिंग पॉन्ड के निकट ही नए टेलिंग पॉन्ड के लिए स्थल की पहचान कर ली गई है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण जैसी परियोजना–पूर्व गतिविधियाँ भी पूरी हो चुकी हैं। तकनीकी अध्ययन के लिए एनजीआरआई को शामिल करने का कार्य प्रगति पर है।

2. **तुम्मलापल्ली डीप परियोजना, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला:** परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने तुम्मलापल्ली खदान के गहरे स्तर में अतिरिक्त अयस्क संसाधन सौंप दिए हैं। इसे देखते हुए, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की है। इसके बाद, खान एवं भूविज्ञान विभाग (डीएमजी) के निदेशक ने आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव को कडप्पा के जिला कलेक्टर को भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।

3. **कन्नमापल्ली परियोजना, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला:** राज्य सरकार को अभी भी एएमसीआर–2016 के अनुसार सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करना बाकी है। तथापि, कन्नमापल्ली खनन ब्लॉक में 800 मीटर की ऊर्ध्वाधर गहराई तक अतिरिक्त संसाधनों के हस्तांतरण के कारण, यूसीआईएल ने एएमडी से अनुरोध किया है कि वह एएमसीआर–2016 के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार को संशोधित भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एएमडी ने टीएमपीएल–II ब्लॉक की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट निदेशक, डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की, जो कन्नमापल्ली खनन ब्लॉक का एक हिस्सा है। खान एवं भूविज्ञान विभाग (डीएमजी) के निदेशक ने आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव को कडप्पा के जिला कलेक्टर को भेज दिया है । मामले की आगे कारवाई की जा रही है।

4. **गोगी और कंचनकायी परियोजनाएँ, कर्नाटक का यादगीर जिला:** राज्य सरकार ने अभी तक गोगी डिपॉजिट के संबंध में एएमसीआर–2016 के अनुसार सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करने का काम शुरू नहीं किया है। जिला प्रशासन ने कंचनकायी भंडार और गोगी परियोजना के संबंध में सटीक क्षेत्र और भूमि अनुसूची का सीमांकन कर लिया है तथा इसे खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, बेंगलुरू को सौंप दिया है। संभावित पट्टेदार (यूसीआईएल) को नामित करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा डीएई को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा है।

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – II
निगम से संबंधित शासन प्रणाली

आपकी कंपनी अपने परिचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाब देही और ईमानदारी के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हुए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनाने में विश्वास करती है और इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

निदेशक मंडलः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की सम्पूर्ण चुकता पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें इसके नामिति व्यक्तियों के पास मौजूद 3 शेयर भी शामिल हैं।

बोर्ड में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन है। बोर्ड में दस निदेशक शामिल हैं जिनमें (i) तीन पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त) और (ii) सात अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अंतराल पर होती है और यह कंपनी के उचित निर्देशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छह बैठकें 22.05.2024, 16.07.2024, 27.09.2024, 26.11.2024, 21.02.2025 और 24.03.2025 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है ।

नाम और पद दिनांक 31.03.2025 तक	वर्ग	बोर्ड बैठक		27.09.2024 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए		
कार्यकारी निदेशक					
डॉ. एस.के. सतपति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01.03.2024 से	कार्यात्मक अतिरिक्त प्रभार	01	01	हाँ	
श्री बी के दास, निदेशक (वित्त)– 29.01.2025 से	कार्यात्मक	02	02	–	–
श्री एस बी मोहंती, निदेशक (वित्त), 28.01.2025 तक	कार्यात्मक अतिरिक्त प्रभार	04	04	हाँ	
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) 30.06.2024 तक	कार्यात्मक	01	01	–	–
श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी) 22.08.2024	कार्यात्मक	04	04	हाँ	–
गैर–कार्यकारी निदेशक					
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	अंशकालिक पदेन	06	–	–	–
श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	अंशकालिक पदेन	06	05	हाँ	–
डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	अंशकालिक पदेन	06	05	–	–
श्री धीरज पाण्डे, निदेशक एएमडी	अंशकालिक पदेन	06	05	हाँ	–
कर्नल प्रवत के पांडा, सेना वीरता मेडल (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	06	06	हाँ	–

यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशक के दो पद हैं। यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 31.08.2019 को पूरा हो गया।

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा को 26 मार्च 2022 को प्राप्त डीएई पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 के माध्यम से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र निदेशक कर्नल पांडा का कार्यकाल 24 मार्च 2025 को पूरा हो गया। वर्तमान में यूसीआईएल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए डीएई द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रक्रियाधीन है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है। जहां तक अंशकालिक निदेशकों का प्रश्न है, सरकारी अधिकारी या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी, उनके द्वारा भाग ली गई बैठकों के लिए बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रत्येक बोर्ड बैठक या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों को 15,000/– रुपये की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है और अधिकतम 2 दिनों के लिए प्रतिदिन 1,000/– रुपये की दर से आकस्मिक व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक कर्नल प्रवत कुमार पांडा, सेना मेडल वीरता (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें 25.04.2024, 16.07.2024, 27.09.2024, 25.11.2024 और 18.03.2025 को आयोजित की गईं।

24.03.2025 तक लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

1. कर्नल(सेवा निवृत्त) प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष
2. श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएइ : सदस्य
3. श्री धीरज पांडे, निदेशक, एएमडी : सदस्य
4. डॉ. कोमल कपूर सीई, एनएफसी : सदस्य
5. मनोज कुमार, निदेशक तकनीकी, यूसीआईएल : सदस्य

यूसीआईएल के कंपनी सचिव ने उपरोक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

पारिश्रमिक समितिः

बोर्ड के निर्देशानुसार, आपकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक कर्नल प्रवत कुमार पांडा, सेना मेडल वीरता (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है।

24.03.2025 तक पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :

1. कर्नल (सेवानिवृत्त) प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव, (आई एंड एम), डीएई – सदस्य
3. डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी – सदस्य
4. राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल – सदस्य
5. श्री बी.के. दास, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल – सदस्य

यूसीआईएल के कंपनी सचिव ने उपरोक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

आचार संहिता :

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू एक आचार संहिता लागू की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

सत्यनिष्ठा संधि के साथ–साथ धोखाधड़ी निवारण नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

आम सभा की बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक नीचे दी गई है;

वर्ष	तिथि	समय	स्थान
असाधारण आम बैठक (एओए में परिवर्तन)	25.06.2025	11:00 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंस
2023–2024	27.09.2024	12:30 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंस
2022–2023	27.09.2023	12:30 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंस
2021–2022	14.09.2022	12:30 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंस

फार्म स0 एम जी टी – 9

वार्षिक विवरण का सारांश

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

I	सीआइएन	(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
II	पंजीकरण की तिथि	04 / 10 / 1967
III	कंपनी का नाम	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
IV	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
V	"पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण"	पीओ : जादूगोड़ा खान जिला : सिंहभूम पूर्वी झारखंड : 832 102 दूरभाष : 0657-2730122 / / 222 / 353 फैक्स : 0657-2730322 ई-मेल : cs@uraniumcorp.in विजिट करें : www.uraniumcorp.in
VI	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
VII	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाना है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल % व्यवसाय
1	U_3O_8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं प्रसंस्करण	लागू नहीं	100

कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत के राष्ट्रपति के पास है

शेयरधारिता विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर	15709630
एनपीसीआईएल, डीएई द्वारा धारित शेयर	5236545
सरकारी नामितियों द्वारा धारित शेयर	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य रु. 1000 / – प्रत्येक)	20946178

ऋणग्रस्तता

(₹. लाख में)

	31.03.2025	31.03.2024
सुरक्षित ऋण (सावधि जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट)	शून्य	शून्य
असुरक्षित ऋण :	शून्य	शून्य
एस.बी.आई जादुगोड़ा से लघु अवधि क्रेडिट कार्ड	शून्य	शून्य
NPCIL से ऋण	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा को 26 मार्च 2022 को प्राप्त डीएई पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

धारा 134 (1) के अंतर्गत बोर्ड और निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है, जिसके निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक आदि का निर्णय डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं आदि का निर्धारण करने के मानदंड सहित बोर्ड और निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ–साथ निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी नीति का ब्यौरा नहीं दी गई है क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के प्रति प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :

i) डॉ. एस.के. सतपति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : 31.08.2025 तक

ii) डॉ. काचम आनंद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : 01.09.2025 से

iii) श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) : 30.06.2024 तक

iii) श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी) : 22.08.2024 से

iv) श्री बी के दास, निदेशक (वित्त) : 29.01.2025 से

v) श्री एस.बी. मोहंती, निदेशक (वित्त) : 28.01.2025 तक

vi) श्री बी सी गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध पर एक समिति का गठन कार्यस्थल पर कामगारों के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत खुलासा की जाने वाली आवश्यक जानकारी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए शून्य है। इसलिए, फॉर्म एओसी–2 को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के साथ कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के तहत आवश्यक है। सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का उल्लेख वार्षिक लेखा के नोट 32 के अंतर्गत किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल यह मानता है कि जोखिम किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में अंतर्निहित है और जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना कंपनी की तत्काल और भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिमों की निगरानी, भौतिक व्यावसायिक जोखिमों के प्रबंधन और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है।

[सीएसआर अनुलग्नक], निदेशक रिपोर्ट 2024–25

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

यूसीआईएल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नैतिक रूप से कार्य करने और व्यवसाय के माध्यम से समाज और ग्रह के सामंजस्यपूर्ण और सतत विकास में योगदान करने के लिए एक सतत प्रतिबद्धता है, साथ ही समुदाय और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

इसलिए, सीएसआर संगठन की अपने हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से काम करने की प्रतिबद्धता है।

2. सीएसआर समिति की संरचना : (24.03.2025 तक)

क्रम सं	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	कर्नल(सेवा निवृत्त) प्रवत कुमार पांडा,	स्वतंत्र निदेशक	3	3
2.	श्रीमति अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	निदेशक	3	3
3.	श्री धीरज पाण्डे निदेशक एएमडी	निदेशक	3	3
4.	श्री मनोज कुमार	निदेशक	2	2
5.	श्री एस. बी. मोहन्ती	निदेशक	2	3
6.	श्री बी के दास	निदेशक	1	1

3. वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों।

https://www.uraniumcorp-in/

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं

5 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।न्य

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (लाख रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (लाख रुपये में)
1.	2022-23	218.93 लाख (2021-22)	86.10 लाख
2.	2023-24	132.83 लाख (2021-22)	88.64 लाख
3.	2024-25	44.19 लाख (2021-22)	33.70 लाख
कुल		**218.93 लाख**	**86.10 लाख**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ.: 39892.71 लाख रुपये

7. (a) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः 797.85 लाख रुपये

(b) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

(c) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई : शून्य

(d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b-7c) : 797.85 लाख रुपये

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरितराशि		
रु: 764.15 लाख रुपये	राशि शून्य	हस्थांतरण की तिथि	फंड का नाम शून्य	राशि	हस्थांतरण की तिथि

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)।	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.											
2.											
3.											
	कुल										

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)।	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	स्वास्थ्य देखभाल	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	448	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
2	पेयजल एवं स्वच्छता	सुरक्षित पेयजल	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	95	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
3	शिक्षा	शिक्षा	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	78	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कौशल विकास	कौशल विकास	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	19	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
5	महिलाओं का सशक्तिकरण	महिलाओं का सशक्तिकरण	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	2.7	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
6	सेना कल्याण	सेना कल्याण	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	8.6	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
7	विकास परियोजनाएं	विकास परियोजनाएं	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	88	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
8	खेल और संस्कृति	खेल	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	24	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
9	पीएम इंटर्नशिप	डीपीई-वार्षिक थीम	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	1.1	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रुपये (लाख में)					**764**			

(सी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि – शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो – लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष (8बी+8सी+8डी+8ई) के लिए कुल व्यय राशि – 764.15 लाख रुपये

(जी) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो ।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	797.85 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	764.15 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि [(ii) &(i),	(33.70) लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो (वित्त वर्ष 2021–22)	132.82 लाख
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) &(iv), {01.04.2023 तक 31.03.2025 तक सेट ऑफ के लिए}	44.19 लाख

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि, (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हा, (रुपये में)			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि(रुपये में)	स्थानांतरण तिथि	

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
1								
2								
3								
	कुल							

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। लागू नहीं

(परिसंपत्तिवार विवरण)

(a) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : शून्य

(b) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि : शून्य

(c) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : शून्य

(d) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) : शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : लागू नहीं

अनुलग्नक-I

प्रमुख आंकड़े

(₹. लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24	2024-25 की तुलना में वृद्धि/(कमी)	2023-24 की तुलना में वृद्धि (कमी) % के रूप में
क. परिचालन परिणाम				
कारोबार	2,18,239.40	2,31,708.26	-13,468.86	-6%
सकल आय	2,35,626.21	2,47,264.44	-11,638.23	-5%
सकल व्यय	2,16,774.87	2,15,051.26	1,723.61	1%
सकल लाभ	18,851.34	32,213.18	-13,361.84	-41%
कर के बाद शुद्ध लाभ	13,902.61	23,863.37	-9,960.76	-42%
ख. वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति				
शेयर पूंजी	2,09,461.78	2,09,461.78	-	0%
अन्य इक्विटी	1,74,280.73	1,80,543.96	-6,263.23	-3%
नियोजित पूंजी	4,12,072.55	4,15,742.85	-3,670.30	-1%
कुल मूल्य (नेटवर्थ)	3,83,742.51	3,90,005.74	-6,263.23	-2%
सकल ब्लॉक	3,62,145.81	3,37,702.39	24,443.42	7%
मूल्यह्रास	2,01,298.78	1,77,571.58	23,727.20	13%
शुद्ध लाभ	1,60,847.03	1,60,130.81	716.22	0%
माल सूची (इंवेन्टरी)	29,048.26	23,259.12	5,789.14	25%
ग. लाभ प्रदत्ता एवं अन्य अनुपात				
(i) प्रतिशत :				
बिक्री में सकल लाभ/हानि	9%	14%		
बिक्री में शुद्ध लाभ/हानि	6%	10%		
कुल मूल्य में सकल लाभ/हानि	5%	8%		
कुल मूल्य में शुद्ध लाभ/हानि	4%	6%		
नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ/हानि	5%	8%		
नियोजित पूंजी में सकल लाभ/हानि	3%	6%		
इक्विटी पूंजी में सकल लाभ/हानि	9%	15%		
बिक्री के लिए माल सूची	13%	10%		
नियोजित पूंजी की बिक्री	53%	56%		
(ii) अनुपात :				
वर्तमान परिसंपत्तियां एवं वर्तमान देयताएं	3.29:1	4.14:1		
वर्तमान देनदारियों के लिए त्वरित संपति	3.40:1	3.79:1		

अनुलग्नक – II

कंपनी की वित्तीय स्थिति

(₹. लाख में)

क्रम. स.	विवरण	2024-25	2023-24	2023–2024 में परिवर्तन (वृद्धि / कमी)
1.	**कंपनी का स्वामित्व**			
(क)	**अचल संपति**			
	सकल ब्लॉक	3,62,145.81	3,37,702.39	24,443.42
	कम : संचित मूल्यह्रास	2,01,298.78	1,77,571.58	23,727.20
	नेट ब्लॉक	1,60,847.03	1,60,130.81	716.22
	अपूर्त परिसम्पतियाँ	433.62	518.83	-85.21
	अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय वं गैर वित्तीय) गैर	68,533.10	23,061.14	45,471.96
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य / स्टॉक	19,763.47	24,357.18	-4,593.71
	उप–योग(क)	**2,49,577.22**	**2,08,067.96**	**41,509.26**
(ख)	**चालू परिसम्पति**			
	(i) सम्पति सूची	29,048.26	23,259.12	5,789.14
	(ii) प्राप्ति योग्य व्यापार	45,011.25	28,271.41	16,739.84
	(iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	6,025.71	8,281.41	-2,255.70
	(iv) नकद और बैंक अधिशोष	1,21,389.54	1,96,005.90	-74,616.36
	(v) अन्य चालू सम्पतियाँ	32,062.89	18,009.94	14,052.95
	उप–योग(ख)	**2,33,537.65**	**2,73,827.78**	**-40,290.13**
	कुल {1(क)+(ख)}	**4,83,114.87**	**4,81,895.74**	**1,219.13**
2.	**कंपनी का स्वामित्व**			
(क)	**गौर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं, चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए**			
	(क)	97,942.08	88,382.10	9,559.98
(ख)	**कंपनी शुद्ध मालियत**			
	इक्विटी शेयर पूंजी	2,09,461.78	2,09,461.78	-
	अन्य इक्विटी	1,74,280.73	1,80,543.96	-6,263.23
	उप–योग(ख)	**3,83,742.51**	**3,90,005.74**	**-6,263.23**
(ग)	आस्थागित कर दायित्व **(ग)**	1,430.28	3,507.90	-2,077.62
	कुल [2(क)+(ख)+(ग)]	**4,83,114.87**	**4,81,895.74**	**1,219.13**

अनुलग्नक – III

कंपनी की आय और व्यय का विवरण

(₹. लाख में)

क्रम. स.	विवरण	2024-25	2023-24	2023–2024 मे परिवर्तन वृद्धि / कमी
1	**कंपनी का स्वामित्य**			
	क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अधिकरण से	2,16,948.43	2,31,182.96	-14,234.53
	ख) गौण उत्पादों की बिक्री से (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	1,290.97	525.39	765.58
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	17,386.81	15,556.18	1,830.63
	उप–योग	**2,35,626.21**	**2,47,264.53**	**-11,638.32**
	घ) अंतिम स्आँक में बृद्वि / कमी	-	3,590.36	3,590.36
	कुल (1)	**2,35,626.21**	**2,43,674.17**	**-8,047.96**
2	**कंपनी द्वारा भुगतान और व्यवस्था**			
	क) खपत की गई सामग्री की लागत	21,983.67	22,524.38	-540.71
	ख) कर्मचारी लाभ व्यय	64,092.83	63,967.56	125.27
	ग) वित्तीय लागत (व्याज व्यय)	568.84	99.77	469.07
	घ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	23,806.98	26,552.41	-2,745.43
	ड़) अन्य व्यय	1,12,082.82	1,05,497.49	6,585.33
	कुल (2)	**2,22,535.14**	**2,18,641.61**	**3,893.53**
3	**कंपनी का सकल लाभ समायोजन से पहले**	18,851.34	32,213.18	-13,361.84
	घटाया : आयकर के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	4,948.73	8,349.81	-3,401.08
4	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ**	**13,902.61**	**23,863.37**	**-9,960.76**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-1,285.66	-4,130.48	2,844.82
5	**वर्ष के लिए व्यापक आय**	**12,616.95**	**19,732.89**	**-7,115.94**

आय का वर्गीकरण

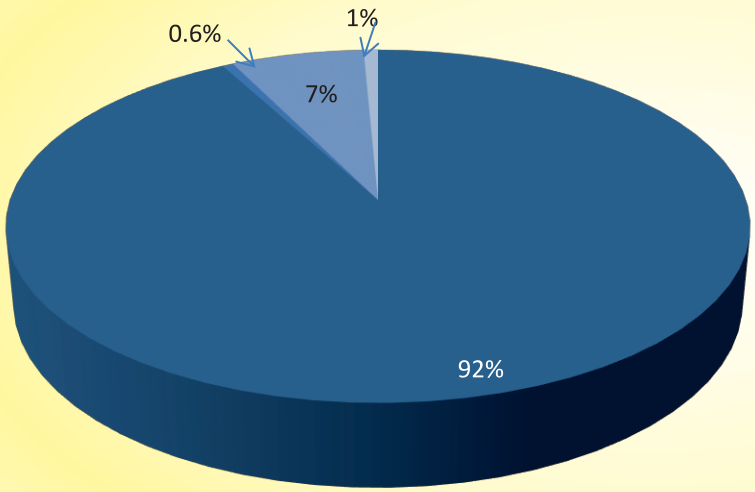

- U_3O_8 क्षतिपूर्ति (2169 करोड़)
- उत्पादों की बिक्री (13 करोड़)
- व्याज (157 करोड़)
- अन्य आय (17 करोड़)

व्यय/परिव्यय का वितरण

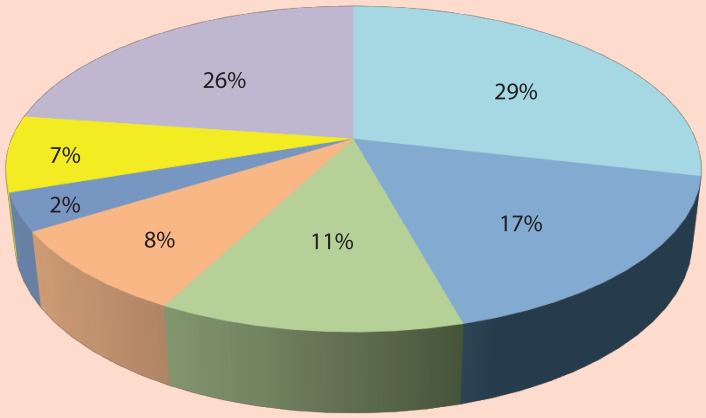

- कर्मचारियों का भुगतान (641 करोड़) 29%
- कच्चा माल, स्ओर और स्पेयर्स (375 करोड़) 17%
- ह्रास (238 करोड़) 11%
- मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (175 करोड़) 8%
- आस्थागित कर सहित कर (49 करोड़) 2%
- ऊर्जा (168 करोड़) 7%
- अन्य व्यावसायिक व्यय (570 करोड़) 26%

आय में वृद्धि

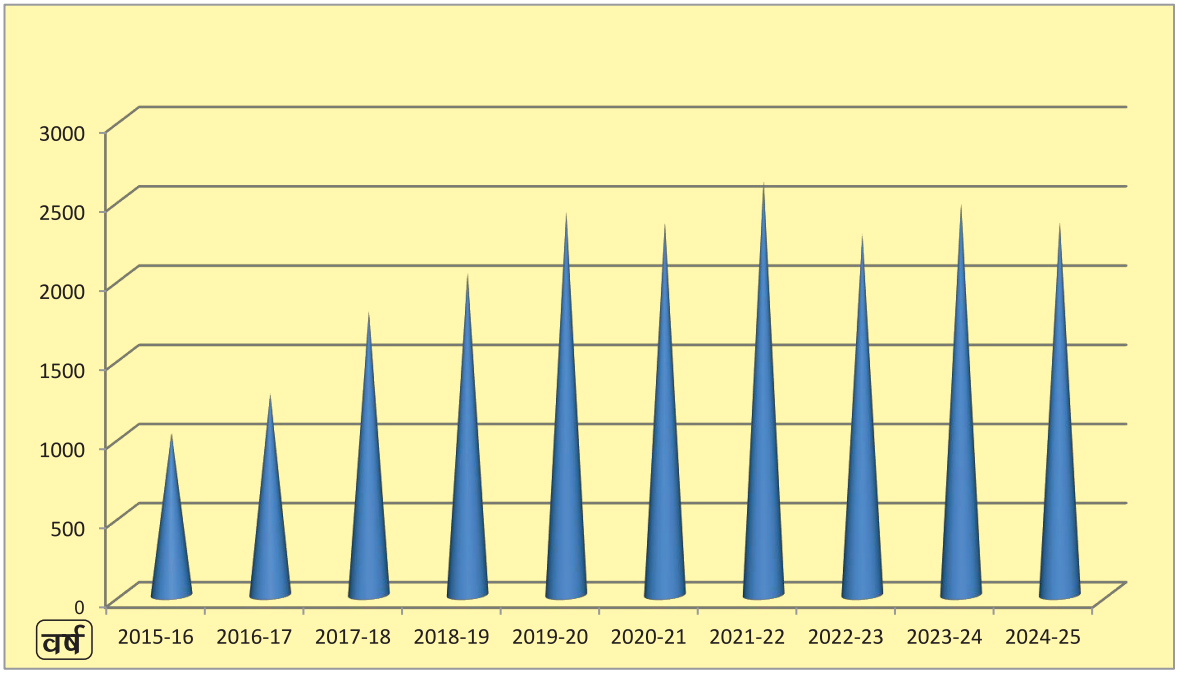

निवल संपत्ति में वृद्धि

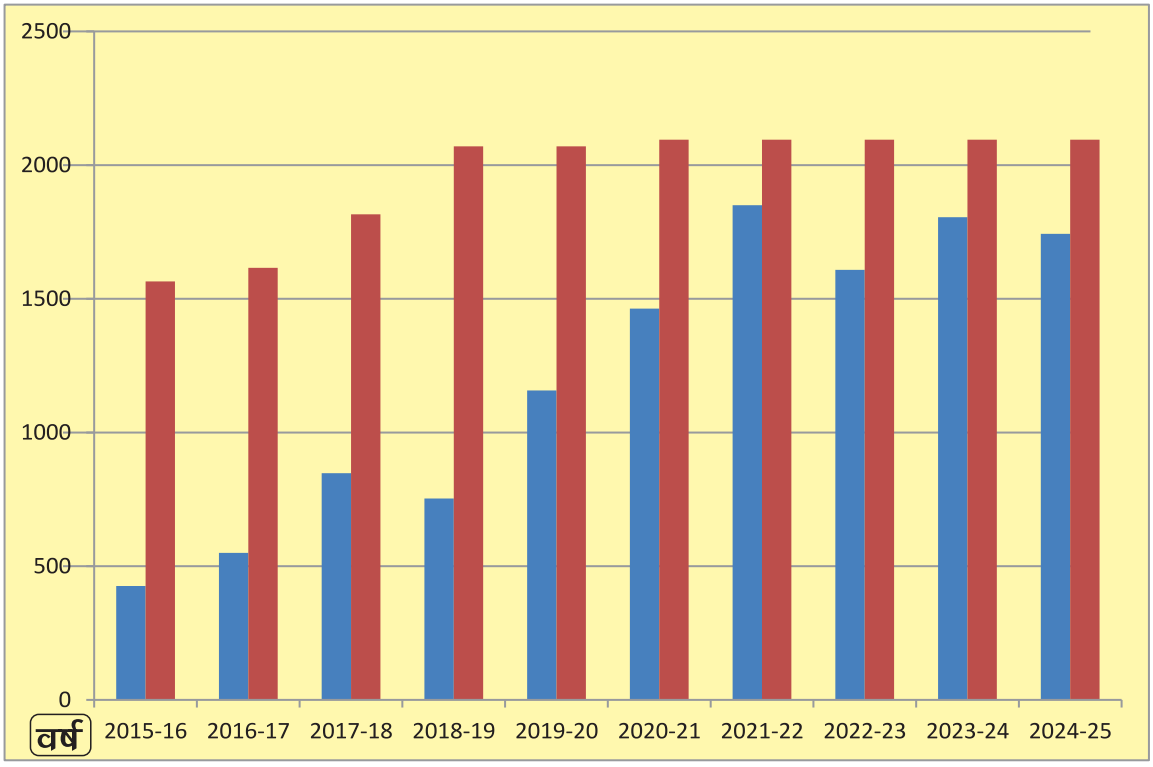

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आरक्षित एवं अधिशेष	426	550	848	753	1157	1463	1850	1608	1805	1743
हिस्सेदारी	1565	1616	1816	2070	2070	2095	2095	2095	2095	2095

सकल एवं शुद्ध परिसंपति

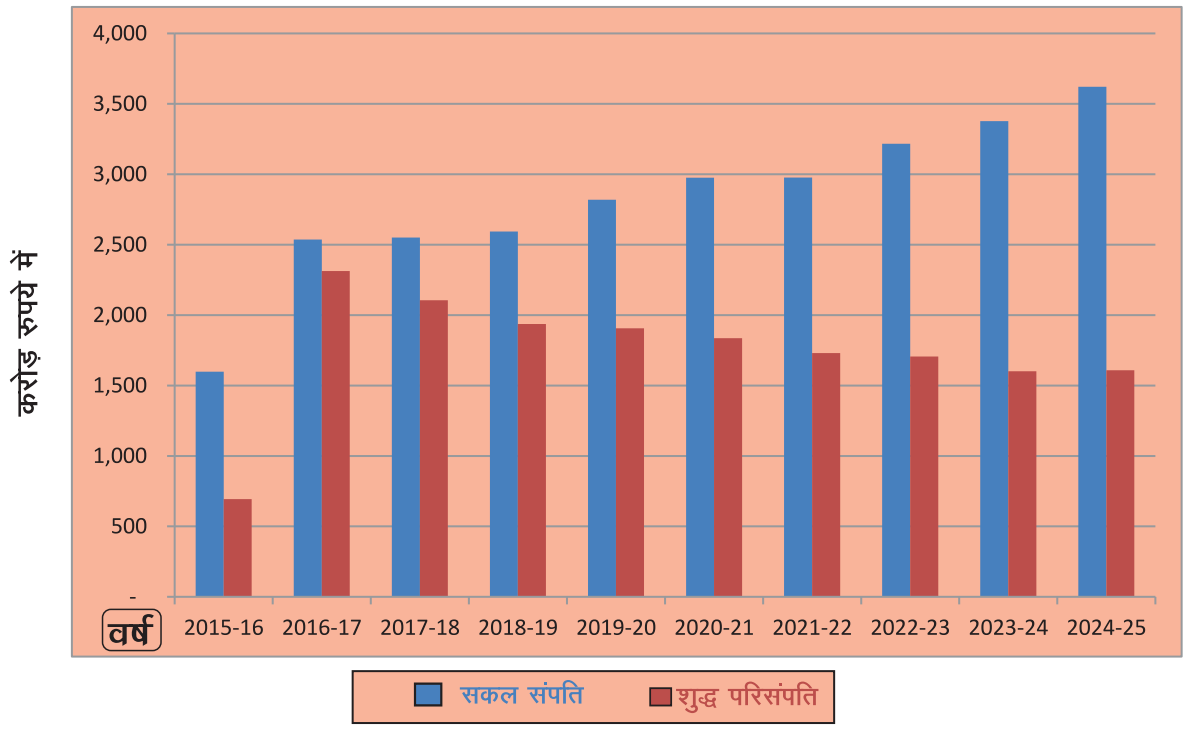

नियोजित पूँजी

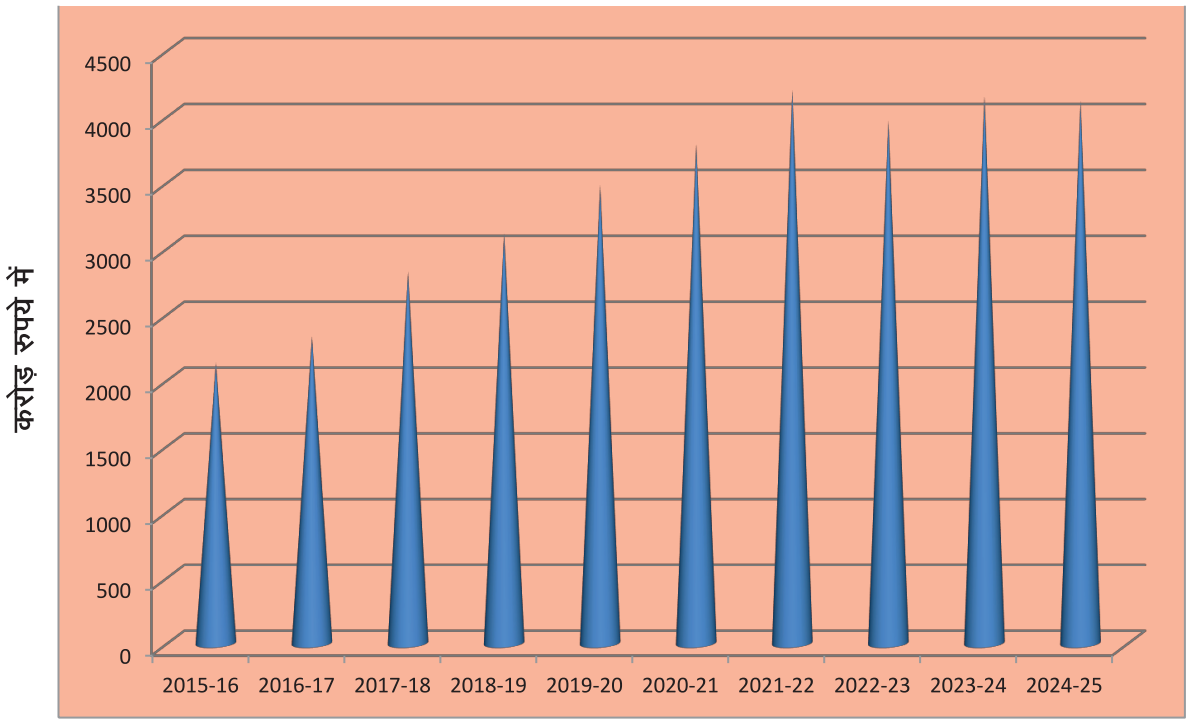

सीएसआर पहल

चिकित्सा शिविर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, वित्तीय विवरण के नोट्स और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसे कंपनी (भारत लेखांकन मानक) नियम, 2015, संशोधित ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाता है।

ए) 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति की बैलेंस शीट :

बी) लाभ और हानि के विवरण के मामले में, समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरण सहित इसका लाभ

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों ("एसएस") के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकता जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियम के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले :

मुख्य लेखापरीक्षा मामले (केएएम) वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1) 11 दिसंबर, 2018 को पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की केंद्रीकृत खरीद यानी मौजूदा खदानों और संयंत्रों के लिए कार्य अनुबंध के लिए मेकॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया था। उक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर, मेकॉन यूसीआईएल की वस्तुओं और सेवाओं की प्रमुख खरीद के लिए खरीद सेवाएं प्रदान कर रहा है। हालांकि, यह देखा गया कि खरीद और कार्य अनुबंधों को संसाधित करने की अनुमोदित प्रक्रियाओं को मेकॉन द्वारा दिए गए अनुबंधों के लिए पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। यह अपने नाम से पार्टियों को ऑर्डर दे रहा है और यूसीआईएल के लिए खरीद सेवाओं के लिए पार्टियों से प्राप्त बिलों को संलग्न किए बिना यूसीआईएल के साथ बिल बना रहा है। इसके अलावा, शुरू से ही तीसरे पक्ष के चालान के आधार पर इसके साथ कोई सुलह नहीं की गई है। पिछले आंतरिक लेखा परीक्षक और वर्तमान आंतरिक लेखा परीक्षक ने भी इस संबंध में विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया है। यह सुझाव दिया जाता है कि इन मामलों पर विचार करने और लंबित सुलह मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

2) हम वित्तीय विवरण के नोट संख्या 4 – पूंजीगत कार्य–प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। स्थापना हेतु लंबित स्टॉक में पूंजीगत परिसंपत्ति की राशि 444.66 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 208.86 लाख रुपये)। हालाँकि, ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में स्थापना की प्रक्रिया में हैं।

3) हम महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु संख्या 2.8 – मूल्यह्रास की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3 और नोट संख्या 26 के साथ पढ़ा जाए। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के बजाय तकनीकी

अनुमान के आधार पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया है।

4) हम महत्वपूर्ण खाता नीतियों के बिंदु संख्या 2.8 – मूल्यह्रास की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3 और नोट संख्या 26 के साथ पढ़े। कंपनी ने कुछ अचल संपत्तियों का निस्तारण मूल्य 1 रुपये निर्धारित किया है।

5) हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 21 – परिचालन से राजस्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने पिछले वर्षों से संबंधित यूरेनियम की बिक्री के लिए डीएई द्वारा मुआवजे की दर में कमी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के परिचालन से राजस्व को 7186.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष : 22918.32 लाख रुपये) के लिए प्रावधान / समायोजित किया है।

6) हम वित्तीय विवरण के नोट संख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ कंपनी के प्रबंधन ने कुछ मामलों में आकस्मिक देनदारियों का परिमाणन और प्रकटीकरण किया है। हालाँकि, अन्य मामलों में आकस्मिक देनदारियां परिमाणन योग्य नहीं थीं और इसलिए वित्तीय विवरण में उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया।

7) हम केपीएम परियोजना के लिए नोट संख्या 35.4(बी) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे डीएई के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2019–20 से परियोजना संबंधी सभी गतिविधियाँ निलंबित हैं। परियोजना बंद होने के बाद से, कंपनी ने परियोजना–पूर्व व्यय के लिए 1,004.76 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

8) बकाया पक्ष शेष राशि पक्षकारों से समाधान और पुष्टि के अधीन है। (नोट 35.5)

9) हम नोट संख्या 35.10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को बागजाता खनन परियोजना के लिए 375 मीटर गहराई वाले वर्टिकल शाफ्ट की डिजाइनिंग, सिंकिंग, लाइनिंग और सुसज्जित करने का काम पूरा करने के लिए कुल 2,476 लाख रुपये की लागत से अनुबंध दिया गया था, जो अंतिम रूप से विस्तारित समय सीमा 31.12.2014 तक पूरा करने में विफल रहे। कंपनी ने बैंक गारंटी के रूप में 247.61 लाख रुपये की बयाना राशि (ईएमडी) ली थी जो 14.01.2015 को समाप्त हो गई थी। उक्त परियोजना के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य का एक विशेषज्ञ से उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना है और उसके अनुसार निपटना है। कंपनी ने मुकदमेबाजी प्रक्रिया शुरू कर दी है, मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज से 10,347 लाख रुपये की वसूली के लिए मध्यस्थों को नियुक्त किया है। हालांकि बिक्रेताओं ने वाणिज्यिक न्यायालय का रुख किया और वाणिज्यिक न्यायालय न मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज के पक्ष में फेसला सुनाया। कंपनी ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

10) हम मोहुलडीह खदान में चल रहे पूंजीगत कार्य से संबंधित लेखा नोट्स की नोट संख्या 35.11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और उसके उपकरण लगाने का कार्य मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (संयुक्त उद्यम) को कुल 1,863 लाख रुपये की लागत से सौंपा गया था। चूँकि ठेकेदार पूरा काम पूरा किए बिना ही साइट छोड़कर चला गया, इसलिए कंपनी ने जोखिम और लागत के रूप में 10,242 लाख रुपये की वसूली और उत्पादन हानि के दावे के लिए मध्यस्थता का सहारा लिया है।.....उपरोक्त के आधार पर, मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

11) हम नोट संख्या 35.14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, मेसर्स एसएमएस लिमिटेड को तुम्मलापल्ली परियोजना में 3000 टीपीडी यूरेनियम अयस्क के उत्पादन के लिए खान विकास, स्टॉपिंग, वेंटिलेशन शाफ्ट सिंकिंग और अन्य संबंधित उत्खनन का अनुबंध दिया गया था। अनुबंध के अंत में, एसएमएस लिमिटेड ने विभिन्न बिंदुओं पर सात दावे किए, जिनकी जांच यूसीआईएल की एक "आंतरिक समिति" और "मेकॉन लिमिटेड" द्वारा की गई, जिसके बाद अनुबंध को बंद करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने जांच की और पाया कि एक दावा विचाराधीन है और शेष छह मान्य नहीं हैं। इस बीच, एसएमएस लिमिटेड ने निपटान के लिए मध्यस्थता के लिए तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है।

12) कंपनी ने अपने संयंत्र एवं मशीनरी के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली है। प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी ने अचल संपत्तियों को किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए हैं और इसलिए उन्हें अचल संपत्तियों के लिए बीमा पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है। हमारा मानना है कि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

13) हम 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण (बिंदु (ख) – अन्य इक्विटी और नोट संख्या 15– अन्य इक्विटी) की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान, कंपनी ने खातों को पुनः प्रस्तुत और संशोधित किया है और साथ ही वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आवश्यक वैधानिक कर समायोजन को शामिल किया है, क्योंकि भुगतान को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 9.05 करोड़ रुपये पूंजीकृत करने के बजाय मरम्मत और रखरखाव के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जिससे वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लाभ में 9.05 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके अलावा, आयकर का ब्याज भाग भुगतान के आधार पर खातों में लगाया जाएगा।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करना होगा तथा संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी की अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी (भारत लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखावय उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हो।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी का संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल परिचालन बंद करने के लिए कंपनी का परिसमापन करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(1) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित, हम "अनुलग्नक I" में लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का विवरण देते हैं।

2) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, हम "अनुलग्नक II" में उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

3) अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   a) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   b) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   c) कंपनी पर लागू नहीं।

   d) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ–हानि विवरण, अन्य व्यापक आय सहित, तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   e) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें

संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पढ़ा जाए।

f) कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

g) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

h) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण का नोट संख्या 31 देखें।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके कारण कोई भी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

iv) (a)प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

(b) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि, जहां तक उसकी जानकारी और विश्वास है, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(c) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v) अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, जो 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखा पुस्तकों में ऑडिट ट्रेल, संपादन लॉग और संबंधित मामले की सुविधा प्रदान करता है, जिसे कंपनी द्वारा उपयोग किए जा रहे ओएलएफएएस सिस्टम द्वारा बनाए रखा गया है।

अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 003247C

सीए अर्पित जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या–417169
यूडीआईएन : 25417169BMLFUF8310

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "I"

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

निर्देश	उत्तर
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति–पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और गैरउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करना। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	i. भविष्य निधि : यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 से अपने भविष्य निधि का प्रबंधन एक ट्रस्ट के माध्यम से करता है, जिसके अपने नियम हैं, जिन्हें यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि नियम कहा जाता है, जिसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी), पटना और आयकर आयुक्त द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। कंपनी उपरोक्त निधि में मासिक योगदान करती है और उपरोक्त निधि के ट्रस्टी ऋण और अंतिम निपटान को पूरा करने के बाद ईपीएफओ दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का प्रबंधन करते हैं। ट्रस्ट के वार्षिक खातों को ट्रस्टियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जिसका एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अलग से ऑडिट किया जाता है। चूंकि ट्रस्ट के खाते, उसके निवेश आदि कंपनी के खातों की पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं, इसलिए मूल्यांकन के तरीके, इंड एएस के साथ संगतता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा लागू नहीं होती है। ii. ग्रेच्युटी फंड : यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1975 से अपनी ग्रेच्युटी फंड योजना का प्रबंधन एक ट्रस्ट के माध्यम से करता है, जिसके अपने नियम हैं, जिन्हें यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड नियम कहा जाता है, जिसे आयकर आयुक्त, रांची द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उक्त फंड में प्रतिवर्ष योगदान करती है और उक्त फंड के ट्रस्टी निवेश का प्रबंधन करते हैं। ट्रस्ट के वार्षिक खातों को ट्रस्टियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जिसका एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अलग से ऑडिट किया जाता है। चूँकि ट्रस्ट के खाते, उसके निवेश आदि कंपनी के लेखा–पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं, इसलिए मूल्यांकन पद्धतियाँ, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के साथ संगतता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा लागू नहीं होती है। iii. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : कंपनी ने अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए एक निश्चित लाभ योजना बनाई है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया जाता है। इस सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए कोई ट्रस्ट या अलग निधि नहीं है और कंपनी चिकित्सा देखभाल नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधे राशि की प्रतिपूर्ति करती है। iv. सेवानिवृत्ति निधि : यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए अपनी गैर–अंशदायी सेवानिवृत्ति योजना का प्रबंधन एक ट्रस्ट के माध्यम से करता है, जिसके पास अपना ट्रस्ट डीड और नियम हैं, जिन्हें जमशेदपुर के आयकर आयुक्त द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। ट्रस्टियों ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ एक बीमा योजना शुरू की और कंपनी ने ट्रस्टियों को अंशदान देने पर सहमति व्यक्त की। चूँकि एलआईसी की पॉलिसी कंपनी के लेखा–बही में नहीं दिखाई जाती, इसलिए मूल्यांकन पद्धतियाँ, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के साथ संगतता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा लागू नहीं होती।

निर्देश	उत्तर
क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी के पास सभी लेखा लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए एक आईटी–आधारित लेखा प्रणाली – ओएलएफएएस – मौजूद है। इसके अलावा, ओएलएफएएस कार्यात्मक रूप से पुराना हो चुका है और अब कंपनी की बदलती परिचालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं करता है। तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान एक नई ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्वचालन, एकीकरण और आंतरिक नियंत्रण में सुधार करना है। यह परिवर्तन वर्तमान में जारी है। वैधानिक लेखा परीक्षा नमूना–जांच के आधार पर की गई थी, और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहाँ आईटी प्रणाली के बाहर लेनदेन का कोई प्रसंस्करण किया गया हो और इस प्रकार खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा–जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा–जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि और ब्याज का संबंधित नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा–जोखा/उपयोग किया गया। बैलेंस शीट की तिथि तक शेष राशि का उपयोग भी भविष्य में नियमों व शर्तों के अनुसार किया जाएगा। कोई विचलन नहीं देखा गया है।
क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने चार मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है: रणनीतिक, परिचालन, वित्तीय और अनुपालन/नियामक जोखिम। कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) तैयार की है और कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली किसी भी आपदा को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी तैयार की है। यूसीआईएल की जोखिम प्रबंधन नीति, वैधानिक निकाय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद – (डीजीएमएस), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, एईआरबी (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड) और निर्धारित/अनुमोदित क्यूएचएसई नीति (आईएसओ 9001:2015)/आईएसओ 45001:2018/आईएसओ 14001:2015 की सिफारिशों और दिशानिर्देशों के अनुसार है। कंपनी द्वारा ऐसी कोई डेटा संपत्ति की पहचान नहीं की गई है।
क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, तथा सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आई एन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।	i. यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की सूचीबद्धताएं और प्रकटीकरण आवश्यकता (एलओडीआर) 2015 और सेबी के संबंधित लागू नियम और विनियम यूसीआईएल पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते हैं। ii. डीआईपीएएम, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), डीपीई दिशानिर्देश, आरबीआई दिशानिर्देश, ट्राई दिशानिर्देश, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देश एनपीसीआई दिशानिर्देश आदि, जहां भी लागू हो और निर्विवाद रूप से यथासंभव यूसीआईएल प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया जाता है।

अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 003247C

सीए अर्पित जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या–417169
यूडीआईएन : 25417169BMLFUF8310

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "II"

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

(I) (ए)(ए) कंपनी ने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में बताए गए अन्यथा वो छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।?

(बी) कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(बी) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी की हर तीन साल में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की नीति है। विभिन्न स्थानों/साइटों पर कंपनी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का विवरण निम्नलिखित हैं।

क्रम. संख्या	विशिष्ट	वर्ष के दौरान कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया
1.	तुरामडीह साईट–झारखंड	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.06.2025 की रिपोर्ट के अनुसार अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षक ने पाया कि इसमें पहचान टैग गायब थे और दर्ज स्थान के सापेक्ष वास्तविक संपति के स्थान में परिवर्तन थे। स्क्रैप या निष्प्रयोज्य परिसंपतियों को अभी भी अलग रजिस्टर के बिना सूचीबद्ध किया गया था।
2.	जादुगोड़ा स्थल–झारखंड	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.06.2024 की रिपोर्ट के अनुसार अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।
3.	तुमलापल्ले स्थल–आंध्र प्रदेश	आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.07.2023 की रिपोर्ट के अनुसार 03.03.2023 से 09.03.2023 और 21.06.2023 से 27.06.2023 की अवधि के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

(सी) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, मुसाबनी में 3 एकड़ भूमि को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं। हालाँकि, निगमन के बाद से कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि दस्तावेजों को देखते हुए भूमि के स्वामित्व विलेखों का भौतिक सत्यापन कठिन हो गया है।

अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

बैलेंस शीट मे प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	के नाम मालिकाना हक	क्या मालिकाना हकदार एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई	निःशुल्क भूमि/पट्टे की भूमि	15.85	राज्य सरकार/निजी पार्टियां	नहीं	1986	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(म) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2022 तक ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई या कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 के 45) और नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए लंबित नहीं है।

(ii) (a) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा कच्चे माल, डब्ल्यूआईपी और तैयार माल का भौतिक सत्यापन किया गया है और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा उचित अंतराल पर स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, स्टोर्स और स्पेयर्स के भौतिक सत्यापन की आवृत्ति, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं। वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां सामग्री नहीं थीं।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की ऐसी कार्यशील पूंजी सीमा मंजूरी नहीं दी गई है।

(iii) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान न कोई भी निवेश किया है, न किसी को भी गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में न कोई भी ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को अधिनियम की धारा 189 के तहत प्रदान किया है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3 (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(iv) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई ऋण दिया है, न कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है। तदनुसार, उक्त आदेश की धारा 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(अ) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश की धारा 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने आम तौर पर इसकी समीक्षा की है और राय है कि, पहले से निर्धारित खाते और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए हैं। हमने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हमें उपलब्ध कराई गई सबसे नवीनतम लागत ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024 की भी समीक्षा की है और लागत रिकॉर्ड के रखरखाव पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं देखी है।

(vii) (क) कंपनी उचित प्राधिकरणों के साथ आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 से 2022–23 से संबंधित 18.28 लाख रुपये आयकर (टीडीएस) / ब्याज मांग को छोड़कर, उपरोक्त बकाया राशि 31 मार्च, 2025 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उप–खंड (ए) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया है, जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि लाख में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम, 1961	128.22	वित्तीय वर्ष 2017-18	ITAT, Ranchi
		296.95	वित्तीय वर्ष 2018-19	CIT(A)
		1802.30	वित्तीय वर्ष 2019-20	CIT(A)
सेवा कर	सेवा कर	10.08	वित्तीय वर्ष 2015-16	CESTAT
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	कस्टम टेक्स	01.54	वित्तीय वर्ष 2007-08	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त

(viii) (जैसा कि हमें सूचित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत आयकर निर्धारण में लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए लेखा पुस्तकों में किसी भी लेनदेन की रिकॉर्डिंग नहीं करने से संबंधित कोई भी मामला नहीं था।

(ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने ऋण या किसी अन्य उधार की अदायगी या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(c) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधी ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(d) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर धन नहीं जुटाया है।

(e) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, या संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(f) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम, या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (a) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 12 के तहत ऐसी कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी –4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दर्ज नहीं की गई है।

(c) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को वर्ष के दौरान ऐसी कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए खंड 3(xii) (a),(b) और (c)के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ दर्ज किए गए सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के तहत जहां लागू हो अनुपालन में हैं और विवरणों का खुलासा वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (a) कंपनी के पास उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालाँकि, OLFAS–अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेखांकन डेटा और लेनदेन के प्रसंस्करण की पुरानी प्रणाली, आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता/बिनअनुपलब्धता और प्रबंधन से स्पष्टीकरण के कारण, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट उचित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसलिए, आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई में भी देरी होती है।

(b) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, उक्त आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) और (d) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, प्रासंगिक अनुपातों के विश्लेषण, डेटा और जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी सक्षम है तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए, जब वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों।

(xx) (a) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी की सीएसआर देयता निर्धारित की गई है और वर्ष के दौरान खर्च की गई कोई भी अव्ययित राशि बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार मौजूद नहीं है।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में ऐसी कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं है।

(xxi) उक्त आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती है।

सम दिनांक की लेखा परीक्षा के रिपोर्ट के अनुसार

अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 003247C

सीए अर्पित जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या–417169
यूडीआईएन : 25417169BMLFUF8310

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2025 तक यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को प्राप्त करना और समझना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में

उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैंय और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों का उल्लंघन, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 003247C

सीए अर्पित जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या–417169
यूडीआईएन : 25417169BMLFUF8310

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ऑडिट भवन, आई पी एस्टेट
नई दिल्ली–110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL EXPENDITURE
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
AUDIT BHAWAN, IP. ESTATE
NEW DELHI-110002

सं.म.नि.ले.प./के.व्यय./प.वै.वि./पर्या.अनु./ए.ए./ 305

दिनांक / DATE 19 SEP 2025

सेवा में,

The Chairman & Managing Director,
Uranium Corporation of India Ltd.,
Jaduguda Mines, Singhbhum (East),
Jharkhand - 832 102

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर Nil Comment प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

संलग्नः यथोपरि

उप-निदेशक
(पर्यावरण अनुभाग)

दूरभाष/Phone : 011-23403650, 23403652
E-mail : pdaesd@cag.gov.in

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के अतंर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अतंर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं।ऐसा उनके द्वारा दिनांक 31जुलाई 2025 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक

(Dr. Kavita Prasad)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19/09/2025

31 मार्च, 2025 तक तुलन–पत्र

(₹. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
संपत्ति			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	1,60,847.03	1,60,130.81
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	19,763.47	24,357.18
अमूर्त संपत्ति	5	433.62	518.83
वित्तीय पूंजी			
– ऋण	6	637.19	605.35
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	67,344.85	21,903.40
अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	7	551.06	552.39
कुल गैर – मौजूदा संपत्तियां		**2,49,577.22**	**2,08,067.95**
वर्तमान संपत्ति			
माल	8	29,048.26	23,259.12
वित्तीय पूंजी			
– व्यापार प्राप्तियां	9	45,011.25	28,271.41
– नकद और नकद के समान	10	423.54	782.89
– नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	11	1,20,966.00	1,95,223.01
– ऋण	6	4,938.87	4,138.45
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	1,086.84	4,142.96
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	18	12,896.74	8,126.58
अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	19,166.14	18,009.94
कुल मौजूदा संपत्तियां		**2,33,537.65**	**2,81,954.35**
कुल संपत्ति		**4,83,114.87**	**4,90,022.30**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	14	2,09,461.78	2,09,461.78
अन्य इक्विटी	15	1,74,280.73	1,80,543.96
कुल इक्विटी		**3,83,742.51**	**3,90,005.74**
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
– अन्य वित्तीय देनदारियाँ	16(b)	2,536.50	774.42
प्रावधानों	17	24,363.26	21,454.80
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	19	1,430.28	3,507.90
कुल गैर–वर्तमान देनदारियाँ		**28,330.04**	**25,737.11**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियाँ			
– व्यापार देयताएं			
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	16(a)	1,088.60	1,355.05
– उपरोक्त के अलावा	16(a)	12,604.33	12,044.66
– अन्य वित्तीय देनदारियाँ	16(c)	51,882.57	53,010.63
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	2,957.99	2,879.97
प्रावधानों	17	2,508.83	4,989.15
कुल वर्तमान दायित्व		**71,042.31**	**74,279.46**
कुल देनदारियों		**99,372.35**	**1,00,016.57**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**4,83,114.87**	**4,90,022.30**
खातों के लिए नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, खातों पर अतिरिक्त नोट और अतिरिक्त नियामक नीतियां	**1,2, 35, 36**		

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंजलि जैन एडं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **03247C**
CA अर्पित जैन
सहभागी
M-No- 417169

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025
UDIN : 25417169BMLFUF8310

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
AERPG 9596C

मनोज कुमार
निदेशक(तकनीकि)
DIN 10801804

बिक्रम केसरी दास
निदेशक(वित्त)
DIN 10933760

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
DIN 10612460

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी

(₹. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
आय			
परिचालन से राजस्व	21	2,18,239.40	2,31,708.26
अन्य आय	22	17,386.81	15,556.18
कुल आय		**2,35,626.21**	**2,47,264.44**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	23(a)	21,983.67	22,524.38
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23 (b)	(5,760.26)	(3,590.36)
कर्मचारी लाभ व्यय	24	64,092.83	63,967.56
वित्तीय लागत	25	568.84	99.77
ह्रास और परिशोधन व्यय	26	23,806.98	26,552.41
अन्य व्यय	27	1,12,082.82	1,05,497.49
कुल व्यय		**2,16,774.87**	**2,15,051.26**
कर से पहले लाभ/ (हानि)		**18,851.34**	**32,213.18**
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर	28	6,812.24	10,811.53
(2) आस्थगित कर	28	(1,863.51)	(2,461.72)
कुल कर व्यय		**4,948.73**	**8,349.81**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**13,902.61**	**23,863.37**
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप		(1,499.76)	(4,249.34)
उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर		214.10	118.86
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)		(1,285.66)	(4,130.48)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**12,616.95**	**19,732.89**
प्रति शेयर आय			
बेसिक और डाइल्यूट	29	66.37	113.93

खातों पर नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, खातों पर अतिरिक्त नोट और अतिरिक्त नियामक जानकारी संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंजलि जैन एडं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **03247C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA अर्पित जैन
सहभागी
M-No- 417169

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025
UDIN : 25417169BMLFUF8310

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
AERPG 9596C

मनोज कुमार
निदेशक(तकनीकि)
DIN 10801804

बिक्रम केसरी दास
निदेशक(वित्त)
DIN 10933760

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
DIN 10612460

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि (वित्त वर्ष 2024–2025)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों क कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनघोषित शेष राशि	वर्तमान के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
2,09,461.78	-	-	-	2,09,461.78

पिछले रिपोर्टिंग अवधि (वित्त वर्ष 2023–20224)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों क कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनघोषित शेष राशि	वर्तमान के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
2,09,461.78	-	-	-	2,09,461.78

ख. अन्य इक्विटी

(₹. लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन धन आबंटन लबिंत	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2023	—	14,336.03	1,46,475.04	1,60,811.07
वर्ष के लिए लाभ	—	—	23,863.37	23,863.37
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	—	—	(4,130.48)	(4,130.48)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	—	—	—	—
शेयरों का निर्गम	—	—	—	—
लाभांश का भुगतान	—	—	—	—
अंतरिम लाभांश	—	—	—	—
31 मार्च 2024	—	14,336.03	1,66,207.93	1,80,543.96
जोड़ : व्यय में पूर्व अवधि (वित्त वर्ष 2023–24) की त्रुटि का समायोजन	—	—	905.63	905.63
घटा : उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	—	—	284.91	284.91
31 मार्च 2024 – पुनः घोषित	0.00	14,336.03	1,66,828.65	1,81,164.68
वर्ष के लिए लाभ	—	—	13,902.61	13,902.61
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन)	—	—	(1,285.66)	(1,285.66)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	—	—	—	—
शेयरों का निर्गम	—	—	—	—
लाभांश का भुगतान	—	—	(19,500.89)	(19,500.89)
अंतरिम लाभांश	—	—	—	—
31 मार्च 2025	—	**14,336.03**	**1,59,944.70**	**1,74,280.73**

सामान्य आरक्षित निधिः– यह आरक्षित निधि इक्विटी के एक घटक, अर्थात् संचित आय, से अन्य व्यापक आय मदों के अंतर्गत न आने वाले दूसरे घटक में विनियोजन द्वारा सृजित की गई थी।

टिप्पणी संख्या 15 देखें।

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंजलि जैन एडं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **03247C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA अर्पित जैन
सहभागी
M-No- 417169

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025
UDIN : 25417169BMLFUF8310

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
AERPG 9596C

मनोज कुमार
निदेशक(तकनीकि)
DIN 10801804

बिक्रम केसरी दास
निदेशक(वित्त)
DIN 10933760

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
DIN 10612460

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों के लिए नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ("कंपनी") एक सार्वजनिक कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है, जिसे 4 अक्टूबर, 1967 को निगमित किया गया था और इसका मुख्यालय भारत में है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे परमाणु ऊर्जा चक्र में अग्रणी स्थान प्राप्त है। दाबित भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए, यूसीआईएल देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक आईएसओ 9001:2015 और 14001:2015 कंपनी है और इसने अपनी खदानों और प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधानों और अन्य लागू वैधानिक अधिनियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर एक समान रूप से लागू होती हैं।

2.2 माप का आधार

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय अवधारणा, उपार्जन आधार और ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं :

क. मेडिकल स्टोर, खेल सामग्री और कैंटीन और गेस्ट हाउस के लिए प्रावधान नकद आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं, यानी खरीद के समय खर्च के रूप में चार्ज किए जाते हैं।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ, और

ग. खदान बंद करने के दायित्व उचित मूल्य पर मापे गए।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमानों और निर्णयों का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और वे ऐतिहासिक अनुभव तथा विभिन्न अन्य मान्यताओं और कारकों (भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाओं सहित) पर आधारित होते हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों में उचित मानती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/साकार होते हैं।

उक्त अनुमान उन तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद थे, या जो उस तिथि के बाद घटित हुए, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करते हैं।

2.4 कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा अनुवाद

क. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (रु.) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह परिचालन करती है, तथा अन्यथा बताए जाने के अलावा, दो दशमलव बिंदु तक (रु. लाख में)पूर्णांकित की जाती है।

ख. लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर स्थानांतरित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर

स्थानांतरित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में उत्पन्न अंतर को अचल परिसंपत्तियों/पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2.5 वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वे कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र, यानी बारह महीनों के भीतर देय हों। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को हमेशा गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों/देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से सीधे जुड़े व्यय शामिल होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुर्नस्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किया गया मुआवजा आदि।

नई खदान की स्थापना पर होने वाले व्यय को नई खदान के निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से प्राप्त आय को घटाने के बाद पूंजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाए गए हैं। लागत में परियोजनाओं के संबंध में पूर्व–परिचालन व्यय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्व–निर्माण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय, तथा निर्माण/स्थापना के लिए किया गया व्यय और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किए गए अन्य लागत शामिल हैं।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग–अलग होता है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग–अलग वस्तुओं (घटकों) के रूप में गिना जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पहले से ही पूंजीकृत मद पर बाद में किया गया व्यय, तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा मद में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसका भावी मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

बीमा के तहत ऐसे पुर्जे, जिनका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के संबंध में किया जा सकता है और जिनके उपयोग के अनियमित होने की संभावना है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। स्टैंडबाय उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उन्हें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखा जाता है और एक से अधिक अवधि के लिए उपयोग किए जाने की उम्मीद होती हैय अन्यथा ऐसी परिसंपत्तियों को इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.7 पट्टे

पट्टेदार के रूप में

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देनदारियों को मान्यता देती है तथा अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग–अधिकार परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। पट्टा देयताओं को

पट्टा प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए भुगतानों पर मापा जाता है।

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि को घटा दिया जाता है, तथा पट्टा देयताओं के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, तथा प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतानों में से प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी अनुमान के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिनके लिए तकनीकी अनुमान पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, नीचे उल्लिखित हैं :

उपयोगी जीवन –

- सड़क, पुल और पुलिया : 30 वर्ष
- शाफ्ट और डिक्लाइन : 21 वर्ष
- विद्युत प्रतिष्ठान : 15 वर्ष
- संयंत्र और मशीनरी (मिल) (ट्रिपल शिफ्ट आधार पर) : 8.5–9.5 वर्ष
- आवासीय भवन तुरामडीह : 45 वर्ष
- कॉन्सर्टिना वायर फेंसिंग : 15 वर्ष
- चेन लिंक बाड़ लगाना : 10 वर्ष
- कांटेदार तार की बाड़ : 5 वर्ष

ओपनकास्ट खदान विकास, ओवरबर्डन को हटाने और खनन बेंचों की तैयारी पर कमीशनिंग की तारीख तक किए गए व्यय को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

खान विकास व्यय, खनिज भंडारों तक पहुँच स्थापित करने के लिए किया जाने वाला व्यय है। इसमें सड़कों, क्रॉस–कट, ड्रिफ्ट, नालियों, रैंप आदि का विकास जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

तकनीकी अनुमान के अनुसार खान विकास व्यय को संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और मूल्यह्रासित किया जाता है।

तकनीकी अनुमानों के अनुसार, तुरामडीह मिल विस्तार को संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और मूल्यह्रासित किया गया है।

एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए गए टेलिंग डैम (स्लाइम डैम) के निर्माण के भाग को पूंजीकृत किया जाता है तथा तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार निर्माण के उपयोगी जीवनकाल में उसका मूल्यह्रास किया जाता है।

परिवर्धन या विस्तार जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग बन जाता है, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में मूल्यह्रास हो जाता है।

टेलिंग पॉण्डस के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि, निजी भूमि और वन भूमि का मूल्यह्रास टेलिंग पॉण्ड के उपयोगी जीवन काल के दौरान किया जाता है।

पट्टे के तहत अर्जित सरकारी भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने पर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में से जो भी कम हो, उस पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, यदि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

बीमा पुर्जों का मूल्यह्रास संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर उसी दर से किया जाता है जो मौजूदा परिसंपत्तियों पर लागू होती है तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर बीमा पुर्जों के अधिग्रहण की तिथि तक मूल्यह्रास की राशि अधिग्रहण के वर्ष में काट ली जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की

जाती है, तथा यदि उपयुक्त हो तो समायोजन किया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, जिसमें अधिग्रहण/प्रवर्तन के लिए माह का पहला दिन और निपटान के लिए माह का अंतिम दिन लिया जाता है।

2.9 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त आस्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त आस्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि घटाकर रखा जाता है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर अनुवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वह मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है तथा उसे भावी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब वह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

भूमि के उपयोग के अधिकार जैसी पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को भुगतान किए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है तथा लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि प्रभार घटाकर दर्ज किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों (एक सीमित जीवन के साथ) को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

विकास गतिविधियां, वाणिज्यिक उत्पादन या उपयोग शुरू होने से पहले नई या पर्याप्त रूप से बेहतर सामग्री, प्रक्रियाओं, प्रणालियों के उत्पादन के लिए एक योजना या डिजाइन के लिए अनुप्रयोग निष्कर्ष या अन्य ज्ञान है। लागत का परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर पांच वर्षों में किया जाएगा।

2.10 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत शामिल होती है जो अभी तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

2.11 खदान बंद करना, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग दायित्व

अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित लागतों के वर्तमान मूल्य पर डीकमीशनिंग लागत का प्रावधान किया जाता है और इसे प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है। नकदी प्रवाह को वर्तमान कर–पूर्व दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। छूट की समाप्ति को वित्तीय लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है। अनुमानित भावी लागतों या लागू छूट दर में परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अनुसार खान बंद करने और पर्यावरण की बहाली के दायित्व को पूरा करने की देयता का तकनीकी रूप से आकलन मेसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

2.12 अनुदान सहायता

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता, जहां अर्जित परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

2.13 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि कोई संकेत मौजूद हो तो, वसूली योग्य परिसंपत्ति राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि क्षति मानी जाती है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर घटा दिया जाता है।

वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया

जाता है और इस कमी को लाभ–हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तथापि, हानि को उस वहन राशि से अधिक राशि तक कम नहीं किया जाता है जो निर्धारित की गई होती (परिशोधन या मूल्यह्रास को घटाकर) यदि पूर्व वर्ष में हानि की पहचान नहीं की गई होती। क्षति के पश्चात, क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधनों

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और बैंक शेष, कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्य को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

निश्चित परिपक्वता के बिना सुरक्षा जमा उस मूल्य पर ली जा रही है जिस पर यह अनुबंध की समाप्ति पर प्राप्त होगी और यह वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जा रही है। राशि प्राप्त होने की समयावधि अनिश्चित है क्योंकि राशि अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त होगी। चूँकि समयावधि अनिश्चित है, इसलिए छूट नहीं दी गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

- कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या
- वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व मानता है।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियां, किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। इन्हें उनके लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है।

वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। किसी वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि, जो समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित हो गई है, तथा भुगतान की गई राशि, जिसमें हस्तांतरित गैर–नकद परिसंपत्तियां या ग्रहण की गई देयताएं शामिल हैं, के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों को एक साथ निपटाने का इरादा है।

2.15 सूची

क. इन्वेंटरी का मापन

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इन्वेंट्री के लिए अनुमानित विक्रय मूल्य से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

ख. लागत सूत्र

1	अयस्क या कार्य–प्रक्रिया	अवशोषण लागत विधि पर
2	प्रत्यक्ष सामग्री, भंडार और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	पारगमन और निरीक्षणाधीन माल	अर्जित लागत पर
4	सह–उत्पाद	रूपांतरण लागत पर
5	स्क्रैप	अनुमानित मूल्य पर

ग. स्टोर और स्पेयर्स

यदि स्पेयर पार्ट्स और स्टैंडबाय उपकरणों का उपयोग वस्तुओं के उत्पादन या आपूर्ति में किया जाता है तो उन्हें इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ढीले औजारों को जारी करने के वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। पूंजीगत भंडार और बीमा पुर्जों को छोड़कर, पांच वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए भंडार/पुर्जों के लिए गैर–स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। अप्रचलित घोषित की गई सामग्रियों को आवश्यक निपटान के लिए अलग कर दिया जाता है तथा उनका वही मूल्य घटा दिया जाता है। निपटान पर प्राप्त मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।

2.16 नकद और नकद के समान

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंक में नकदी, अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में मामूली जोखिम परिवर्तन के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में चालू देनदारियों में उधार के भीतर दिखाया जाता है।

2.17 कर लगाना

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर का योग दर्शाता है। कर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब वह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और इसका लेखा बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह सम्भावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती हैं, जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

2.18 राजस्व मान्यता

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यह संभावना है कि भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई को मिलेगा, अर्थात जब यूरेनियम सांद्रण भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा। उप–उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान प्राप्त या प्राप्य (जीएसटी के बाद) प्रतिफल और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के बाद की गई राशि पर की जाती है।

2.19 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे संबंधित उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है (निधि के अस्थायी उपयोग पर आय का शुद्ध योग) जब तक परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं। अर्हक परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की गई हैं।

2.20 कर्मचारी लाभ

क. अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ

और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ख. अवकाश नकदीकरण लाभ

अर्जित अवकाश और बीमारी अवकाश के लिए देयताओं का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए इन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। लाभ की छूट, संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब सरकारी प्रतिभूतियों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके दी जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनःमापन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को बैलेंस शीट में चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद हो।

ग. रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी निम्नलिखित रोजगार–पश्चात योजनाएं संचालित करती है : –

I- परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, रोजगार के बाद चिकित्सा लाभ।

क. ग्रेच्युटी दायित्व

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य है जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्वों की शर्तों के लगभग समान होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को उस अवधि में, जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता दी जाती है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। विमान समायोजन या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ख. रोजगार के बाद चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागतें रोजगार की अवधि के दौरान उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके अर्जित की जाती हैं, जिसका उपयोग परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

II- परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फंड।

भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान उपार्जन के आधार पर लाभ–हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

सुपरएनुएशन फंड के लिए अंशदान कंपनी की नीतियों के अनुसार किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा जिस वर्ष अंशदान (प्रीमियम) देय होता है, उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में इसे शामिल किया जाता है।

2.21 अनुसंधान और विकास व्यय

पूंजीगत मदों से संबंधित व्यय को विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रभारित किया जाता है तथा लागू दरों पर मूल्यह्रास किया जाता है। राजस्व व्यय को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें वह व्यय किया जाता है।

2.22 प्रीपेड खर्चे

प्रीपेड व्ययों का लेखा केवल तभी किया जाता है, जब प्रत्येक मामले में असमाप्त अवधि से संबंधित राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।

2.23 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकाय के विकास पर स्ट्रिपिंग व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.24 दावा न की गई देयता

कार्य/अनुबंध के पूरा होने के बाद, दावा न किया गया अनुबंध मूल्य, कार्यध्अनुबंध के बंद होने के बाद पांच वर्ष से अधिक समय तक बकाया बयाना राशिध्सुरक्षा जमाध्सावधानी राशि को विविध आय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यदि यह निर्विवाद है। यदि निर्विवाद ऋण शेष, अनुबंध मूल्य के कारण परियोजना से संबंधित है, औरध्या कंपनी की देनदारियों के रूप में निर्धारित नहीं है, तो उसे पहचानी गई प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाना है। ऐसी मदों का विवरण रखा जाएगा। बाद में धन वापसी के मामले में, समीक्षा के बाद, धन वापसी के वर्ष में उसे विविध व्यय में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

क. प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों के कारण कंपनी से आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना हो और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित अनुमानित व्यय के आधार पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होता है, जिसमें वर्तमान दायित्व से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताएं भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

ख. आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी वर्तमान दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है या जहां दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ग. आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्ट होता है, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि जब आर्थिक लाभ का आगमन संभावित होता है, तो खातों के नोट्स में उनका खुलासा कर दिया जाता है। जब आगमन लगभग निश्चित हो, तो परिसंपत्ति को मान्यता दे दी जाती है।

2.26 शेयर पूंजी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.27 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना शेयरधारकों को दिए जाने वाले वर्ष के शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना शेयरधारकों को वर्ष के लिए प्राप्त शुद्ध लाभ तथा वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी और संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां परिणाम तनु–विरोधी होगा।

2.28 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधियों से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में टर्नओवर के 0.50% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय माना जाएगा।

2.29 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत कर–पूर्व लाभ को गैर–नकद

प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, अतीत या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन तथा नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़े आय या व्यय के मद के लिए समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित किया जाता है।

2.30 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, धारणाएँ और निर्णय

कंपनी भविष्य के संबंध में अनुमान और धारणाएं बनाती है। परिणामी लेखांकन अनुमान, परिभाषा के अनुसार, कभी भी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर नहीं होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन उत्पन्न करने वाले अनुमानों और मान्यताओं पर आगे दिए गए पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर समीक्षा की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में मान्य होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं।

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की क्षति

कंपनी अपनी सम्पत्तियों, संयंत्र और उपकरणों का संभावित क्षति के लिए मूल्यांकन करती है, जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि परिसंपत्तियों का वहन मूल्य वसूली योग्य नहीं हो सकता है। हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य से विक्रय लागत घटाकर तथा उपयोग मूल्य में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक हो।

किसी परिसंपत्ति की क्षति कितनी है और क्या हुई है, इसका निर्धारण करने में अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान शामिल होते हैं। हालाँकि, हानि समीक्षा और गणना उन मान्यताओं पर आधारित हैं जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप हैं।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

पीपीई का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारक (जैसे ज्ञात तकनीकी प्रगति) शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई और अमूर्त वस्तुओं के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

ग. साइट बहाली दायित्व

अनुमान केवल तभी लगाया जाता है जब कंपनी के पास वर्तमान दायित्व हो और यह संभावित हो कि भविष्य में पुनर्वास/बहाली लागत वहन की जाएगी। दायित्व तब उत्पन्न होता है जब पुनर्वास/बहाली के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है या जब संस्था कानूनी या रचनात्मक रूप से हुई क्षति को सुधारने और पर्यावरण को बहाल करने के लिए बाध्य हो जाती है।

घ. आयकर

आयकर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे कई लेन–देन और गणनाएं हैं जिनके लिए अंतिम कर निर्धारण व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान अनिश्चित होता है। कंपनी अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं, इस अनुमान के आधार पर प्रत्याशित कर मुद्दों के लिए देनदारियों को मान्यता देती है। जहां इन मामलों का अंतिम कर परिणाम आरंभ में दर्ज की गई राशि से भिन्न है, ऐसे अंतर उस अवधि में आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है।

इन कारकों में कोई भी परिवर्तन उस अवधि में आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

3. सपंत्ति, सयंत्रं और उपकरण

(₹. लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	कारखाने की इमारत	प्रशासनिक एवं अन्य भवन	सयंत्रं और मशीनरी (स्वामित्व)	विद्युत संस्थापन	ओपनकास्ट खदान और भूमिगत खान विकास	फर्नीचर और स्थिरता	उपकरण	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक											
01–अप्रैल–23	5,462.89	263.93	37,878.12	8,681.55	2,17,604.83	23,375.78	26,513.61	454.42	911.17	518.29	3,21,664.59
परिवर्धन	29.55	–	308.01	68.91	2,850.94	272.90	12,408.34	55.61	21.72	21.83	16,037.80
31 मार्च, 2024	**5,492.44**	**263.93**	**38,186.12**	**8,750.46**	**2,20,455.78**	**23,648.68**	**38,921.95**	**510.03**	**932.88**	**540.12**	**3,37,702.39**
परिवर्धन	15.47	–	1,102.21	525.58	10,985.54	1,397.14	10,278.53	68.62	17.97	52.35	24,443.42
31 मार्च, 2025	5,507.91	263.93	39,288.33	9,276.04	2,31,441.32	25,045.83	49,200.48	578.65	950.85	592.46	3,62,145.81
संचित मूल्यह्रास और हानि											
01–अप्रैल–2023	84.00	173.82	10,671.21	1,659.09	1,15,038.64	12,645.88	9,518.62	305.42	680.20	325.91	1,51,102.78
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	–	18.00	1,564.96	213.77	17,830.44	1,766.97	4,940.75	30.49	68.60	34.81	26,468.80
वर्ष के लिए समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2024	84.00	191.83	12,236.17	1,872.86	1,32,869.08	14,412.85	14,459.37	335.91	748.81	360.72	1,77,571.58
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	–	18.00	1,482.99	221.70	16,484.03	1,305.79	4,073.72	33.68	65.48	41.79	23,727.20
वर्ष के लिए समायोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च, 2025	84.00	209.83	13,719.15	2,094.57	1,49,353.11	15,718.64	18,533.09	369.59	814.28	402.51	2,01,298.78
शुद्ध बही मूल्य											–
31 मार्च, 2025	5,423.91	54.10	25,569.18	7,181.48	82,088.21	9,327.19	30,667.39	209.06	136.57	189.95	1,60,847.03
31 मार्च, 2024	5,408.44	72.10	25,949.95	6,877.60	87,586.70	9,235.84	24,462.58	174.12	184.08	179.40	1,60,130.81

4. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

(₹ लाख में)

विवरण	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परिचालन इकाई)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (चालू परियोजना)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परियोजना पूर्व व्यय)	स्थापना हेतु लंबित स्ऑक में पूंजी परिसंपत्ति	कुल
1 अप्रैल 2023	14,222.66	2,362.82	5,103.78	930.55	22,619.82
परिवर्धन	9,017.77	-	236.87	1,987.42	11,242.05
स्थानांतरण	(6,754.51)	-	(41.08)	(2,709.11)	(9,504.69)
31 मार्च 2024	**16,485.92**	**2,362.82**	**5,299.57**	**208.86**	**24,357.18**
परिवर्धन	8,116.40	-	680.52	3,897.80	12,694.72
स्थानांतरण	(11,299.85)	(2,326.59)	-	(3,662.00)	(17,288.43)
31 मार्च 2025	**13,302.48**	**36.23**	**5,980.09**	**444.67**	**19,763.47**

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
परिचालन इकाइयॉं :		
क. जादूगोड़ा माइंस एवं मिल	3,392.53	1,920.90
ख. तुरामडीह खदान	317.17	317.57
ग. बागजाता खदान	4,221.39	4,221.39
घ. तुरामडीह मिल	68.14	63.22
च. मोहुलडीह खदान	3,851.45	3,133.60
छ. तुम्मलापल्ली माइंस एवं मिल	1,446.02	6,824.29
ज. नरवा पहाड़ माइंस	5.78	4.95
	13,302.48	**16,485.92**
चालू परियोजनाएं :		
क. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	-	2,326.59
ख. परिचालन का डीबॉटलनेकिंग	36.23	36.23
	36.23	**2,362.82**
परियोजना पूर्व व्ययः		
क. लांबापुर परियोजना	968.74	968.71
ख. केपीएम परियोजना	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	238.15	238.15
घ. गोगी परियोजना	779.10	735.70
ड़. रोहिल परियोजना	2,590.67	1,960.12
च. गाराडीह	27.04	27.04
छ. कन्नमपल्ली	227.17	227.17
ज. जजवाल परियोजना	137.91	137.91
	5,980.09	**5,299.57**
लंबित स्टॉक में पूजीं परिसंपति की स्थापना/उपयोग :	444.67	208.86
कुल	**19,763.47**	**24,357.18**

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेडयूल 31 मार्च, 2025 तक

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
A. परियोजनाएं चल रही हैं					
परिचालन इकाईयां	**2,548.59**	**1,412.11**	**217.38**	**9,124.40**	**13,302.48**
चालू परियोजनाएं :.					
क. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	-	-	-	-	-
ख. परिचालन की डीबॉटलनेकिंग	-	-	-	36.23	36.23
कुल	**-**	**-**	**-**	**36.23**	**36.23**
परियोजना पूर्व व्ययः					
क. लांबापुर परियोजना	0.02	0.02	30.01	938.68	968.74
ख. केपीएम परियोजना	-	-	-	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	-	-	_	238.15	238.15
घ. गोगी परियोजना	43.40	110.66	76.14	548.90	779.10
ड़. रोहिल परियोजना	630.55	85.11	173.37	1,701.64	2,590.67
दृ. गाराडीह	-	-	-	27.04	27.04
ज. कन्नमापल्ली	-	-	-	227.17	227.17
झ. जजवाल परियोजना	-	_	26.29	111.62	137.91
कुल	**680.52**	**195.79**	**305.82**	**4,797.97**	**5,980.09**
स्टॉक में पूजींगत संपत्ति लंबित स्थापना/उपयोग	371.00	65.88	3.91	3.89	444.67
				कुल योग	**19,763.47**

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल 31 मार्च, 2024

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
A. परियोजनाएं चल रही हैं					
परियोजनाएं चल रही हैं	**1,606.99**	**3,180.00**	**2,809.12**	**8,889.81**	**16,485.92**
चालू परियोजनाएं :					
क. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	-	-	-	2,326.59	2,326.59
ख. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	-	-	-	36.23	36.23
कुल	**-**	**-**	**-**	**2,362.82**	**2,362.82**
परियोजना पूर्व व्ययः					
क. लांबापुर परियोजना	0.02	30.01	17.76	920.91	968.71
ख. केपीएम परियोजना	-	-	-	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	-	-	14.86	223.30	238.15
घ. गोगी परियोजना	110.66	76.14	88.29	460.61	735.70
ड़. रोहिल परियोजना	85.11	173.37	38.34	1,663.30	1,960.12
दृ. गाराडीह	-	-	-	27.04	27.04
ज. कन्नमापल्ली	-	-	-	227.17	227.17
झ. जजवाल परियोजना	-	26.29	21.86	89.77	137.91
कुल	**195.79**	**305.82**	**181.10**	**4,616.86**	**5,299.57**
स्टॉक में पूजींगत संपत्ति लंबित स्थापना/उपयोग	196.62	4.31	0.27	7.66	208.86
				कुल योग	**24,357.18**

5. अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वनभूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक			
01 अप्रैल 2023	11,524.72	1,258.96	12,783.68
परिवर्तन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025	11,524.72	1,258.96	12,783.68
परिवर्तन / समायोजन			-
31 मार्च 2025	**11,524.72**	**1,258.96**	**12,783.68**
परिशोधन और क्षति			
01 अप्रैल 2023	11,524.72	654.92	12,179.64
परिशोधन	-	85.21	85.21
31 मार्च 2024	11,524.72	740.13	12,264.86
परिशोधन		85.21	85.21
31 मार्च 2025	**11,524.72**	**825.35**	**12,350.07**
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2025	**-**	**433.62**	**433.62**
31 मार्च 2024	-	518.83	518.83

वन भूमि के उपयोग का अधिकार : विशिष्ट उपयोग और स्वामित्व के लिए झारखंड सरकार से प्राप्त की गई 437.164 हेक्टेयर (31.03.2024 : 437.164 हेक्टेयर) की वन भूमि झारखंड सरकार के पास पड़ी है

6. ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर–वर्त्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
–कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	526.80	506.27
प्रतिभूति–रहित, जो वसूली योग्य समझे गए है		
–कर्मचारियों को अग्रिम	110.39	99.08
	637.19	**605.35**
वर्त्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
–कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	198.27	153.52
प्रतिभूति–रहित, जो वसूली योग्य समझे गए है		
–कर्मचारियों को अग्रिम	465.72	478.13
–कर्मचारियों से अन्य प्राप्तियां	136.62	12.72
–अन्य प्राप्तियां	4,138.87	3,494.09
	4,938.87	**4,138.45**

7. अन्य गैर-वर्त्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
पूजीं अग्रिम (प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए)	551.06	552.39
	551.06	**552.39**

8. मालसूची (इन्वेंटरी)

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कच्चा माल		2,610.87	3,262.70
कार्य प्रगति पर		6,412.28	6,312.17
तैयार माल		-	-
अयस्क		14,165.71	8,303.24
गौण उत्पाद	64.53		
कम : प्रावधान	3.25	61.28	42.61
रद्दी माल		408.56	629.55
गोदाम और पुर्जे		6,031.32	5,055.74
कम : अप्रचलित गोदाम और पुर्जे के लिए प्रावधान		(793.66)	(623.45)
		5,237.66	4,432.29
गोदाम और पुर्जे – पारागमन में		151.91	276.57
		29,048.26	**23,259.12**

9. कारोवार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कारोबार प्राप्तियां (सुरक्षित युक्त, जिन्हें वसूली योग्य समझा गया)	45,011.25	28,271.41
	45,011.25	**28,271.41**

–विल प्राप्त करने वाले व्यापार 28,271.41
– अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य शून्य

31 मार्च 2025

(₹ लाख में)

विवरण	प्राप्ति की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	33,314.95	7,573.19	4,123.12	__	__	45,011.25
2. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	__	__	__	__	__	__
3. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	__	__	__	__	__	__
4. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	__	__	__	__	__	__
5. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	__	__	__	__	__	__
6. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	__	__	__	__	__	__
कुल	**33,314.95**	**7,573.19**	**4,123.12**	__	__	**45,011.25**

31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

	प्राप्ति की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	17,091.38	3,873.13	7,306.90	-	-	28,271.41
2. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	__	__	__	__	__	__
3. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	__	__	__	__	__	__
4. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	__	__	__	__	__	__
5. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं	__	__	__	__	__	__
6. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	__	__	__	__	__	__
कुल	**17,091.38**	**3,873.13**	**7,306.90**	__	__	**28,271.41**

10. नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
हाथ में नकदी (अग्रदाय नकदी और स्टांप सहित)	1.05	0.76
बैंकों में जमा शेष :		
– चालू खाता में	61.14	120.13
– तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	12.16	330.49
– तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)	349.19	331.50
	423.54	**782.89**

11. नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैकं शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	1,20,929.57	1,9518817
तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)*	36.43	34.84
	1,20,966.00	**1,95,223.01**

* ऋण पत्र के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर –वर्त्तमान		
प्रतिभूति जमा	1,104.82	1,092.23
कर्मचारी से अर्जित ब्याज	644.60	666.66
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	51,262.22	7,039.26
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)*	1,400.85	1,105.17
जीएलएस पॉलिसी में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ संतूलन	12,932.35	12,000.08
	67,344.85	**21,903.40**
वर्त्तमान		
उपार्जित ब्याज		
– बैंकों से	991.03	4,057.34
– कर्मचारियों से	95.04	84.85
– अन्य से	0.77	0.77
	1,086.84	**4,142.96**

* बैंक गारंटी के विरुद्व ग्रहणाधिकार

13. अन्य वर्त्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
पूर्वदत्त व्यय	39.81	31.68
अग्रिम (प्रतिभूति–रहित)		
–ठेकेदारो, सरकारी विभाग आदि को अग्रिम	17,604.81	16,626.68
–आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम		
क) वसूली योग्य समझे गए	1,521.52	1,351.58
ख) संदिग्ध माने गए	2.33	2.33
	1,523.86	1,353.92
कम : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.33	2.33
	1,521.52	1,351.58
	19,166.14	**18,009.94**

नोट: ठेकेदारों, सरकारी विभागों आदि को दिए गए अग्रिम में मैग्नेटाइट पर रॉयल्टी के रूप में 165.63 लाख रुपये शामिल हैं, जो विवादित मांग के विरुद्ध वर्ष 2007–08 में झारखंड सरकार के जिला खनन कार्यालय में विरोध स्वरूप जमा किए गए थे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 15.01.2024 को यूसीआईएल के पक्ष में एक आदेश सुनाया है और खान प्राधिकरण को निर्धारित राशि की पुनर्गणना और समझौते के अनुसार ब्याज सहित भुगतान करने तथा यूसीआईएल द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है। अब मामला संबंधित विभाग के पास है।

14. शेयर पूंजी

क) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	इक्विटी शेयर	
	संख्या	लाख में
अधिकृत शेयर पूंजी		
1 अप्रैल 2023	350,00,000	3,50,000.00
शेयर पूंजी में वृद्वि / कमी	-	-
31 मार्च 2024	350,00,000	3,50,000.00
शेयर पूंजी में वृद्वि / कमी	-	-
31 मार्च 2025	**350,00,000**	**3,50,000.00**

ख) इक्विटी पूंजी निर्गम

विवरण	संख्या	लाख में
I. रु. 1000 / – प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 581 / – तक का भुगतान नकद के अलावा में तथा रु. 419 / – प्रत्येक का भुगतान नकद में)		
1 अप्रैल 2023	1,00,000	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024	1,00,000	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2025	**1,00,000**	**1,000.00**
II. रु. 1000 / – प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य के रुप में मान्य करने हेतु पूर्ण प्रदत्त के रुप में आवंटित किए गए है		
1 अप्रैल 2023	1,853	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024	1,853	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2025	**1,853**	**18.53**
III. रु. 1000 / – प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद पूर्णतः नकद में भुगतान	-	
1 अप्रैल 2023	208,44,325	2,08,443.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024	208,44,325	2,08,443.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2025	**208,44,325**	**2,08,443.25**
31 मार्च 2025	**209,46,178**	**2,09,461.78**
31 मार्च 2024	209,46,178	2,09,461.78

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य 1000/– प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लाभ और पिछले वर्षों के संचित लाभ में से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 15,350 लाख रुपये (पिछले वर्ष 19,501 लाख रुपये) के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

31.03.2025

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर				
क्रम. स.	प्रमोटरों का नाम	शेयर के संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति*	1,57,09,633	75%	(13%)
2	एन पी सी आई एल	52,36,545	25%	13%
	कुल		2,09,46,178	100%

31.03.2024

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर				
क्रम. स.	प्रमोटरों का नाम	शेयर के संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति*	1,84,30,778	88%	12%
2	एन पी सी एल	25,15,400	12%	12%
	कुल	2,09,46,178	100%	-

सरकारी नामांकित व्यक्तियों के शेयर सहित

नोट : 1. राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 में एनपीसीआईएल द्वारा यूसीआईएल में 25% इक्विटी की खरीद – डीएई से एनपीसीआईएल को शेयरों का हस्तांतरण। 2. परमाणु ऊर्जा आयोग और सचिव, डीएई द्वारा जारी राष्ट्रपति का निर्देश (पत्र संख्या 19/10/2021–पावर/3606 दिनांक 17.03.2023)। 3. 2515400 इक्विटी शेयरों का पहला लॉट एनपीसीआईएल के पक्ष में हस्तांतरित (444.66 करोड़ रुपये के भुगतान के विरुद्ध)। 4. 2721145 इक्विटी शेयरों का दूसरा लॉट एनपीसीआईएल के पक्ष में हस्तांतरित (481.03 करोड़ रुपये के भुगतान के विरुद्ध) और शेयर हस्तांतरण पूरा हुआ।

15. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2023	–	14,336.03	1,46,475.04	1,60,811.07
वर्ष का लाभ	–	–	23,863.37	23,863.37
वर्ष की अन्य व्यापक आय	–	–	(4,130.48)	(4,130.48)
शेयर आवंटन हेतु प्राप्त राशि	–	–	–	–
शेयरों का निर्गम	–	–	–	–
भुगतान किया गया लाभांश	–	–	–	–
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	–	–	–	–
31 मार्च 2024	–	**14,336.03**	**1,66,207.93**	**1,80,543.96**
जोड़ें : व्यय में पूर्व अवधि (वित्त वर्ष 2023–24) त्रुटि का समायोजन	–	–	905.63	905.63
घटाएँ : उपरोक्त मद से संबंधित आयकर**	–	–	284.91	284.91
31 मार्च 2024 – घोषित	–	**14,336.03**	**1,66,828.65**	**1,81,164.68**
वर्ष का लाभ	–	–	13,902.61	13,902.61
वर्ष की अन्य व्यापक आय				
(परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	–	–	(1,285.66)	(1,285.66)
शेयर आवंटन हेतु प्राप्त राशि	–	–	–	–
शेयरां का निर्गम	–	–	–	–
लाभांश भुगतान	–	–	(19,500.89)	(19,500.89)
अंतरिम लाभांश भुगतान	–	–	–	–
31 मार्च 2025	–	**14,336.03**	**1,59,944.70**	**1,74,280.73**

सामान्य आरक्षित :रिजर्व का निर्माण इक्विटी के एक घटक, अर्थात् प्रतिधारित आय से दूसरे घटक में विनियोजन द्वारा किया गया था, जो अन्य व्यापक आय का मद नहीं है।

* 905.63 लाख रुपये के पूंजीगत कार्य–प्रगति को वर्ष 2023–24 में मरम्मत और रखरखाव व्यय में अनजाने में दिखाया गया था। उपरोक्त के सुधार और पिछले वर्ष की संबंधित राशि के पुनर्कथन के साथ नीचे प्रकटीकरण दर्शाया गया है। प्रतिधारित आय, पिछले वर्षों के लिए आयकर का समायोजन और अचल संपत्तियाँ (2023–24 में CWIP] 2024–25 में पूंजीकृत) को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार वर्ष 2024–25 में समायोजित किया गया है, जो कि भविष्य में अप्रासंगिक हैं।

** आयकर पर ब्याज और ब्याज पर अतिरिक्त आयकर भुगतान के आधार पर खातों से वसूला जाएगा।

31 मार्च, 2024 तक तुलन–पत्र पुनः घोषित

(₹. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2024-पुन: घोषित	31 मार्च 2024
संपत्ति			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	1,60,130.81	1,60,130.81
प्रगतिधीन कार्य पूजी	4	25,262.81	24,357.18
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	518.83	518.83
वित्तीय परिसंपत्तियां			
– ऋण	6	605.35	605.35
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	21,903.40	21,903.40
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	7	552.39	552.39
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया		**2,08,973.58**	**2,08,067.95**
वर्तमान संपत्ति			
मालसूची (इन्वेंटरी)			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
– व्यापार प्राप्य	8	23,259.12	23,259.12
– नकद और नकद समतुल्य	9	28,271.41	28,271.41
– नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष राशि	10	782.89	782.89
– ऋण	11	1,95,223.01	1,95,223.01
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	4,138.45	4,138.45
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	12	4,142.96	4,142.96
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	13	18,009.94	18,009.94
कुल परिसंपत्तियां		**2,73,827.78**	**2,73,827.78**
		4,82,801.36	**4,81,895.73**
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी	14	2,09,461.78	2,09,461.78
अन्य इक्विटी	15	1,81,221.66	1,80,543.96
कुल इक्विटी		**3,90,683.44**	**3,90,005.74**
देयताए			
गैर–वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
– अन्य वित्तीय देनदारियां	16(b)	774.42	774.42
प्रावधान	17	21,454.80	21,454.80
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	19	3,507.90	3,507.90
कुल गैर–वर्तमान देनदारियां		**25,737.11**	**25,737.11**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय उधार			
– व्यापार देय			
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	16(a)	1,355.05	1,355.05
– अन्य	16(a)	12,044.66	12,044.66
– अन्य वित्तीय देनदारियां	16(b)	53,010.63	53,010.63
अन्य वर्तमान देनदारिया	20	2,879.97	2,879.97
प्रावधान	17	4,989.15	4,989.15
वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध))	18	(7,898.65)	(8,126.58)
कुल वर्तमान देनदारियां		**66,380.81**	**66,152.88**
कुल देनदारियां		**92,117.92**	**91,889.99**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**4,82,801.36**	**4,81,895.73**
खातों के लिए नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, खातों पर अतिरिक्त नोट और अतिरिक्त नियामक नीतियां	**1,2, 35, 36**		

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी पुनः घोषित

(₹. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2024 –पुनःघोषित	31 मार्च 2024
आय			
परिचालन से राजस्व	21	2,31,708.26	2,31,708.26
अन्य आय	22	15,556.18	15,556.18
कुल आय		**2,47,264.44**	**2,47,264.44**
व्यय			
उपयोग की गई सामग्री की लागत	23(a)	22,524.38	22,524.38
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23 (b)	(3,590.36)	(3,590.36)
कर्मचारी लाभ व्यय	24	63,967.56	63,967.56
वित्तीय लागत	25	99.77	99.77
ह्रास और परिशोधन व्यय	26	26,552.41	26,552.41
अन्य व्यय	27	1,04,591.86	1,05,497.49
कुल व्यय		**2,14,145.62**	**2,15,051.26**
कर से पहले लाभ/ (हानि)		**33,118.82**	**32,213.18**
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर	28	11,039.46	10,811.53
(2) आस्थगित कर	28	(2,461.72)	(2,461.72)
कुल कर व्यय		**8,577.74**	**8,349.81**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**24,541.07**	**23,863.37**
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः मापन		(4,249.34)	(4,249.34)
उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर		214.10	118.86
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		(4,130.48)	(4,130.48)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**20,410.59**	**19,732.89**
प्रति शेयर आय			
बेसिक और डाइल्यूट	29	117.16	113.93

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024–पुनः घोषित	31 मार्च 2024
परिचालन इकाइयाँ :		
a. जादूगोड़ा माइंस एंड मिल	1,920.90	1,920.90
b. तुरामडीह माइंस	317.57	317.57
c. बागजाता माइंस	4,221.39	4,221.39
d. तुरामडीह मिल	63.22	63.22
e. मोहुलडीह माइंस	3,133.60	3,133.60
f. तुम्मलापल्ली माइंस एंड मिल	7,729.92	6,824.29
g. नरवापहाड़ माइंस	4.95	4.95
	17,391.55	**16,485.92**
चालू परियोजनाएं :		
a. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	2,326.59	2,326.59
b. परिचालन का डेबोटलनेकिंग	36.23	36.23
	2,362.82	**2,362.82**
परियोजना–पूर्व व्यय :		
a. लाम्बापुर परियोजना	968.71	968.71
b. के.पी.एम. परियोजना	1,004.76	1,004.76
c. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	238.15	238.15
d. गोगी परियोजना	735.70	735.70
e. रोहिल परियोजना	1,960.12	1,960.12
f. गाराडीह	27.04	27.04
g. कन्नमपल्ली	227.17	227.17
h. जजावल परियोजना	137.91	137.91
	5,299.57	5,299.57
स्थापना/उपयोग लंबित स्टॉक में पूंजीगत परिसंपत्ति	208.86	208.86
कुल	**25,262.81**	**24,357.18**

16. वित्तीय देनदारियाँ

(a) व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
विविध लेनदार		
- एमएसएमई	1,088.60	1,355.05
- अन्य	12,604.33	12,044.66
कुल	**13,692.93**	**13,399.70**

व्यापार देय की अनुसूची

31 मार्च 2025 तक

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
एमएसएमइ	770.68	87.59	75.61	154.72	1,088.60
अन्य	4,770.16	59.74	5,311.53	2,462.91	12,604.33
विवादित बकाया एमएसएमइ	-	-	-	-	-
विवादित बकाया अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**5,540.84**	**147.33**	**5,387.14**	**2,617.63**	**13,692.93**

31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

Particulars	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
एमएसएमइ	1,067.21	119.03	58.90	109.90	1,355.05
अन्य	4,007.57	5,465.25	1,127.21	1,444.63	12,044.66
विवादित बकाया एमएसएमइ	-	-	-	-	-
विवादित बकाया अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**5,074.78**	**5,584.28**	**1,186.11**	**1,554.53**	**13,399.70**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	3 31 मार्च 2024
वर्ष के अंत में बकाया मूल राशि	1,088.60	1,355.05
वर्ष के अंत में बकाया व्याज राशि		
वर्ष के दौरान नियत तिथि से परे आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान की गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्त्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि		
वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्त्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
पहले से किए गए भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं को बकाया और देय ब्याज	-	-
पिछले वर्षो के लिए अन्य बकाया एवं देय ब्याज	-	-

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण सम्बंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया।

ग) अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर–वर्त्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	2,536.50	774.42
	2,536.50	**774.42**
वर्त्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	44,340.60	45,342.09
कर्मचारी और एसीईएस के लिए देयता	2,339.68	2,441.28
सरकारी संस्थाओं के लिए के लिए देयता टिप्पणी (i) & (ii)) देखें	4,587.76	4,678.19
अन्य खर्चो के के लिए देयता	614.54	549.07
	51,882.57	**53,010.63**

टिप्पणी:

(i) वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद पड़ी तुरामडीह परियोजना की परिसंपत्तियों को 2322.00 लाख रुपये के मूल्य पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खदान को पुनः खोलने पर परिसंपत्तियों को वापस ले लिया गया है। सीआरपीएफ द्वारा किए गए 3467.00 लाख रुपये के कुल दावे के मुकाबले पिछले वर्षों में 2947.00 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष 520.00 लाख रुपये अंतिम निपटान तक खातों में रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

(ii) कंपनी भारत सरकार की बंद पड़ी तुरामडीह परियोजना की 1110.60 लाख रुपये (31.03.2024:1110.60 लाख रुपये) की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मूल्य के आधार पर खातों में 1110.60 लाख रुपये (31.03.2024:1110.60 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है।

17. प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	गैर–वर्त्तमान	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान	वर्त्तमान
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
– ग्रेच्युटी	-	1,650.54	-	4,169.85
– अवकाश नकदीकरण	12,760.60	672.04	11,752.40	660.18
– सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ	10,394.29	183.12	8,583.54	155.99
– छुटटी यात्रा रियायत	-	-	-	-
	23,154.89	**2,505.70**	**20,335.94**	**4,986.02**
अन्य के लिए प्रावधान				
– खादान बंदी दायित्व	1,208.36	-	1,118.85	-
– अन्य	-	3.13	-	3.13
	1,208.36	**3.13**	**1,118.85**	**3.13**
कुल प्रावधान	**24,363.26**	**2,508.83**	**21,454.80**	**4,989.15**

टिप्पणी : अवकाश नकदीकरण के प्रावधान में स्कूल कर्मचारियों के लिए प्रावधान शामिल है।

18. वर्तमान कर देयता (शुद्व)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कराधन के प्रावधान	36,441.40	24,574.08
कमं : कराधान के लिए अग्रिम	23,544.66	16,447.51
वर्तमान कर संपत्ति /देनदारियां	**12,896.74**	**8,126.58**

नोटः कराधान के प्रावधान में 6812.21 लाख रुपये का वर्तमान कर तथा पिछले वर्षों का शेष कर शामिल है।

19. आस्थागित कर देयता (शुद्व)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
आस्थागित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	7,977.08	9,267.68
आस्थागित कर परिसंपत्तियां		
पूर्वदत्त व्यय	0.08	0.43
अप्रचलित स्ओर के लिए प्रावधान	199.75	156.91
अवकाश नकदीकरण के लिए देयता	3,380.73	3,121.29
सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	2,662.12	2,199.56
खदान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	304.12	281.59
	6,546.80	5,759.79
आस्थागित कर देयता (शुद्व)	**1,430.28**	**3,507.90**

20. अन्य वर्त्तमान देयता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पनी i एवं ii देखें)	754.45	754.45
गोगी ओर रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त धन (टिप्पनी iii एवं iv देखें)	209.99	209.99
सरकारी संस्थानों के लिए देयता	8.93	4.26
कर्मचारी एवं एईसीएस के लिए देयता	965.92	1,011.22
वैधानिक बकाया	1,018.69	900.06
	2,957.99	**2,879.97**

टिप्पणी:

(I) मेघालय में काइलेंग पाइडेंगसोहिओंग मावथाबा खनन एवं मिलिंग परियोजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु अवसंरचना विकास हेतु अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार से कुल 4000.00 लाख रुपये (31.03.2024: 4000.00 लाख रुपये) प्राप्त हुए। कुल 4000.00 लाख रुपये में से 3322.03 लाख रुपये (31.03.2024:3322.03 लाख रुपये) की राशि 31.03.2025 तक केएचएडीसी को जारी कर दी गई।

(ii) अनुदान सहायता की शेष राशि में उस पर अर्जित 76.49 लाख रुपये (31.03.2024:76.49 लाख रुपये) का संचयी ब्याज शामिल है।

(iii) राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम भंडार का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया जा रहा है। एएमडी ने रोहिल में अन्वेषणात्मक खनन कार्य के लिए यूसीआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसीआईएल खदान प्रबंधक और एजेंट के रूप में कार्य करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त धनराशि को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया गया है और शेष 73.06 लाख रुपये को लेखा पुस्तकों में देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(iv) कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में गोगी परियोजना के लिए अन्वेषणात्मक खनन द्वारा पूर्वेक्षण कार्य करने हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच 06.03.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके लिए एएमडी द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई। यूसीआईएल खदान प्रबंधक और एजेंट के रूप में कार्य करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त धनराशि को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया जाता है और शेष 136.93 लाख रुपये को लेखा पुस्तकों में देयता के रूप में दर्शाया गया है।

21. परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
a) चालू वर्ष के लिए	2,24,135.06	2,54,101.29
b) पिछले वर्ष के लिए	(7,186.62)	(22,918.32)
	2,16,948.43	**2,31,182.96**
अन्य परिचालन राजस्व		
गौण–उत्पादों की बिक्री	1,290.97	525.29
कुल	**2,18,239.40**	**2,31,708.26**

वर्ष 2022–23 के लिए मुआवजे की दर की सिफारिश मुख्य सलाहकार लागत (सीएसी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा की जा चुकी है और इसे भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा घोषित किया जाना बाकी है। वर्ष 2023–24 के लिए मुआवजे की दर की सिफारिश सीएसी द्वारा की जानी बाकी है। वर्ष 2023–24 के मुआवजे मूल्य के दावे के आधार पर डीएई द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए मुआवजे की दर अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है। वर्ष 2022–23, 2023–24 और 2024–25 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा यूरेनियम सांद्रण के मुआवजे की दर को अंतिम रूप दिए जाने तक, वर्ष 2022–23 के लिए CAC द्वारा अनुशंसित दर और वर्ष 2023–24 के लिए यूरेनियम सांद्रण के मुआवजे की दावा दर तथा वर्ष 2024–25 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा घोषित मुआवजे की अनंतिम दर को वर्ष 2024–25 के लिए परिचालन से राजस्व निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा गया है। यदि कोई अंतर होगा, तो उसे दर के अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में शामिल किया जाएगा। पिछले वर्षों के मुआवजे को ऊपर दर्शाया गया है।

22. अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
बैंकों और एलआईसी में जमा राशि पर ब्याज	15,394.45	13,352.77
आयकर रिफंड पर ब्याज	158.21	-
अन्य पर ब्याज	115.16	64.96
स्क्रैप की बिक्री	387.35	167.53
उपकरणों और वाहनों का किराया शुल्क	1.88	1.82
आपूर्तिकर्त्ताओं से पैकिंग संशोधन भाड़ा दंड आदि से संबधित वसूली	537.07	817.23
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	2.72	0.58
देयताएं और प्रावधान जो अब अनावश्यक हो चुके है	13.12	510.14
टाउनशिप रसीद	526.53	467.42
विविध रसीद	250.33	173.73
कुल	**17,386.81**	**15,556.18**

23. (क). उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक	3,262.70	3,452.15
जोड़ : खरीदारी	21,331.84	22,334.92
घटा :कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	2,610.87	3,262.70
उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत	**21,983.67**	**22,524.38**

23. (ख) तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य की सूची (इन्वेटरी) में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्ष के आरंभ में मालसूची (इन्वेंटरी)		
– तैयार माल	-	-
– अयस्क	8,303.24	4,783.03
– गौण उत्पाद	45.86	40.41
– प्रगतिधीन कार्य	6,312.17	6,405.18
– स्क्रैप	629.55	471.84
	15,290.82	**11,700.46**
घटाएं : वर्ष के अंत में मालसूची (इन्वेंटरी)		
– तैयार माल	-	-
– अयस्क	14,165.71	8,303.24
– गौण उत्पाद	64.53	45.86
– प्रगतिधीन काय	6,412.28	6,312.17
– स्क्रैप	408.56	629.55
	21,051.08	**15,290.82**
मालसूची में कुल (वृद्वि)/कमी	**(5,760.26)**	**(3,590.36)**

24. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वेतन मजदूरी और भत्ते	53,188.69	52,917.19
भविष्य निधि मे योगदान	4,686.28	4,618.08 4
ग्रेच्युटी निधि मे योगदान	991.70	700.99
कल्याण कोष में योगदान	2.09	1.65
सेवानिवृति निधि में योगदान	666.84	686.66
सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,143.97	1,040.68
एल टी सी व्यय	1.12	0.58
कर्मचारी कल्याण व्यय	614.27	789.41
चिकित्सा व्यय	2,797.86	3,212.32
	64,092.83	**63,967.56**

25. वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
आयकर पर ब्याज	479.33	16.90
खदान बंदी दायित्व के लिए छूट का मोचन	89.51	82.88
	568.84	**99.77**

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास (टिप्पणी 3)	23,727.20	26,468.80
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी 5)	85.21	85.21
कमः परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय	(5.43)	(1.59)
	23,806.98	**26,552.41**

27. अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
संविदात्मक खान विकास व्यय	8,699.64	9,863.44
तुम्मालापल्ली संविदात्मक खनन व्यय	25,132.74	22,712.22
भंडार और पुर्जो का उपभोग	15,549.57	15,712.53
बिजली और ईधन	16,847.45	16,825.46
जल शुल्क	1,439.49	1,292.18
रॉयल्टी	6,529.47	6,028.03
परिवहन व्यय	786.57	949.18
मरम्मत और रखरखाव : (टिप्पणी क देखें)		
– संयत्र एवं मशीन	14,214.06	14,904.06
– इमारतें	1,603.18	1,278.43
– अन्य	1,643.64	2,632.20
माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क	772.24	530.80
अप्रचलित स्टोर प्रावधान	170.20	164.42
दरें और कर	25.67	25.03
सुरक्षा खर्च	7,841.57	8,106.03
बीमा	36.68	34.29
विज्ञापन	15.07	11.77
यात्रा और वाहन	239.83	238.86
वाहन किराया शुल्क	1,898.45	1,520.91
संचार लागत	80.00	81.22
छपाई और लेखन सामग्री	53.77	74.83
परामर्श शुल्क	648.95	717.22
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी ख देखें)	5.25	5.06
विधिक और पेशेवर शुल्क	236.10	81.50
सीएसआर व्यय (टिप्पणी ग देख)	764.16	909.93
जीएसटी व्यय	6,064.50	18.59
टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं का व्यय	362.16	404.43
विविध व्यय	422.40	374.87
कुल	**1,12,082.82**	**1,05,497.49**

टिप्पणी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क) मरम्मत और रखरखाव में शमिल		
– भंडारो की खपत	2,458.41	2,753.92
–पुर्जो का खपत	11,519.52	11,864.13

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
ख) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
– लेखा परीक्षा शुल्क	4.35	3.76
– कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.90	1.06
– अन्य सेवाओं के लिए	-	0.24
कुल	**5.25**	**5.06**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
ग) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 कि लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि और वित्तीय विवरण इस प्रकार है		
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षो का कुल शुद्व लाभ	1,19,678.14	1,49,785.68
शुद्व लाभ का औसत	39,892.71	49,928.56
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रतिशत	2.00%	2.00%
वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	797.85	998.57
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक राशि	764.16	909.93
अधिशेष / (कर्मी)	(33.70)	(88.64)
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
(I) किसी परिसंपति का निर्माण / अधिग्रहण – नकद में	116.26	268.18
– अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया है	44.18	57..76
	160.44	286.68
(ii) – उपरोक्त (i) के अलावा – नकद में	367.01	580.66
– अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया है	236.71	42.60
	603.72	623.25
	764.16	**909.93**

यूसीआईएल की सीएसआर पहल निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, विकास परियोजनाएं, कौशल विकास, खेल एवं संस्कृति को बढ़ावा देने और अन्य गतिविधियों के क्षेत्रों में कंपनी के संचालन क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 218.93 लाख रुपये की अतिरिक्त सीएसआर राशि खर्च की है और इसे कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अगले तीन वित्तीय वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022–23 और उसके बाद के लिए) के दौरान समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 86.10 लाख रुपये की कमी को यूसीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2021–22 में यूसीआईएल द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से समायोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जुटाई गई 88.64 लाख रुपये की कमी को भी वित्त वर्ष 2021–22 में खर्च की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से समायोजित किया गया है। समायोजित करने के बाद, 31.03.2025 तक भविष्य के समायोजन के लिए 44.19 लाख रुपये की शेष अधिशेष राशि उपलब्ध है।

28. आयकर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्त्तमान कर		
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर कर	6,812.24	10,811.53
पहले के वर्षों से संबधित कर	-	-
	6,812.24	**10,811.53**
आस्थागित कर		
आस्थागित कर प्रभार / (क्रेडिट)	(1,863.51)	(2,461.72)
मैट क्रेडिट (लिया गया) / उपयोग किया गया	0	0
कुल आस्थागित आयकर व्यय / लाभ	(1,863.51)	(2,461.72)
कुल आयकर व्यय	**4,948.73**	**8,349.81**

आय कर से पहले लाभ पर वैधानिक आयकर दर को लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का सारांश नीचे दिया गया है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
भारत में आयकर की अधिनियमित दर	25.17%	25.17%
कर से पूर्व लाभ	18,851.34	32,213.18
भारत में लागू आयकर दर के अनुसार कर से पूर्वलाभ पर वर्त्तमान कर व्यय	4,744.50	8,107.41
भुगतान के आधार पर अनुमति दिए गए आइटम	(108.73)	13.39
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य/(कर योग्य) नही है	312.96	229.01
पहले के वर्षो से संबंधित कर :	-	-
कुल आयकर व्यय/क्रेडिट	**4,948.73**	**8,349.81**

आयकर अधिनियम 1961, वित्त अधिनियम 2020 की धारा 115 BAA के अनुसार, वर्ष 2024–25 के लिए लागू कर की दर 25.17% (2023–2024–25.17%) है। प्रभावी कर दर 25.17% (2023–2024 : 25.17%) है।

आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियों में संचलन

(₹ लाख में)

विवरण	पीपीई	कर्मचारी लाभ	अप्रचलित स्टोर	अन्य वस्तु	मैट क्रेडिट	कुल
1st अप्रैल 2023	**(11,223.35)**	**4,752.35**	**120.51**	**262.02**	**-**	**(6,088.47)**
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
– लाभ या हानि	1,955.67	449.65	36.40	20.01	-	2,461.72
– अन्य व्यापक आय	-	118.86	-	-	-	118.86
31 मार्च 2024	**(9,267.68)**	**5,320.85**	**156.91**	**282.02**	**-**	**(3,507.90)**
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
– लाभ या हानि	1,290.61	507.90	42.84	22.17	-	1,863.51
– अन्य व्यापक आय	-	214.10	-	-	-	214.10
31 मार्च 2025	**(7,977.08)**	**6,042.85**	**199.75**	**304.20**	**-**	**(1,430.28)**

29. प्रति शेयर आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्ष के लिए लाभ/ हानि	13,902.61	23,863.37
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	209.46	209.46
प्रति शेयर मूल और तनु आय (रु:) (प्रति शेयर रु: 1000 का अंकित मूल्य)	66.37	113.93

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

क) परिभाषित अंशदायी योजना

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	4,686.28	4,618.08
सेवानिवृत्ति निधि में योगदान	666.84	686.6

ख) परिभाषित लाभ योजनाएं

विवरण	31 मार्च 20255		31 मार्च 2024	
	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	156.47	8,982.78	155.99	8,583.54
ग्रेच्युटी	-	(3,512.12)	-	(2,003.09)
अवकाश निधि में योगदान	672.04	12,760.60	660.18	11,752.40

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्ति कर्मिको को सेवानिवृत्ति पश्चात् स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करती है। इन लाभों के लिए पात्रता की शर्त आमतौर पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा मे बने रहना और न्युनतम सेवा अवधि पूरा करना होती है। इन लाभों की अपेक्षित लागतों को नियोजन की अवधि मे उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके उपार्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होनेवाले पुनःमापित लाभों और हानियों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में उसी अवधि में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होतें हैं ।

क) तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
योजना देनदारियों का वर्त्तमान मूल्य	10,577.41	8,739.53
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता/ परिसंपत्ति	**10,577.41**	**8,739.53**

ख़ योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों का संचालन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1 अप्रैल तक	8,739.53	7,301.37
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	537.69	510.40
शुद्ध ब्याज	606.28	530.28
	1,143.97	1,040.68
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि		
– जनसांख्यिकीय मान्यताएं	973.25	484.28
– वित्तीय मान्यताएं	(122.56)	(12.03)
– अनुभव समायोजन	850.69	472.25
भुगतान किए गए लाभ	(156.78)	(74.77)
31 मार्च तक	**10,577.41**	**8,739.53**

ग. लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रुप में मान्य की गयी राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
पिछली सेवा लागत	-	
वर्तमान सेवा लागत	537.69	510.40
शुद्ध ब्याज	606.28	530.28
	1,143.97	1,040.68
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**1,143.97**	**1,040.68**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनःमापन		
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमाकिंक लाभ/हानि	850.69	472.25
कर से पहले अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ/हानि	**850.69**	**472.25**

घ. धारणाएं

तुलन पत्र की तारिख के अनुसार प्रमुख बीमांकिक धारणाएं :

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
छुट का दर (%)	6.50%	7.00%
चिकित्सा मुद्रास्फिति दर	6.00%	6.00%

ङ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित दायित्व को संवेदनशीलता इस प्रकार है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छुट का दर (अधिकारियों)	1.00%	(1,377.45)	1,827.75	1.00%	(1,120.77)	1,480.46
छुट का दर (कर्मचारियों)	1.00%	(444.35)	589.76	1.00%	(351.62)	464.30
चिकित्सा वृद्वि दर (अधिकारियों)	1.00%	1,777.95	(1,367.22)	1.00%	1,447.38	(1,116.55)
चिकित्सा वृद्वि दर (कर्मचारियों)	1.00%	574.02	(441.40)	1.00%	454.22	(350.63)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाले प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

च. परिपक्वता

परिभाषित लाभ निम्नलिखित रुप में परिपक्व होगें :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
2024	-	161.35
2025	188.98	189.92
2026	221.90	221.87
2027	254.88	253.33
2028	292.14	288.63
2029	331.45	1,979.52
2030 और इसके बाद	2,211.75	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है ।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

II. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के लिए देयताओं का निपटान, कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से होने की उम्मीद नहीं है।इसलिए इन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है।लाभों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनःमापन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

क. तुलन पत्र में मान्य की गयी राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	12,987.55	12,007.95
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्व देयता/परिसंपत्ति	**12,987.55**	**12,007.95**

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचालन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
01 अप्रैल तक	12,007.95	10,919.09
वर्त्तमान सेवा लागत	11,492.96	1,451.09
शुद्ध ब्याज	748.80	696.94
लाभ/हानि की तत्काल मान्यता – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	1,359.35	1,419.44
शुद्ध अवकाश नकदीकरण लागत	3,601.11	3,567.47
कम : राशि IEDC को हस्तांतरित	–	–
कर से पहले लाभ/हानि पर प्रभाव	3,601.11	3,567.47
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ/हानि		
– जनसांख्यिकीय मान्यताएं	–	–
– वित्तीय मान्यताएं	534.04	198.53
– अनुभव समायोजन	825.31	1,220.91
लाभ/हानि की तत्काल मान्यता – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	(1,359.35)	(1,419.44)
अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ	–	–
भुगतान किए गए लाभ	(2,621.51)	(2,478.61)
31 मार्च तक	**12,987.55**	**12,007.95**

ग. मान्यताएं

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
छुट की दर (%)	6.50%	7.00%
वेतन दर में वृद्धि	5.00%	5.00%

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छुट की दर	1.00%	(1,030.51)	1,196.07	1.00%	(937.24)	1,087.11
वेतन दर में वृद्धि	1.00%	1,202.45	(1,053.70)	1.00%	1,098.45	(962.52)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाले प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

ङ. परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
2024	-	637.13
2025	693.54	1,088.41
2026	1,164.37	1,091.59
2027	982.35	942.41
2028	1,174.80	1,116.51
2029	1,264.13	5,309.24
2030 और इसके बाद	5,119.14	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

कंपनी पेमेटं ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान है। 5 साल की अवधि तक निरंतर सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति / समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारियों द्वारा अतिम माह में आहरित मूल वेतन के आधार पर आनुपातिक रुप से सेवा के कुल वर्षो की संख्या में 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडों में योगदान करती है।

क. तुलन–पत्र में मान्य की गयी राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वित्त पोषित योजना देनदारियों का वर्त्तमान मूल्य	31,846.79	30,512.88
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	28,334.67	28,509.79
शुद्ध देयता/संपत्ति	**3,512.12**	**2,003.09**

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	योजना देयताएं	योजना परिसंपत्तियो	शुद्ध (देयता–परिसंपत्तियों)	योजना देयताएं	योजना परिसंपत्तियो	शुद्ध (देयता–परिसंपत्तियों)
1 अप्रैल तक	31,846.79	28,334.67	3,512	29,389.12	31,874.34	(2,485.22)
वर्तमान सेवा लागत	886.21	-	886.21	890.17	-	890.17
ब्याज व्यय/आय	2,037.93	1,902.67	135	2,025.26	2,204.20	(178.94)
	2,924.14	**1,902.67**	**1,021.47**	**2,915.43**	**2,204.20**	**711.23**
विगत सेवा लागत–योजना में संशोधन	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शमिल राशि को छोड़कर	-	579.78	(579.78)	-	(3,047.80)	3,048
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
– जनसांख्यिकीय मान्यताएं	-	-	-	-	-	-
– वित्तीय मान्यताएं	1,145	-	1,145	437	-	437
– अनुभव समायोजन	84.02	-	84.02	292.62	-	292.62
	1,228.86	579.78	649	729.28	(3,047.80)	3,777.08
भुगतान किए गए लाभ	(2,799.09)	(2,799.09)	-	(2,520.95)	(2,520.95)	-
नियोक्ता का योगदान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च तक	**33,200.70**	**28,018.04**	**5,182.67**	**30,512.88**	**28,509.80**	**2,003.09**

ग. कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्तमान सेवा लागत	866.21	890.17
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज	135.26	(178.94)
	1,001.47	711.23
कम : राशि IEDC को (स्थानांरित)	-	-
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**1,001.47**	**711.23**
बीमांकित शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व का पूनःमापन		
बीमांकित लाभ/मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न हानि	649.07	3,777.09
कम : राशि IEDC को (स्थानांरित)	-	-
कर से पहले अन्य व्यापक आय में शुद्ध (लाभ)/हानि को मान्यता दी गई	**649.07**	**3,777.09**

घ. योजना परिसंपत्तियों के निवेश का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i. भारत सरकार की प्रतिभूति	-	-
ii. कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
iii. विशेष जमा योजना	-	-
iv. अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

ग. मान्यताएं

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
छुट की दर (%)	6.50%	7.00%
वेतन दर में वृद्धि	5.00%	5.00%

30 कर्मचारी लाभ दायित्व

iii. ग्रेच्युटी

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छुट की दर	1.00%	(2,215.00)	1,393.32	1.00%	(2,072.06)	2,371.60
वेतन दर में वृद्धि	1.00%	2,542.65	(1,470.52)	1.00%	1,357.40	(1,409.12)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव को बढ़ाता है।

ङ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नानुसार परिपक्व होंगे :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
2024	2,183.47	-
2025	3,102.65	1,831.71
2026	2,903.16	3,293.83
2027	3,097.56	3,066.51
2028	3,374.40	2,864.72
2029 और इसके बाद	14,075.18	18,006.37

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाख में)

विवरण				31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क. ऋण के रुप में न स्वीकार किया गया दावा					
– झारखंड बिजली बोर्ड द्वारा ईधन अधिमार का दावा				1,855.00	1,855.00
– इसकी कटौती और कर देयता के लिए आयकर :				-	-
	वर्ष	(राशि लाख में)	लंबित है		
	वित्त वर्ष 2017-18	128.22	ITAT		
	वित्त वर्ष 2018-19	296.95	CIT (A)		
	वित्त वर्ष 2019-20	1,802.30	CIT (A)		
				2,227.47	2,227.47
खरकई नहर डिवीजन आदित्यपुर द्वारा खरकई नदी से जल आपूर्ति हेतु दावा किया गया जल शुल्क				1,867.01	1,933.00
– अन्य				0.59	0.59
ख. पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)				14,425.06	2,930.01
ग. मेसर्स माइथ्री इंफ्रा (यह आर्बिट्रल अवार्ड राशि है, जिसके खिलाफ यूसीआईएल ने वाणिज्यिक न्यायालय, जमशेदपुर में अपील की थी)				1,018.84	1,018.84
घ. मेसर्स राधेश्याम अग्रवाल (पार्टी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उठाए गए दावे की यह राशि मध्यस्थ के समक्ष लंबित है)				387.73	2,213.45

विभिन्न न्यायालयों में सेवा मामलों सहित अन्य मामले लंबित हैं, जिनके लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है/आकस्मिक देयता के रुप में खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर उन्हें परिमाणित नहीं किया जा सकता है ।

32. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(I) संबधित पक्षों का नाम और संबंध का विवरण :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(क) पूर्णकालिक निदेशक

डॉ. संतोष कुमार सतपति, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, यूईडी, बीएआरसी, 01.03.2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
श्री शारदा भूषण मोहंती, निदेशक (वित्त) आईआरईएल इंडिया लिमिटेड, 28.01.2025 तक यूसीआईएल के निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
श्री बिक्रम केशरी दास, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल 29.01.2025 से
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल 30.06.2024 तक
श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल 22.08.2024 से

(ख) निदेशक, उनके रिश्तेदार और उनके उद्यम जिन पर वे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं

मुख्य सचिव, झारखंड सरकार
श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई, 11.03.2024 से
श्री उदय एम शिंदे, आईएफए, डीएई 05.03.2025 से
डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी 01.01.2023 से
श्री बी. सरवनन, निदेशक, एएमडी 30.04.2024 तक
श्री धीरज पांडे, निदेशक, एएमडी 27.05.2024 से
कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री पी.के.पांडा, स्वतंत्र निदेशक 24.03.2025 तक

(ग) कम्पनी सचिव

श्री बी. सी. गुप्ता,

(II) संबंधित पक्ष लेनदेन

पूर्णकालिक निदेशकों और कम्पनी सचिव का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	66.75	222.08
नियोजन पश्चात लाभ	19.77	23.62

33. उचित मूल्य मापन

श्रणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन	-	-
– व्यापार प्राप्य	45,011.25	28,271.41
– नकद और बैंक शेष	1,21,389.54	1,96,005.90
– ऋण	5,576.06	4,743.80
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	68,431.69	26,046.35
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,40,408.54**	**2,55,067.46**
वित्तीय देयताएं		
लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां का मूल्याकंन	-	-
– उधारियां	-	-
– व्यापर देय	13,692.93	13,399.70
– अन्य	54,419.07	53,785.05
कुल वित्तीय देयताएं	**68,112.00**	**67,184.75**

33. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ, जिन्हे 31 मार्च 2025 तक परिशोधित लागत पर मापा जाता है	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियाँ				
– व्यापार प्राप्य राशियाँ	-	-	45,011.25	45,011.25
– नकद एवं बैंक शेषराशियाँ	-	-	1,21,389.54	1,21,389.54
– ऋण	-	-	5,576.06	5,576.06
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	68,431.69	68,431.69
	-	-	**2,40,408.54**	**2,40,408.54**
देनदारियाँ				
– व्यापार देयराशियाँ	-	-	13,692.93	13,692.93
– अन्य	-	-	54,419.07	54,419.07
	-	-	**68,112.00**	**68,112.00**

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ, जिन्हे 31 मार्च 2024 तक परिशोधित लागत पर मापा जाता है	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियाँ				
– व्यापार प्राप्य राशियाँ	-	-	28,271.41	28,271.41
– नकद एवं बैंक शेषराशियाँ	-	-	1,96,005.90	1,96,005.90
– ऋण	-	-	4,743.80	4,743.80
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	26,046.35	26,046.35
	-	-	**2,55,067.46**	**2,55,067.46**
देनदारियाँ				
– व्यापार देयराशियाँ	-	-	13,399.70	13,399.70
– अन्य	-	-	53,785.05	53,785.05
	-	-	**67,184.75**	**67,184.75**

व्यापार प्राप्य, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देय, बैंक जमा, उपार्जित ब्याज और उस पर वर्तमान उधार की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है। दिए गए ऋणों के उचित मूल्य की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्रमाणित इनपुटों के समावेश के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन उसकी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियाँ उसे तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य व्यापार प्राप्य बैंक जमा	उम्र बढ़ने का विश्लेषण	जमा ऋण सीमाओं का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता

पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी का लक्ष्य अपनी पूँजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है ताकि एक चालू व्यवसाय के रूप में अपनी क्षमता को सुरक्षित रखा जा सके और शेयरधारको को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। कंपनी का नीति कुल इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्थिर और मजबूत पूँजी संरचना बनाए रखने की है ताकि निवेशकों और लेनदारों का विश्वास बना रहे और वे अपने व्यवसाय के भविष्य के विकास और वृद्धि को बनाए रख सकें। कंपनी अपनी पूँजी संरचना को बनाए रखने या यदि आवश्यक हो तो समायोजित करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

टिप्पणी– 35

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

31 मार्च 2025 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

35.1 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के अनुसार कंपनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69– Min(मिन) दिनांक 7 अगस्त, 1973 और संख्या 7/6/69 Min(मिन) (पीएसयू) दिनांक 3 जुलाई, 1974 द्वारा आवर्त (टर्नओवर), उपभोग किए गए कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक, खरीदी गई या प्राप्त की गई कच्ची सामग्री, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन से संबंधित मात्रात्मक जानकारी प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।

तथापि, वर्ष 2003–04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त उच्च स्तरीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी के संचालन से संबंधित सभी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की गई है, परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004–पीएसयू/448 दिनांक 09 जुलाई, 2004 के तहत, ताकि कंपनी के खातों का वस्तुनिष्ठ और सार्थक लेखा परीक्षण किया जा सके, इस गोपनीयता समझौते के साथ कि सूचना किसी अन्य संस्था (एजेंसी)को नहीं दी जाएगी और लेखा परीक्षण रिपोर्ट में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाएगा।

35.2 कंपनी ने तुम्मलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (PY 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (PY 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरंग में 686.86 एकड़ (PY 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (PY 303.14 एकड़) भूमि, भाटिन सहित जादुगोड़ा में 1312.62 एकड़ (PY1312.62 एकड़) भूमि और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (PY 288.20 एकड़ उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ पत्राचार में) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त किया है। सरकार द्वारा नरवापहाड़ खनन पट्टा क्षेत्र के 1128.32 एकड़ के विस्तार को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार ने 27.01.2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सम्पूर्ण रिजर्व के समाप्त होने तक भूमि अधिग्रहण कर लिया है तथा गोगी परियोजना में 8.62 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।

35.3 1986 से कंपनी झारखंड के मुसाबनी में 3 (तीन) एकड़ जमीन का उपयोग कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा जारी मांग पत्र का भुगतान कर दिया गया है और झारखंड सरकार के साथ पट्टे (लीज) अंतरण विलेख (ट्रांसफर डीड) की प्रक्रिया चल रही है।

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख

बैलेंस शीट मे प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	के नाम मालिकाना हक	क्या मालिकाना हकदार एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई	निःशुल्क भूमि/पट्टे की भूमि	15.85	राज्य सरकार/निजी पार्टियां	नहीं	1986	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है

35.4 परियोजना पूर्व/चालू परियोजना व्यय :

(क) लांबापुर परियोजना (रु. 968.74 लाख) :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और तेलंगाना सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग से क्रमशः स्थापना हेतु सहमति (सीएफई) और खनन पट्टे की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

ख) के.पी.एम. परियोजना (रु.1004.76 लाख) :

परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व निर्देश के बाद, शिलांग स्थित यूसीआईएल का कार्यालय बंद रहेगा और परियोजना से संबंधित सभी गतिविधियाँ स्थगित रहेंगी। यूसीआईएल राज्य से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और उसने मेघालय सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि वह काइलेंग–प्यंडेंगसोहिओंग–मावथाबा (केपीएम) परियोजना में खनन और मिलिंग परियोजना शुरू करने में रुचि दिखाए।

ग) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में तुम्मलापल्ली विस्तारीकरण परियोजना (रु. 238.15 लाख) :

यूसीआईएल ने आंध्र प्रदेश स्थित तुम्मलापल्ली परियोजना का विस्तार शुरू किया है ताकि

मौजूदा संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4500 टन प्रतिदिन की जा सके। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2010 में तैयार की गई थी। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किए जा चुके हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

इसके बाद, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) ने 06.01.2021 को पर्यावरणीय जन सुनवाई के लिए अधिसूचना जारी की। इस बीच, एक स्थानीय गैर–सरकारी संगठन ने 29.12.2020 को माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में यूसीआईएल की विस्तार गतिविधियों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (PIL) संख्या 323/2020 दायर की। रिट याचिका के आधार पर, माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 31.12.2020 को स्थगन आदेश जारी किया।

परिणामस्वरूप, यूसीआईएल ने स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए 04.01.2021 को जवाबी हलफनामा दायर किया। 16.02.2021 को, माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन को रद्द करने का आदेश जारी किया और जन सुनवाई आयोजित करने की अनुमति दी। हालाँकि, हमारे अनुरोध पत्र दिनांक 17.05.2021 के जवाब में, एपीपीसीबी ने अपने पत्र संख्या K–216/PCB/RO/KDP/2021–48 दिनांक 19.05.2021 के माध्यम से सूचित किया कि कोविड–19 महामारी के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण जन सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है। इस बीच, टीओआर की वैधता समाप्त हो गई है और पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना होगा। इसे देखते हुए, यूसीआईएल ने एएमडी से परियोजना विस्तार के लिए 800 मीटर ऊर्ध्वाधर गहराई तक खोजे गए अतिरिक्त अयस्क भंडार पर विचार करते हुए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। जिसके विरुद्ध एएमडी ने 19.03.2025 को खान एवं भूविज्ञान निदेशक कार्यालय, कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश में 1100 मीटर ऊर्ध्वाधर गहराई की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यही भूविज्ञान रिपोर्ट सर्वेक्षण एवं भूकर मानचित्र तैयार करने हेतु 07.04.2025 को जिला कलेक्टर कार्यालय, कडप्पा को भेजी गई है। इस मामले को राज्य सरकार प्रशासन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

घ) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में कन्नमापल्ले परियोजना (रु. 227.17 लाख) :

तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य परियोजना–पूर्व गतिविधियों को पूरा करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कन्नमापल्ले भंडार की खान पट्टा सीमा का सीमांकन खान एवं भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए एएमडी को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक एएमसीआर–2016 के अनुसार सर्वेक्षण कार्य नहीं किया है। स्थानीय नेतृत्व/जन प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के कारण जिला प्रशासन द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस बीच, एएमडी ने कन्नमापल्ले भंडार (800 मीटर ऊर्ध्वाधर गहराई) के गहरे स्तर में महत्वपूर्ण भंडार स्थापित किए हैं।

एएमडी ने तुम्मलापल्ली ब्लॉक–II की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, जो कि कन्नमापल्ली खनन ब्लॉक का एक तिहाई भाग है, 1200 मीटर की ऊर्ध्वाधर गहराई तक, आंध्र प्रदेश सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग को प्रस्तुत की। तत्पश्चात, 15.01.2025 को खान एवं भूविज्ञान निदेशक ने जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार को एएमसीआर – 2016 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया। राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस मामले को राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

ङ) कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी और कंचनकई परियोजनाएं (रु. 779.10 लाख) :

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य परियोजना–पूर्व गतिविधियों के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गोगी भंडार की खदान पट्टा सीमा का सीमांकन कर्नाटक सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) को आगे प्रस्तुत करने के लिए एएमडी को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्नाटक सरकार ने एएमसीआर–2016 के अनुसार प्रस्तावित भूमि सीमांकन, भूमि अनुसूची तैयार करने आदि का कार्य शुरू कर दिया है, जो प्रगति पर है।

इस बीच, गोगी से सटे कंचनकायी में एक नए भंडार की

खोज एएमडी द्वारा पूरी कर ली गई है। कंचनकायी भंडार की खदान पट्टा सीमा का सीमांकन भी डीएमजी, कर्नाटक सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए एएमडी को सौंप दिया गया है। इसके बाद, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्नाटक सरकार ने कंचनकायी भंडार की भूमि का विवरण, भूकर योजना आदि के साथ प्रस्ताव को परमाणु ऊर्जा विभाग को आगे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, बैंगलोर को भेज दिया है।

15.06.2024 को, यादगीर जिला प्रशासन ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया और रिपोर्ट खान एवं भूविज्ञान निदेशक, बैंगलोर को सौंप दी। कर्नाटक सरकार ने अभी तक खनन पट्टा LOI (एलओआई) प्रदान करने हेतु संभावित पट्टेदार के रूप में सरकारी कंपनी के नामांकन हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुरोध नहीं किया है।

दोनों परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संदर्भ की शर्तें (ToR) के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा नियम–6 (2), [AMCR] 2016 के अंतर्गत, खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय (DMG), कर्नाटक द्वारा यूसीआईएल(UCIL) को आशय पत्र जारी किए जाने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्थलों पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियाँ जारी हैं।

च) राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल अन्वेषणात्मक खनन परियोजना (2590.67 लाख रुपये) :

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम भंडार, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा अन्वेषणाधीन है। यूसीआईएल और एएमडी के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, एएमडी की ओर से यूसीआईएल द्वारा अन्वेषणात्मक खनन गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। भूमिगत खनन तक पहुँचने के लिए, 551 मीटर गहराई तक एक डिक्लाइन पोर्टल विकसित किया गया है। बाद में किए जाने वाले वाणिज्यिक खनन कार्यों के दौरान आवश्यक औद्योगिक और पेयजल की भविष्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सीकर नगर परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, यूसीआईएल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से "रोहिल (सीकर), राजस्थान में संबद्ध सेवाओं के साथ 0.75 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) आरओएम (ROM) क्षमता की भूमिगत खदान और 0.75 एमटीपीए के यूरेनियम प्रसंस्करण परिसर का विकास" परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त की हैं।

मौसम संबंधी निगरानी, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी, ध्वनि स्तर निगरानी, सतही एवं भूजल गुणवत्ता निगरानी, यातायात घनत्व अध्ययन आदि के लिए परामर्शदाता मेसर्स जे.एम. एनवायरोनेट द्वारा पर्यावरणीय आधारभूत डेटा सृजन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नवीनतम उपग्रह चित्रों के आधार पर भूमि उपयोगभूमि आवरण विश्लेषण, मृदा गुणवत्ता अध्ययन, पारिस्थितिक विशेषताओं (वनस्पति एवं जीव–जंतु) का अध्ययन, जल विज्ञान एवं जल भूविज्ञान का अध्ययन किया जा चुका है। ईआईएचईएमपी की तैयारी प्रगति पर है।

परियोजना के जन स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, बीएआरसी, मुंबई द्वारा स्थल के आसपास रेडियोलॉजिकल निगरानी और टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य स्थिति सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यूसीआईएल ने एसआईए अध्ययन (सामाजिक प्रभाव आकलन) के लिए डीसी, सीकर को भूमि अधिग्रहण आवेदन प्रस्तुत किया है।

छ) छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जजावल परियोजना (137.91 लाख रुपये) :

मेकॉन ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर के पास प्रस्तावित जजावल परियोजना के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने के लिए मेकॉन को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार डीएमजी, छत्तीसगढ़ सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जजावल में यूरेनियम खनन के लिए सरकारी एजेंसी/निगम के नामांकन के लिए एएमडी से अनुरोध किया है। एएमडी को जजावल यूरेनियम भंडार के खनन के लिए यूसीआईएल के नामांकन के लिए डीएई को प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। राज्य सरकार द्वारा खनियम – 6(2), एएमसीआर, 2016 के तहत, डीएमजी, छत्तीसगढ़ द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र जारी किए जाने के बाद एमओईएफ–सीसी को टीओआर (ToR)के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

ज) **झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गाड़ाडीह परियोजना (27.04 लाख रुपये) :**

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य परियोजना–पूर्व गतिविधियों को पूरा करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय को आगे प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टे की सीमा का सीमांकन एएमडी को सौंप दिया गया है। यूरेनियम खनिजीकरण 280–300 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव तक स्थापित किया गया है। इस बीच, एएमडी द्वारा सतह के नीचे 450–570 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव तक आगे की खोज प्रक्रिया में है। एएमसीआर–2016 के अनुसार एएमडी द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना लंबित है। राज्य सरकार द्वारा नियम 6 (2), एएमसीआर, 2016 के तहत, डीएमजी, झारखंड द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

झ) **झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बानाडुंगरी परियोजना (शून्य) :**

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य परियोजना–पूर्व गतिविधियों को पूरा करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय को आगे प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टे की सीमा का सीमांकन एएमडी को सौंप दिया गया है। एएमडी ने 17.09.2021 को झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार द्वारा डीएमजी, झारखंड द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र खनियम – 6 (2), एएमसीआर, 2016 के तहत, जारी किए जाने के बाद एमओईएफ–सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। झारखंड सरकार ने सटीक क्षेत्र का सीमांकन कर दिया है और भूमि अनुसूची की तैयारी पूरी हो गई है।

एएमसीआर 2016 के अनुसार सभी गतिविधियाँ पूरी होने पर, झारखंड सरकार, विभाग (डीएई) के कहने पर, खनन पट्टा प्रदान करने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली किसी सरकारी कंपनी या निगम को नामित करने का अनुरोध करेगी। यूसीआईएल झारखंड राज्य सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत कर रही है।

चालू परियोजना : –

क) **तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना (शून्य रु.) :**

तुरामडीह मिल को वर्ष 2007–2008 में 3000 टीपीडी प्रसंस्करण के लिए चालू किया गया था, लेकिन खदानों से अयस्क फीड में बदलाव के कारण चालू होने के बाद अगले 3 से 4 वर्षों में निर्धारित क्षमता हासिल नहीं की जा सकी। बंदुहुरंग ओपन कास्ट खदान से अधिकांश अयस्क फीड को तुरामडीह मिल फीड के लिए माना गया था क्योंकि नरवापहाड़ खदान के उत्पादन को जादुगोड़ा मिल विस्तार के लिए माना गया था। बंदुहुरंग ओपन कास्ट अयस्क के भू–खनन और भू–रासायनिक गुण नरवापहाड़ खदान से व्यापक रूप से भिन्न हैं। इस कारण, बाद के वर्षों में मिल विस्तार शीर्ष के तहत खरीदे और स्थापित किए गए उपकरणों और सहायक उपकरणों का उपयोग अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की अड़चन को दूर करने के लिए किया गया ताकि अयस्क प्रसंस्करण को 2500 टीपीडी से बढ़ाकर 3400 टीपीडी (लगभग) किया जा सके। विस्तार परियोजना के लिए कुल व्यय 75.00 करोड़ रुपये (लगभग) था। विस्तार परियोजना के अंतर्गत रखे गए अधिकांश संयंत्र और उपकरण भी प्रचालन में हैं, ताकि 15 वर्षों से अधिक समय से उपयोग के कारण पुराने संयंत्र और उपकरणों की पुरानी हो चुकी स्थिति से निपटा जा सके।

इस पृष्ठभूमि में, यूसीआईएल के निदेशक मंडल ने (28.06.2023 को आयोजित 281वीं बैठक) '(i) मिल के निरंतर संचालन के लिए अयस्क की उपलब्धता के वर्तमान परिदृश्य और 15 वर्षों से अधिक समय से चल रहे संयंत्र और उपकरणों के पुराने प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तुरामडीह मिल की क्षमता को 0.90 एमटीपीए से वर्तमान 1.032 एमटीपीए के स्तर से बढ़ाकर 1.28 एमटीपीए करने के प्रस्ताव को शीघ्र बंद करना और (ii) 0.90 एमटीपीए की प्रारंभिक डिजाइन क्षमता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने और बाद में संचालन के अगले 10 वर्षों के लिए क्षमता को 1.032 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए तुरामडीह मिल में पूंजीगत व्यय के रूप में 74.99 करोड़ रुपये का विनियोजन' को मंजूरी दी है।

b) **तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट (शून्य रु.) :** तुरामडीह और बंदुहुरंग खदानों के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज की अल्प मात्रा होती है। तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट को कोयला धुलाई संयंत्रों में उपयोग के लिए, चुंबकीय सामग्री और सूक्ष्मता की दृष्टि से अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट के उप–उत्पाद के रूप में उत्पादन हेतु डिजाइन किया गया है। प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सितंबर 2024 से यूरेनियम अयस्क अवशेषों से मैग्नेटाइट की प्राप्ति हेतु तुरामडीह यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र में 52.00 मैट्रिक टन/दिन की क्षमता वाला एक मैग्नेटाइट उप–उत्पाद रिकवरी प्लांट सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है।

c) **डीबॉटलनेकिंग परियोजना (36.23 लाख रुपये) :**

तुम्मलपल्ली में पर्यावरणीय उत्सर्जन की बढ़ी हुई गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मेकॉन द्वारा डिजाइन आधारित रिपोर्ट और तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। इस बीच, तुम्मलपल्ली में खदान के पानी में मौजूद रेडियोधर्मी न्यूक्लाइड को कम करने हेतु खदान के पानी के उपचार हेतु पर्यावरण–अनुकूल रासायनिक विधि का आंतरिक विकास कार्य शुरू किया गया है। खदान के पानी में यूरेनियम और फॉस्फेट (रासयनिक ऑक्साइड) की मात्रा कम करने के लिए प्रयोगशाला और प्रायोगिक स्तर पर किए गए परीक्षणों ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। इसे देखते हुए, 30.3.2023 से 25.4.2023 तक एक महीने की अवधि के लिए मैन्युअल रूप से संयंत्र परीक्षण भी किया गया है और पाया गया है कि परिणाम संतोषजनक हैं और इसे नियमित रूप से संचालित करने की योजना है।

35.5. देनदारों, लेनदारों और ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का शेष समाधान/पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।

35.6. व्यापार प्राप्य अधिकांशतः भारत सरकार से बकाया हैं, इसलिए भविष्य में कोई ऋण हानि होने की संभावना नहीं है।

35.7. आंतरिक और बाह्य कारकों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है, क्योंकि परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य, परिसंपत्तियों की वहन लागत से अधिक है।

35.8. कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ अधिनियम) के तहत कवर नहीं है, लेकिन एक ट्रस्ट के माध्यम से 1967 से अपने भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिसने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी), पटना और आयकर आयुक्त द्वारा विधिवत अनुमोदित अपने नियम बनाए हैं। हालांकि, आरपीएफसी, जमशेदपुर ने 01.01.1997 के अपने नोटिस के जरिए दावा किया कि यह ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत कवर किया गया है और कंपनी से 1967 से पीएफ बकाया और 1997 से पारिवारिक पेंशन अंशदान जमा करने को कहा है। कंपनी ने दावे का विवाद किया और एक अपील को प्राथमिकता दी जो वर्तमान में सीजीआईटी, धनबाद के समक्ष लंबित है। चूंकि कंपनी ने ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत प्रदान किए गए योगदान के बराबर ट्रस्ट को पीएफ अंशदान का भुगतान किया।

35.9 तुलन पत्र(बैलेंस शीट) की तिथि पर कार्यों के लिए देयता का प्रावधान अभियंता के प्रमाणपत्रों के अनुसार किया जाता है। बिलों के अंतिम निपटान तक उपयोग में लाई जाने वाली परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन, अभियंता के प्रमाणपत्रों के अनुसार, पूंजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है।

35.10 बागजाता खनन परियोजना के लिए 375 मीटर गहरे वर्टिकल शाफ्ट की डिजाइनिंग, सिंकिंग, लाइनिंग और उपकरण लगाने का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज (संयुक्त उद्यम) को कुल 24.76 करोड़ रुपये की लागत से सौंपा गया था। चूँकि ठेकेदार पूरा काम पूरा किए बिना ही साइट छोड़कर चला गया, इसलिए कंपनी के पास जोखिम और लागत के रूप में 103.47 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन हानि के दावे के लिए मध्यस्थता का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

तदनुसार, यूसीआईएल ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मध्यस्थता नियुक्त किया था। हालाँकि, विपक्षी पक्ष ने वाणिज्यिक न्यायालय, रांची में चुनौती दी कि मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन), अधिनियम, 2015 के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकते। वाणिज्यिक न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश सुनाया। तदनुसार,

मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी गई। यूसीआईएल ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

35.11 मोहुलडीह खदान में 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और उसके उपकरण लगाने का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 18.63 करोड़ रुपये की लागत से सौंपा गया था। चूँकि ठेकेदार पूरा काम पूरा किए बिना ही साइट छोड़ गया, इसलिए कंपनी के पास जोखिम और लागत के रूप में 102.42 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन हानि के दावे के लिए मध्यस्थता का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थ के पास लंबित थी।

मध्यस्थता की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मोहुलडीह मध्यस्थता में वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश सुनाया गया था, इसलिए माननीय मध्यस्थ ने निर्णय दिया कि यह इन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर भी लागू होगा। तदनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

35.12 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय 1267.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1234.97 लाख रुपये) है।

35.13 परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार केपीएम परियोजना को बंद कर दिया गया था। केपीएम परियोजना के संपूर्ण परियोजना–पूर्व व्यय के लिए वित्त वर्ष 2019–20 में 1004.76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान चालू वित्त वर्ष में भी जारी है।

35.14 मेसर्स एसएमएस लिमिटेड को तुम्मलापल्ली परियोजना में 3000 टीपीडी यूरेनियम अयस्क के उत्पादन के लिए खान विकास, स्टॉपिंग, वेंटिलेशन शाफ्ट सिंकिंग और अन्य संबंधित उत्खनन का अनुबंध दिया गया।

अनुबंध की समाप्ति पर, एसएमएस लिमिटेड ने विभिन्न बिंदुओं पर सात दावे प्रस्तुत किए, जिनकी यूसीआईएल की एक आंतरिक समिति और मेकॉन लिमिटेड द्वारा जाँच की गई, जिसके बाद अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और पाया गया कि एक दावा विचाराधीन है और शेष छह मान्य नहीं हैं। इस बीच, एसएमएस लिमिटेड ने समझौते हेतु मध्यस्थता हेतु माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया। एसएमएस लिमिटेड ने विभिन्न दावे प्रस्तुत किए और तदनुसार, एसएमएस ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता का रुख किया। मध्यस्थता की कार्यवाही माननीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

35.14 अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपात विश्लेषण	अंश–गणक	रुपया लाख में			रुपया लाख में		अनुपात		%
			31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	विभाजक	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	भिन्नता का
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	233,538	281,954	वर्तमान देनदारियां	71,042	74,279	3.29	3.80	-13.40%
2	ऋण इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल देनदारियों	99,372	100,017	शेयरधारकों की इक्विटी	383,743	390,006	0.26	0.26	0.98%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय	NA	NA	ऋण सेवा	NA	NA	NA	NA	NA
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (प्रतिशत में)	अवधि के लिए लाभ	13,903	23,863	औसत शेयरधारक इक्विटी	386,874	380,139	3.59%	6.28%	-42.76%(1)
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बिके माल की लागत	45,751	49,265	औसत सूची	26,154	21,874	1.75	2.25	-22.33%(2)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	218,239	231,708	औसत व्यापार प्राप्तियां	36,641	25,085	5.96	9.24	-35.52%(3)
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	कुल खरीद	50,194	52,115	औसत व्यापार देय	13,546	14,408	3.71	3.62	2.44%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	कुल बिक्री	218,239	231,708	औसत कार्यशील पूंजी	185,085	149,271	1.18	1.55	24.04%(4)
9	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	शुद्ध लाभ	13,903	23,863	कुल बिक्री	218,239	231,708	6.37%	10.30%	-38.15%(1)
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	ईबीआईटी	18,851	32,213	नियोजित पूंजी	412,073	415,743	4.57%	7.75%	-40.96%(1)
11	निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	वापसी/लाभ/आय	NA	NA	निवेश	NA	NA	NA	NA	NA

(1) राजस्व में कमी के कारण लाभ में कमी के कारण।
(2) औसत इन्वेंट्री में वृद्धि के कारण।
(3) बिक्री में कमी और औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि के कारण।
(4) औसत कार्यशील पूंजी में वृद्धि और बिक्री में कमी के कारण।

35.16 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी, जो पहले से प्रकट की गई है, के अलावा शुन्य हैं।

35.17 पिछले वर्ष के आंकड़ो को, जब भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ो के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

टिप्पणी–36

अतिरिक्त नियामक जानकारी

(i) कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख :

➢ कृपया "खातों पर अतिरिक्त नोट्स" के पैरा 35.3 का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी यह खुलासा करेगी कि क्या निवेश संपत्ति का उचित मूल्य (जैसा कि वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए मापा गया है) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है।

➢ लागू नहीं

(iii) जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है, वहां कंपनी को यह खुलासा करना होगा कि क्या पुनर्मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है :

➢ नहीं

(iv) जहां कंपनी ने अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, वहां कंपनी को यह खुलासा करना होगा कि क्या पुनर्मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

➢ नहीं

(v) निम्नलिखित खुलासे किए जाएंगे जहां ऋण या अग्रिम के रूप में ऋण प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किए जाते हैं, जो कि हैं;

(क) मांग पर चुकाने योग्य या

(ख) बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए

उधारकर्ता के प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में भार या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटरों		
निर्देशकों		
केएमपी		
संबंधित पक्षों		

➢ **कृपया "खातों पर नोट्स" का पैरा 32 देखें**

(vi) पूंजीगत कार्यप्रगति (CWIP)

➢ **कृपया "खातों पर नोट्स" का पैरा 4 देखें**

(vii) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

➢ ऐसी कोई अमूर्त संपत्ति विकासाधीन नहीं है।

(viii) बेनामी संपत्ति का विवरण :

जहां बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है, वहां कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी :–

(क) ऐसी संपत्ति का विवरण, अधिग्रहण के वर्ष सहित,

(ख) उसकी राशि,

(ग) लाभार्थियों का विवरण,

(घ) यदि संपत्ति बही खातों में है, तो तुलनपत्र में मद का संदर्भ लें,

(ड़) यदि संपत्ति का विवरण पुस्तकों में नहीं है, तो कारण सहित तथ्य बताया जाएगा।

(च) जहां इस कानून के तहत कंपनी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, लेनदेन के लिए या विवरण प्रदान किए जाने के लिए

(छ) कार्यवाही की प्रकृति, उसकी स्थिति और उस पर कंपनी का दृष्टिकोण।

➢ **ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी बिंदु लागू नहीं होते।**

(ix) जहां कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लिया है, वहां उसे निम्नलिखित का खुलासा करना होगाः–

(क) क्या कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(ख) यदि नहीं, तो समाधान का सारांश और भौतिक विसंगतियों के कारण, यदि कोई हों, पर्याप्त रूप से प्रकट किए जाएं।

➢ **ऐसी कोई उधारी नहीं।**

(x) जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला :

जहां किसी कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित किया जाता है, वहां निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा

(क) जानबूझकर चूककर्ता घोषित किये जाने की तिथि,

(ख) चूक का विवरण (चूक की राशि और प्रकृति)

➢ **नहीं,कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।**

(xi) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध :

➢ **लागू नहीं**

(xii) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि

➢ **लागू नहीं**

(xiii) कंपनियों की कई परतों का अनुपालन

➢ **लागू नहीं**

(xiv) अनुपात विश्लेषण

➢ **कृपया "खातों पर अतिरिक्त नोट्स" के पैरा 35.12 का संदर्भ लें**

(xv) व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन

➢ **ऐसी कोई योजना नहीं है।**

(xvi) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग :

(क) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) अग्रिम या ऋण दिया हो या निवेश किया हो (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि का प्रकार) कि मध्यस्थ

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना, या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना

कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी :–

(I) मध्यस्थों को अग्रिम, ऋण या निवेशित निधि की तिथि और राशि, प्रत्येक मध्यस्थ का पूर्ण विवरण सहित।

(ii) ऐसे मध्यस्थों द्वारा अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों को अग्रिम, ऋण या निवेशित निधि की तिथि और राशि, अंतिम लाभार्थियों का पूर्ण विवरण सहित।

(iii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य राशि की तिथि और राशि।

(iv) यह घोषणा कि ऐसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और ये लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

➢ **ऐसी कोई उधारी नहीं ली गई है और इसलिए उपरोक्त सभी बिंदु लागू नहीं होते हैं।**

(ख) जहां किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त की है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्त पोषण पक्ष) भी शामिल हैं, तो यह समझ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी

(I) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिदाता पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना, या

(ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति आदि प्रदान करना, तो कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी :–

(I) निधिदाता पक्षों से प्राप्त निधि की तिथि और राशि, प्रत्येक निधिदाता पक्ष के पूर्ण विवरण के साथ।

(ii) अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों को अग्रिम, ऋण या निवेशित निधि की तिथि और राशि, अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों के पूर्ण विवरण के साथ।

(iii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, प्रतिभूति आदि की तिथि और राशि।

(iv) यह घोषणा कि ऐसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और ये लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

➢ **ऐसी कोई उधारी नहीं ली गई है और इसलिए उपरोक्त सभी बिंदु लागू नहीं होते हैं।**

नोट '1' से '36' तक हस्ताक्षर
कृते निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता	**मनोज कुमार**	**बिक्रम केसरी दास**	**डा0 एस के सतपति**
कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकि)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
AERPG 9596C	DIN 10801804	DIN 10933760	DIN 10612460

संलग्न नोट्स इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है। हमारी संलग्न सम दिनांक की रिर्पोट के अनुसार

अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 003247C

सीए अर्पित जैन
पार्टनर
सदस्यता संख्या–417169
यूडीआईएन : 25417169BMLFUF8310

स्थान : जादूगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025

नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर से पहले लाभ /हानि)		18,851.34	32,213.18
समायोजन हेतु :			
–मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	23,812.41	26,554.01
– बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	22	(15,394.45)	(13,352.77)
– ऋण और अग्रिम पर ब्याज	22	(115.16)	(64.96)
– वित्तीय लागत	25	568.84	99.77
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**27,722.98**	**45,449.23**
कार्यशील पूंजी समायोजन :			
–व्यापारिक प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	9	(16,739.84)	(6,373.67)
–ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	6	(832.26)	3.52
– मालसूची में (वृद्धि)/कमी	8	(5,789.14)	(2,770.22)
– अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	13	(1,156.20)	(737.98)
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	12	(42,385.33)	88,924.59
– व्यापारिक देय राशि में वृद्धि/(कमी)	16(a)	293.23	(2,017.34)
–प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	17	(1,161.13)	2,494.41
–अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	16(b & c)	634.02	4,098.02
–अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	20	78.01	(870.26)
परिचालन से उत्पन्न नकदी		(39,335.67)	1,28,200.29
आयकर का भुगतान		(11,582.41)	(6,215.48)
आयकर पर ब्याज का भुगतान		–	–
परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुध्द नकदी प्रवाह (ए)		**(50,918.07)**	**1,21,984.81**
निवेश से नकदी प्रवाह गतिविधियाँ			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	3	(24,443.42)	(16,037.80)
केपिटल डब्लूआई.पी में वृद्धि/(कमी)	4	4,593.71	(1,737.36)
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	7	1.33	(457.54)
ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज (वित्तीय आय)	22	115.16	64.96
बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	22	15,394.45	13,352.77
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष में वृद्धि/(कमी)	11	74,257.01	(1,21,381.55)
निवेश गतिविधियों से/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)		**69,918.23**	**(1,26,196.52)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय (लंबित आवंटन सहित)	15	–	–
लाभांश का भुगतान	15	(19,500.89)	–
अंतरिम लाभांश का भुगतान	15	–	(10,200)
ब्याज का भुगतान	25	(479.33)	(16.90)
वित्तीय गतिविधियों से/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)		**(19,359.50)**	**(16.90)**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए़बी़सी)		(359.35)	(4,228.61)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	10	782.89	5,011.50
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**10**	**423.54**	**782.89**

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंजलि जैन एडं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **03247C**
CA अर्पित जैन
सहभागी
M-No- 417169

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 31.07.2025
यूडीआईएन : 25417169BMLFUF8310

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
AERPG 9596C

मनोज कुमार
निदेशक(तकनीकि)
DIN 10801804

बिक्रम केसरी दास
निदेशक(वित्त)
DIN 10933760

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
DIN 10612460

पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियों	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
2000-01	14797	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	179195	17335	40739	21963	86747	12410
2018-19	203479	17984	47126	21085	77501	39783
2019-20	241959	18174	54070	25723	84309	59683
2020-21	235290	15378	54059	22695	80837	62321
2021-22	261472	16831	58743	22815	85335	77748
2022-23	227958	25842	60408	26425	105566	9717
2023-24	247264	22524	63968	26552	102007	32213
2024-25	235626	21984	64095	23807	106889	18851

कर पश्चात लाभ / हानि	पूंजी	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूंजी	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूंजी	31 मार्च तक कर्मचारियों की संख्या
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	181562	84559	255073	44477	210596	4781
21420	206962	76432	259256	65559	193693	4629
48205	206962	113865	281910	91339	190571	4672
47074	209462	146263	297587	114038	183550	4536
57672	209462	185008	297755	124762	172993	4533
6570	209462	160811	321665	151103	170562	4425
23863	209462	180544	337702	177572	160130	4255
13902	209462	174281	362146	201299	160847	4175

सीएसआर पहल

निकटवर्ती गांवों में चिकित्सा सुविधाओं और शिविर के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई

रॉयल विलेज, सीकर राजस्थान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय का उद्घाटन।

सामाजिक
राजकीय आयुर्वेद
के नवीन
लोकार्पण

राजकीय आयुर्वेद औषधालय